राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 1] पन्द्रहवीं विधान सभा के पहले सत्र का आठवां दिवस [संख्या: 6

मंगलवार,

22 जनवरी 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कार्ययोजना

11. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नवीन पेंशन योजना के स्थान पर कार्मिकों की मांग पर पुरानी पेंशन योजना पुन: शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल) (वित्त मंत्री के स्थान पर): जी नहीं। नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना पुन: शुरू करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के द्वारा केन्द्रीय सरकार के सभी कार्मिकों पर सैनिकों को छोड़कर दिनांक 01.01.2004 से नवीन पेंशन योजना लागू की गयी थी। इसी के कारण प्रदेश को भी नवीन पेंशन योजना को लागू करना पड़ा। आगे भी भारत सरकार द्वारा योजना में कोई परिवर्तन किया जाएगा, तब प्रदेश में भी उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह राजस्थान के अन्दर चार लाख कर्मचारियों के सम्मान और वृद्धावस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकार जिस अधिसूचना का हवाला दे रही है 22.12.2003, इसमें कहीं भी राज्य

(श्री पुखराज)

सरकार बाध्य नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की इस अधिसूचना को माने। इसी संदर्भ में अभी दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है कि वहां कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन है कि इस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और यह चार लाख कर्मचारियों के सम्मान का मामला है। इसको पुनर्विचार करे, धन्यवाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में 28 राज्यों में सिर्फ एक पश्चिम बंगाल के अलावा सबने इसको मंजूर किया है और दिल्ली की सरकार ने भी इसको मंजूर किया है। अब वो पुनर्विचार कर रहे हों, तो वह बात अलग है। मोटी बात यह है कि यह केन्द्र सरकार जब भी डीए देती है, राज्य सरकार भी उतना ही डीए देती है। उन्होंने पेंशन योजना चालू की उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारी तो थी भी नहीं 2003 में और 1.1.2004 से यह लागू की गई है। आप जो कह रहे है कि चार लाख आदमी इसके अंशदान में हैं, निश्चित तौर पर है, यह मैं मानता हूं और नई योजना में और पुरानी योजना में काफी कुछ अन्तर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी केन्द्रीय सरकार की तरफ देखकर ही यह हो सकता है। मैं आपको यह भी बता देता हूं, अभी 3 जनवरी को देश के वित्त मंत्रीजी ने गडकरी साहब के पत्र का एक जवाब दिया है और जवाब में उन्होंने लिखा है “that due to fiscal stress on account of old defined benefit pension system, the Government of India made a conscious move to shift from old pension scheme to define contribution pension scheme.” अभी भी वो यह कह रहे हैं कि यह इस तरीके से जो लागू की गई है स्ट्रैस के कारण, फाइनेंशियल स्ट्रैस के कारण।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि 2003 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने यह निर्णय किया और राजस्थान में भी तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने इसे लागू किया। क्या विगत 14 वर्षों में किसी सरकार ने इस संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखा है, राजस्थान की तरफ से कि हमें आप अनुमति दें तो पुरानी पेंशन योजना पर लौटना चाहते हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

नम्बर 2, 14 साल में जो ये पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नवीन पेंशन योजना लाई गई, इसका कर्मचारियों को कितना नुकसान हुआ, प्रतिवर्ष के आधार पर क्या राज्य सरकार ने इसका कोई आकलन किया है? तीसरा, वर्तमान सरकार जिसे कर्मचारियों ने अभूतपूर्व समर्थन देकर के राजस्थान के शासन में लायी है, क्या राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखने का विचार रखती है कि आने वाले समय में कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, न तो किसी राज्य सरकार ने चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, इस योजना में किसी परिवर्तन के लिए भारत सरकार को चिट्ठी लिखी हो। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब, इसमें कितना भार पड़ा तो भार तो मौटे तौर पर कर्मचारी को उसके मूल वेतन और उसका डीए दोनों मिलाकर के उसका जो जोड़ आता है, उसका 10 परसेन्ट उसको जमा कराना पड़ता है और 10 ही परसेन्ट जो है राज्य सरकार को जमा कराना पड़ता है। कुल मिलाकर राज्य सरकार पर जो भार आता है, वो एक साल में 1800 करोड़ रुपया आता है। वो पिछले साल में तो 40 परसेन्ट बढ़ा था, क्योंकि सेवन्थ पे-कमीशन लागू हो गया था। लेकिन हर वर्ष 10 परसेन्ट बढ़ता है। इसी तरीके से पुरानी पेंशन योजना में 17989 करोड़ रुपये का राजस्थान सरकार पर भार आता है, जो प्रति वर्ष 10 परसेन्ट बढ़ता है।

श्री अध्यक्ष: गिर्राज सिंह, अगला प्रश्न। नहीं माननीय सदस्य, I'll not allow. सही हो गया, अगला प्रश्न गिर्राज सिंह। प्लीज माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं, please be seated. नहीं, बैठिए।

सैपऊ (धौलपुर) में बाईपास का निर्माण

12. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर के तहसील मुख्यालय सैपऊ के मुख्य बाजारों से आगरा एवं जयपुर के लिये भारी वाहनों का आवागमन रहता है?

(2) क्या यह भी सही है कि भारी वाहनों के दबाव के कारण मुख्य बाजारों में आये दिन दुर्घटनाएं एवं मार्ग अवरूद्ध रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए बाड़ी रोड से भरतपुर धौलपुर रोड को

(श्री गिर्राज सिंह)

जोडते हुए सैपऊ में बाईपास बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): जी नहीं और बाईपास बनाने के संदर्भ में जो माननीय विधायक महोदय ने प्रस्ताव भेजा है, इस पर हम विचार करके उचित कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, पहले जवाब पढ़ना पढ़ेगा। माननीय मंत्रीजी, पहले लिखा हुआ जवाब।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) जी हां।

(2) जी हां। सैपऊ में बाईपास बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष के दौरान उक्त कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। सैपऊ में यातायात दबाव का परीक्षण कर इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर नियमान्तर्गत पाये जाने पर स्वीकृत करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सैपऊ के अन्दर इतनी भीड़ रहती है कि बाजार में आने जाने के लिए हर दम 24 घन्टे, रात के 12-12 बजे तक जाम रहता है। सैपऊ में, बाड़ी में, बसई नवां, में मेरे यहां तीनों जगह के बाइपास की मांग की है। कुछ आ नहीं पाए हैं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन कना चाहता हूं कि आप बाईपास बनाने में रूचि रखते हैं या सरकार कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। ये इसमें जवाब आया कि...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न पूछें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही तो कर रहा हूं। मैं जवाब तो नहीं दे रहा हूं। जवाब तो माननीय...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मेरा तो यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मतलब, सरकार बनाने का विचार रखती है या नहीं रखती है? रखती है तो घोषणा करें। माननीय मंत्री महोदय आज ही इस सदन में घोषणा कर दो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): और कब तक करेंगे? इसका यह कोई जवाब नहीं है कि इससे अपन संतुष्ट होवें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, हो गया। माननीय सदस्य, प्लीज। जवाब दें, सुनें।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने इससे पहले भी इसी मांग को सदन में उठाया है प्रश्न के माध्यम से। मैं माननीय सदस्य को आश्वासित करना चाहता हूं कि बाईपास बनाने के दो-तीन क्राइटेरिया होते हैं। यातायात का आवागमन कितना है, आबादी कितनी है और ये निर्णय समय-समय पर लिये जाते हैं। यह बात हो सकती है कि पिछली सरकार ने शायद धौलपुर जिले के साथ कुछ भेदभाव किया हो। मैं सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि बाड़ी और धौलपुर के लिए...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): इन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया आज तक।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सुनिए प्लीज। माननीय सदस्य, जवाब नहीं सुनना क्या? सुनिए आप।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करके, अध्ययन करके अगर ट्रैफिक की वोल्यूम सफिशिएन्ट होगी और धन हमको मिल जाएगा तो माननीय सदस्य ने जो मांग रखी है। इस पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न नरेन्द्र नागर। नरेन्द्र नागर।

प्रश्न संख्या 13

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, जोगेश्वर गर्ग।

जालौर शहर में ओवरब्रिज बनाने की योजना

14. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालौर शहर में सर्किट हाऊस के पास रेलवे क्रोसिंग है? उक्त रेलवे क्रोसिंग का TVU (Train Vehical Unit) का आंकड़ा कितना है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फाटक के अक्सर बंद रहने के कारण उधर से गुजरने वाले वाहनों को बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है?

(3) क्या सरकार उक्त फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। उक्त रेलवे क्रोसिंग पर प्रति दिन औसतन 35 ट्रेनों की आवाजाही होती है। उक्त रेलवे क्रोसिंग पर माह जून 2018 के सर्वे अनुसार TVU लगभग 3,04,360 है।

(2) ट्रेनों की आवाजाही के समय फाटक के बंद होकर खुलने तक वाहनों के जाम की स्थिति रहती है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, 35 ट्रेनें 24 घंटे में आती हैं और तीन लाख TVU है। सामान्यत: रेलवे एक लाख से ऊपर TVU होते ही ओवरब्रिज प्रस्तावित करती है। मुझे अफसोस हो रहा है मंत्री महोदय को अधूरी जानकारी दी गई है। प्रश्न के भाग-3 का जो जवाब दिया गया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यह जवाब गलत है। प्रस्ताव बना हुआ है। रेलवे, नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी के साथ बैठकर जिसकी डिजाइन बन गई, सारा नक्शा बन गया, उसकी लागत लगभग 36 करोड़ की आंकी गई है। यह चार-पांच साल पहले की बात है। इसमें से आधा राज्य सरकार को देना है और आधा रेलवे देगा। यह इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जालौर के लिए...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार की जानकारी में क्यों नहीं है? मेरा पहला प्रश्न तो यह है और दूसरा प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव की जानकारी करके माननीय मंत्री महोदय इसके लिए आधा पैसा राज्य सरकार से देने की व्यवस्था कब तक कर लेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि रेलवे, पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका के द्वारा प्रस्ताव बना लिया गया है, वह प्रस्ताव है कहां? राज्य सरकार के पास तो कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): नगरपालिका आपके अण्डर में है आप मंगवाइये। मेरे पास कॉपी है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझे कमप्लीट कर लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले उत्तर सुन लें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
आवासन मंत्री): न तो वह प्रस्ताव कभी राज्य सरकार के पास आया और जहां तक नगर परिषद जालौर की आर्थिक स्थिति का सवाल है वह तो बहुत कमजोर स्थिति में है। वह दे भी नहीं सकती। एक बात।

दूसरी बात, आपने यह कहा कि उसमें आधा पैसा रेलवे देती है, किसी भी आरओबी में आधा पैसा कभी भी रेलवे नहीं देती। रेलवे सिर्फ पटरी के ऊपर का जो हिस्सा आता है उतना पैसा देती है, कभी आधा पैसा नहीं देती है किसी भी आरओबी में।

श्री अध्यक्ष: श्री छगन सिंह।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह प्रस्ताव मंगवाइये 36 में 16 करोड़ रेलवे देने के लिए कमिटमेंट कर चुकी है। जानकारी तो पूरी करिये। आप जैसा प्रभावी मंत्री यह कह रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुन लें प्लीज। श्री छगन सिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह आरओबी बन जाए तो पूरे जिले में सुविधा बढ़ जाएगी और लोगों के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी इसलिए आप इसका प्रस्ताव तैयार करवाकर बना दें।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, कब तक करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका हो गया। आप खुद मंत्री रहे हैं। प्लीज, बी सीटेड।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बहुत बड़ी समस्या है हमारी।

श्री अध्यक्ष: आप खुद मंत्री रहे हैं। बैठिये आप। प्लीज। आपकी बात हो गई। यह कोई तरीका नहीं है, मंत्री रहे हैं आप। प्लीज, आप बैठें। सुन नहीं रहे हैं क्या आप? सीनियर आदमी हैं। प्लीज। धन्यवाद।

बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी द्वारा कराये गये कार्य

15. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल ट्रीटमेंट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट (सीईटीपी) के गठन का प्रावधान है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन प्रजापत)

(2) बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से चालू वित्तीय वर्ष में करवाये गये कार्यों एवं उन पर किये गये आय-व्यय से संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बालोतरा सीईटीपी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। पूर्व में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना व संचालन के लिए लाभान्वित इकाइयों द्वारा सोसाइटी अधिनियम के तहत ट्रस्ट के गठन का प्रावधान था।

वर्तमान में दिसम्बर 2016 में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित सीईटीपी के रखरखाव एवं संचालन के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत लाभान्वित इकाइयों द्वारा एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) की स्थापना किया जाने का प्रावधान है मार्ग-दर्शिका की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा एकीकृत प्रोसेसिंग डवलपमेन्ट योजना के तहत बालोतरा वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल ट्रीटमेन्ट एण्ड रिवर्स ओसमोसिस प्राईवेट लि. बालोतरा को वर्ष 2015-16 में 18 एमएलडी सीईटीपी को जैडएलडी में अपग्रेडेशन हेतु राशि 115.13 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट की तिथि से चालू वित्तीय वर्ष तक एसपीवी द्वारा किये गये कार्यों एवं आय-व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। अध्यक्ष लघु उद्योग विकास समिति बालोतरा से प्राप्त शिकायत जिला कलेक्टर बाड़मेर को पत्र क्रमांक एफ 13 (79) सीआई/टैक्सटाइल/आईपीडीएस/बालोतरा/2015-16 दिनांक 01.11.18 से प्रेषित किया गया। प्राप्त शिकायत एवं जिला कलेक्टर बाड़मेर को प्रेषित पत्र की प्रति क्रमशः परिशिष्ट 'स' एवं 'द' पर संलग्न है। प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-

(उद्योग मंत्री)

समय पर शिकायतों के सत्यापन हेतु निरीक्षण किया जाता है एवं पर्यावरणीय नियमों/सम्मति शर्तों की लगातार अवहेलना पाये जाने पर राज्य मण्डल द्वारा सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट बालोतरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41, 42 के प्रावधानानुसार सक्षम न्यायालय में एक आपराधिक मुकदमा दायर किया गया जो कि वर्तमान में माननीय न्यायालय में लम्बित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सी.ई.टी.पी. बालोतरा द्वारा पर्यावरणीय नियमों के प्रकरण में मूल आवेदन संख्या 34/2014 (टीएचसी) दिग्विजय सिंह विरुद्ध राज्य सरकार एवं अन्य माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है उक्त प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं जिनकी पालना राज्य सरकार व अन्य संबंधितों द्वारा की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय उद्योग मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा में सीईटीपी रीको है, प्रदूषण विभाग जो पर्यावरण विभाग के अधीन है। व्यापारी अधिकारी जो गत पांच सालों से मिलीभगत के कारण नियमों की अवहेलना और एनजीटी ने कई बार पैनल्टी लगाई। आज इंसान की जान खतरे में है और कुछ लोगों के व्यापार के लिए जिस तरह की अनियमितता की गई, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसकी प्रशासनिक अधिकारियों के दल से जांच करवाकर दोषियों को दण्डित करने की मंशा रखते हैं? और ऐसे जो अधिकारी पांच सालों से चौथ वसूली कर रहे हैं, मेरा पर्यावरण मंत्रीजी से निवेदन है कि उन तमाम दोषी अधिकारियों को हटाया जाए और सख्त पालना हो, ताकि इंसान का जीवन खतरे में नहीं हो। इस बारे में माननीय मंत्रीजी बताएं।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई शिकायत अब तक मिली नहीं है, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। अगर किसी अधिकारी की शिकायत हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से दे दें उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह जी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में मेरा एक प्रश्न रहेगा कि हमारी जो मारवाड़ के किसानों की मरु गंगा लूणी नदी है

(श्री हमीर सिंह भायल)

इसमें बालोतरा के उद्योग, पाली के उद्योग, इनकी समय-समय पर कई शिकायतें करने के बाद भी किसानों का बोर्डर तक मतलब कम से कम तीन सौ किलोमीटर तक जीना दुर्लभ हो गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): इसको अगर निरन्तर नहीं किया गया माननीय मंत्री महोदय, तो हर किसान और पशु-पक्षी का जीना दुर्लभ हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): इसके बारे में आप सख्त कार्यवाही करके इसका उपाय करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

प्रदेश में शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी

16. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 2018 से लेकर 11 जनवरी, 2019 तक पाले एवं शीतलहर से किन-किन जिलों में किसानों को खेती/अन्य प्रकार से नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों को हुई क्षति के आकलन के लिये कोई विशेष गिरदावरी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) वर्ष 2014 से लेकर नवम्बर, 2018 तक विभिन्न जिलों में पाले एवं शीतलहर से हुई क्षति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जनवरी, 2014 से नवम्बर, 2018 तक पाला और शीतलहर से हुई क्षति में सरकार द्वारा दी गई राशि का वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जिला कलक्टर झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक से प्राप्त प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ तहसीलों में पाले एवं शीतलहर से नुकसान हुआ है, जो 25 प्रतिशत से कम है। अन्य जिलों में खराबा नहीं हुआ है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(2) जिला कलक्टर्स से शीतलहर एवं पाले से 25 प्रतिशत से अधिक फसलों के खराबे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए विशेष गिरदावरी नहीं करवाई गई है।

(3) प्रदेश में पाले एवं शीतलहर से हुई क्षति का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि खण्ड-3 में पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि के कारण से 2015 का जो बजट सत्र था, वह तीन दिन के लिए स्थगित रहा और स्थगित रहने के बाद पक्ष और विपक्ष के सारे विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में भेजा था कि वे उसका आकलन करके लाएं कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ। प्रश्न संख्या 1, क्या यह हुआ था या नहीं? क्या इस नुकसान के बाद राजस्थान सरकार अपना प्रस्ताव बनाकर केन्द्र के आपदा मंत्री और वित्त मंत्री से जाकर मिली और हिन्दुस्तान में पचास परसेंट से अधिक खराबे को ही अनुदान मिलता था उसके कारण से पहली बार 33 परसेंट के खराबे को भी सम्मिलित करते हुए पैसा देना शुरू हुआ था?

क्या यह भी सही है कि उसी के प्रयत्न से जो खरीफ की फसल का 4500 रुपया मिलता था, उसकी जगह 6800 रुपया स्वीकृत हुआ? क्या यह भी सही है कि रबी की फसल के नुकसान का जो 9000 था, उसकी जगह 13600 रुपया स्वीकृत हुआ। और बाकी सारे हैड में भी केन्द्र सरकार ने बढ़ोतरी की, यह सच है या नहीं है? दूसरा यह है कि जो आपने इसमें बताया है, आप इसको ठीक तरह से दिखवा लो, अभी भी इस क्षेत्र में, राजसमन्द में पीपल्या में तो एक व्यक्ति ने आत्महत्या की, उसके बैंगन के खेत में 4 बीघा में उसका जो नुकसान हुआ, वह तारीख का अंतर पड़ा। आपने एक तारीख तक का लिया और यह घटना है 2 तारीख की। एक दिन का अंतर जरूर है लेकिन उसने आत्महत्या की है। नुकसान हुआ है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप चाहे तो इन जिलों में कोटा, बारां, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, दौसा इनमें फिर दिखवा लें। इस सर्दी के कारण से जो नुकसान हुआ है, वह इन जिलों में हुआ या नहीं और हुआ है तो आप उसमें कुछ देने की मंशा रखते हैं या नहीं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पहले 50 परसेंट से अधिक खराबे के ऊपर ही अनुदान मिलता था लेकिन यह बात भी सही है कि तीन दिन आपकी विधान सभा भी उस समय बंद रही, काम नहीं हो पाया। उसके बाद में भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और 33 परसेंट से 50 परसेंट, 50 परसेंट से 75 परसेंट और 75 परसेंट से 100 परसेंट। अब आपने जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न में आपने यह पूछा है कि शीतलहर और पाले से, मैं कह रहा हूं कि शीतलहर और पाले की रिपोर्ट तो कलेक्टर से आती है, सम्वत् 2071, 2072, 2073, 2074 में कोई रिपोर्ट नहीं आई और रिपोर्ट आती तो उस समय तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मंत्री आप स्वयं थे और आपने स्वयं ने नोटशीट पर लिखा है कि कोई रिपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, विशेष रूप से टोंक जिले के बारे में जो आपने पूछा है, टोंक जिले में पहले गिरदावरी हुई, वह 63 गांवों के लिये हुई, उसके बाद गिरदावरी में फिर भिन्नता आई, यहां से चिट्ठी लिखी, फिर वह मैटर उलझ गया और 2017 का उलझते-उलझते हुए 2018 तक यह चला, आपने स्वयं ने उसको रिजेक्ट किया है। ऐसी स्थिति में अब चिट्ठी राजस्व विभाग को लिखी गई है कि 2074 में शीतलहर और पाले से इन जिलों में जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी में जो भिन्नता है, उस भिन्नता को कलेक्टर को लिखा गया और कलेक्टर ने वापस उस समय आपको चिट्ठी लिखी। तीन बार चिट्ठी राजस्व विभाग को आपदा विभाग ने लिखकर दे दी कि आप इसका प्रकरण सुलटाएं। आपकी स्वयं की नोटशीट है, आपने स्वयं ने लिखा है और उसके बावजूद राजस्व विभाग जब तक रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक इस प्रकरण का सुलटारा नहीं हो सकता क्योंकि पहले उन्होंने 63 उसके बाद ज्यादा मांग लिया। ऐसी स्थिति में प्रश्न ही नहीं उठता कि उसको किया जाये। जहां तक आपने कहा है कि आप मंशा रखते हैं क्या? जब रिपोर्ट ही नहीं आई तो मंशा क्या रखेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): दो चीजों को अलग-अलग कीजिए, अभी जो आप खराबा बता रहे हो यह तो अभी 1 दिसम्बर से लेकर अब तक के खराबे के बारे में है। मैं जो बात कर रहा हूं कि आपने जो खण्ड 3 में जो कहा है उसमें आपने थोड़ा सा साइड से निकलने की कोशिश की कि पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि के कारण से जो नुकसान हुआ था और उस समय जिस प्रकार से 33 परसेंट के खराबे को जुड़वा लिया और उसमें जो रेट थी उसको भी अपन ने डेढ़ गुनी कर दी। वह जो अपनी रिपोर्ट थी, उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आधार पर राजस्थान को उस वर्ष लगभग 1351 करोड़ रुपया किसानों को उस समय ओलावृष्टि, शीतलहर से और पाले जो 2015 में नुकसान हुआ था, उसकी पूर्ति हमने की थी। मैं यह जानना चाह रहा था कि अभी जो इन दिनों में नुकसान हुआ है, इस नुकसान को दो जगह अलग-अलग किया जाये। 1 तारीख से पहले-पहले जो नुकसान हुआ, वह तो आप स्वयं और आपकी रिपोर्ट 25 परसेंट बता रही है। 1 से लेकर 3 के बाद, यह जिन जिलों का मैंने आपको नाम बताया है, इनमें नुकसान 40 से लेकर 60 परसेंट तक है और कई किसानों के तो पूरे के पूरे खेत ही बर्बाद हो गये, विशेषकर सब्जियों का, उदयपुर और राजसमन्द जिले में सब्जियां जिस प्रकार से नष्ट हुई हैं, आप कृपा करके कलेक्टर से इसकी रिपोर्ट मंगा लें, तारीख का एक दिन आगे पीछे होने के कारण से आप साइड से निकलने की कोशिश करो, उससे उस किसान का भला नहीं होगा। हमारे इस आपदा प्रबंधन विभाग के पास पर्याप्त पैसा है, केन्द्र से हमको पूरी सहायता मिली, आज भी आपके पास फंड है, तो जिसको इस अनहोनी घटना से लाभ मिल सकता है, उसको लाभ देने में एतराज क्या हो सकता है? अगर मान लो मैंने 31 दिसम्बर ही तारीख कर दी और पाला 1 तारीख को गिर गया या 2 तारीख को गिर गया तो इसके कारण से उस किसान का नुकसान क्यों करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त साधन है, हमारे पास पर्याप्त पैसा है, अगर उससे किसान को दो पैसा मिल सकता है तो देने के लिये दुबारा कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा लें, इसमें जिद का सवाल कहां है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को इस बात के लिये आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं पुन: जिला कलेक्टर झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक, जो आपने तीन जिले लिखे हैं, इसमें जो आपने डेट लिखी है, उससे पहले पड़ा है या उसके बाद में पड़ा है तो निश्चित तौर से रिपोर्ट मंगा ली जाएगी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य रामलाल जी, आप तीन दिन से बराबर कर रहे हैं, आप सीनियर लीडर हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इन तीन जिलों के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, मैं आपको आश्वस्त करना

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

चाहूंगा कि तीनों जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर तत्काल रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न स्थगित।

प्रश्न संख्या 17

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 18 रामप्रताप कासनियां। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठें, आप सीनियर आदमी हैं। आप बैठें प्लीज, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है, बैठें आप। श्री रामप्रताप कासनियां ...(व्यवधान) आप बैठें मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): ...(व्यवधान) मेरे क्षेत्र का मामला है। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को बाध्य कर सकते हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) एक महीना हो गया, किसानों ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद आज मंत्रीजी कह रहे हैं कि रिपोर्ट मंगा लेंगे। (व्यवधान) क्या रिपोर्ट मंगा लेंगे, अभी तक तो इनको फुर्सत नहीं मिली रिपोर्ट मंगाने की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीब किसान है, उस किसान के घर में आत्महत्या हुई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। अगर आप इतने चिंतित हैं तो आपको प्रश्न देना चाहिये। प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए, आप सीनियर लीडर हैं, प्लीज बैठें। प्लीज, आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। (व्यवधान) आपको प्रतिपक्ष के नेता पर विश्वास नहीं है।

प्रदेश में आवारा पशुओं हेतु नन्दी शाला की स्थापना

18. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार आवारा पशुओं के लिए नन्दी शाला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में आवारा पशु बड़ी संख्या में किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इन आवारा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पशुओं से किसानों की फसल बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी नहीं। प्रदेश में नन्दी गौशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत आवारा नर गौवंश हेतु प्रत्येक जिले में एक नन्दी गौशाला खोले जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। आवारा पशुओं को शहरी क्षेत्र में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 247-248 में तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 115 से 131 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत पकड़कर कांजी हाउस मे रखे जाने का प्रावधान है।

प्रदेश में आवारा नर गौवंश हेतु प्रत्येक जिले में एक नन्दी गौशाला खोली जाना प्रस्तावित है, इस हेतु नन्दी गौशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 90 : 10 के अनुपात में अधिकतम 50.00 लाख रु. तक की राशि दिये जाने का प्रावधान है एवं गौशालाओं में निराश्रित गौवंश को गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अंतर्गत राजकीय सहायता प्राप्त करने वाली गौशालाओं में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हस्तानान्तरित करवाया जा सकता है। इस नियम के अंतर्गत राजकीय सहायता प्राप्त करने वाली गौशालाएं निराश्रित गौवंश को गौशाला में लेने से इंकार नहीं कर सकती हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने जवाब में गोलमाल जवाब देकर पीछा छुड़ाने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसानों की हालत आवारा पशुओं के कारण बहुत ही दयनीय है। काश्तकारों के आपस में झगड़े हुए हैं, सर फूट गये, हत्या तक हो गई।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें प्लीज, भाषण नहीं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। क्या सरकार किसानों का इन आवारा पशुओं से पीछा छुड़ाने का विचार रखती है? क्या सरकार रात-दिन इस बात की चिंता नहीं करती कि किसान रात को नहीं सो सकते और पूर्ववर्ती सरकार ने जो पचास लाख रुपये का इंतजाम किया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हो गया। माननीय सदस्य बैठ जाएं।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों एवं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि आवारा गौवंश को लेकर हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी एवं पूरी सरकार बहुत चिंतित है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): चिंता करने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर आपको उत्तर नहीं मिलेगा। मंत्री जी बोलिए।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। गहलोत साहब की पिछली सरकार में गौशालाओं के लिये सबसे पहले अनुदान कांग्रेस सरकार ने ही लागू किया था। साथ ही, मुझे जो पीड़ा गोमाता के प्रति है। जन्म लेने के बाद जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने मेरे घर में गाय की सेवा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बिना गौ-ग्रास निकाले मैं अन्न ग्रहण नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज जवाब दें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): साहब, जवाब ही दे रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, मैं तीन दिन से बराबर देख रहा हूं। आप सीनियर लीडर हैं।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि गोमाता में सभी देवी-देवताओं का वास है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोमाता के नाम पर मात्र राजनीति की है। हमने कांग्रेस में होने के बावजूद, बारां जिले में दो-दो गौशालाएं हमारी संस्थाओं के द्वारा संचालित की जा रही हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। मदन जी, आप भी सीनियर आदमी हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यह ठीक नहीं है।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): हम आपकी तरह +++ नहीं बोलते हैं और आपकी तरह असत्य बोलकर सदन को गुमराह करने का काम नहीं करते हैं जैसे आपने कल किया।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, रिलेवेंट जवाब दें प्लीज।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आवारा गौवंश की समस्या को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। इसके लिये हम शीघ्र ही, गौ संरक्षण के लिये जो संत काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके प्रतिनिधियों का हम एक राज्यस्तरीय सम्मेलन बुलाकर इस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है, हम उनके अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं और उनके जो अनुभव आये हैं, उनके गुण और अवगुण के आधार पर मंथन करके एक अच्छी नीति बनाकर इस समस्या का समाधान करेंगे क्योंकि इससे आम जन भी परेशान है, किसान भी परेशान है, गोमाता भी परेशान और गौवंश भी परेशान है। हम जल्दी से जल्दी एक अच्छी नीति बनाकर इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में वहां के स्थानीयों द्वारा आवारा गौवंश के लिये एक गौशाला का वहां निर्माण कराया गया है, जिसका शुभारंभ हम 26 जनवरी को करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 26 जनवरी से हो जाएगी और आपने वाले पूरे शासन में, हम यह बात मैं पूरे सदन को बताता हूं कि गोमाता के लिए हम आपकी पार्टी से ज्यादा चिंतित हैं और हम काम करके बताएगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप क्वेश्चन लिखकर दें। Don't take liberty.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी मुझे अलाउ किया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज आप बैठें। अंकित नहीं होगा। राठौड़ साहब, एक बार बैठिए। संयम जी, नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठ जाएं। आप सीनियर आदमी हैं। Chair on leg. प्लीज आप बैठें। अंकित नहीं होगा। आप सीनियर लीडर हैं, don't behave like this. प्लीज बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप बैठिए। I have to name it. मैं खड़ा हूं आप सुन नहीं रहे हैं। आप सीनियर आदमी हैं। आप बैठिए। मैं आपको कह रहा हूं, I have to name it. I'll not allow. सीनियर लीडर होकर आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राष्ट्र के सबसे बड़े गौ प्रेमी मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के पृष्ठ संख्या-5 के पैरा -13 में, भाजपा सरकार द्वारा गौशालाओं के अनुदान करने की बात की है और आपने बढ़ाये जाने के लिये नीतिगत फैसला लेने की बात कही थी? नंबर 2-क्या यह भी सही है कि गौशालाओं को जनवरी-फरवरी से 90 दिन का जो सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, यह सहायता अनुदान आपने उपलब्ध नहीं कराया। अगर नहीं, तो कब तक कराएंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब, काफी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या यह भी सही है कि गौ संरक्षण निधि में 382 करोड़ रुपया आपके पास पूर्ववर्ती सरकार का पड़ा है? क्या इन पैसों को उपयोग करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब, उत्तर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न। निर्मल कुमावत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I will not allow. मैं आपको अलाउ ही नहीं करुंगा। आप जवाब चाहते हैं तो वह रिलेवेंट हो। प्लीज आप सुनिये। क्वेश्चन लिखकर दीजिए, please be specific. Out of the question, पूछेंगे तो मैं अलाउ नहीं करुंगा। नैक्स्ट प्रश्न, निर्मल कुमावत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बोलने की आदत न डालें।

रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिकों को परिलाभों का भुगतान

19. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विगत वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का पूरा भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो अप्रैल, 2015 के बाद से कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और उनका कितना भुगतान बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का सेवानिवृत्ति के समय ही भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन परिलाभों का कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को समय पर पेंशन परिलाभ दिलाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर स्थित डीलक्स आगार में अप्रैल, 2015 के बाद से कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब-कब सेवानिवृत्त हुए और उनका किस-किस मद में कितना-कितना बकाया है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त आगार के कतिपय अधिकारी/ कर्मचारी उक्त बकाया के संबंध में न्यायालय में गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन और न्यायालय द्वारा क्या निर्णय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार उक्त आगार के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके बकाया का कब तक भुगतान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अप्रैल, 2015 के बाद (31 दिसम्बर, 2018 तक) 3964 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में लगभग 3000 कर्मचारियों का 238.00 करोड़ रुपये के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान बकाया है।

इस बकाया का मुख्य कारण यह है कि भाजपा की सरकार आज तक के रिटायरल ड्यूज 300 करोड़ रुपये बकाया छोड़कर गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब प्लीज। यह मेरा काम है, आपका

(श्री अध्यक्ष)

काम नहीं है। आप मंत्री रहे हैं। क्या आप मेरा काम करेंगे? मंत्रीजी, जो लिखा हुआ है, वह ही जवाब दीजिए। जो आपने रिटन जवाब दिया है, Please read that. मंत्रीजी, मैं निवेदन करा हूं कि जो चीज आपने लिखकर दी है, कृपया उसी को पढ़ें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं वही पढ़ रहा हूं। ये पूछने वाले थे तो पहले ही बता दिया।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आपके स्प्रिंग लगी हुई है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं वही पढ़ना चाहता हूं। मुझे पता था राठौड़ साहब खड़े होंगे, इसलिए पहले बता दिया।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। माननीय मंत्रीजी, नहीं। Please, don't take liberty.

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): अध्यक्ष जी, सॉरी। (2) निगम की रोकड़ तरलता की उपलब्धता के आधार पर भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पर ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके परिलाभों का भुगतान किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पेंशन परिलाभ देने हेतु वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। वित्त विभाग से चर्चा के उपरांत इस हेतु कार्य योजना बनाए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) जयपुर स्थित डीलक्स आगार में अप्रैल, 2015 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके बकाया भुगतान से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(5) जी हां। डीलक्स आगार के अधिकारी/कर्मचारी जो कि सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान हेतु न्यायालय में गये उनका एवं उनके भुगतान का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(6) माननीय न्यायालय द्वारा निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी वरीयता के आधार पर भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर निगम के अधीनस्थ डीलक्स व अन्य आगार/

(परिवहन मंत्री)

यूनिटस के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभों का भुगतान उनकी वरीयता के आधार पर किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से स्पेसिफिक दो ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक तो आप वित्त विभाग से चर्चा करके इसका रोड मैप कब तक बना देंगे? ये जो 300 करोड़ का भुगतान बकाया है, चाहे इधर का हो, चाहे उधर का हो, सरकार का बकाया है और आपने जो अपने चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 18 में 'रोडवेज के कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए सकारात्मक ठोस नीति'- ये निर्धारण कब तक करेंगे? मुझे स्पेसिफिक ये दो ही बता दें कि वित्त विभाग से करके कब तक इसकी भुगतान की तिथि सुनिश्चित हो जाएगी? घोषणा पत्र के अनुसार इन रोडवेज कर्मचारियों की पूरी मांगें कब तक मान ली जाएंगी?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार पूरी तरह से चिंतित है। जब रोडवेज के कर्मचारियों ने चुनाव के समय हड़ताल की थी, तब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के उस वक्त भी अध्यक्ष थे, आज भी अध्यक्ष हैं और अभी उप मुख्य मंत्री के रूप में सचिन पायलट जी यहां बैठे हैं, तब मैं सचिन पायलट जी के साथ वहां गया था और हमने रोडवेज के कर्मचारियों से कहा था कि आपकी जो भी मांगें, जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों व मांगों को हम जन घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। उनकी मांगों पर सकारात्मक सोच के साथ डिस्कस करके क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ा हुआ बड़ा गम्भीर प्रश्न है, जवाब कोनि पूछनो चाहवे हैं, सुननो चाहवे है याने दिक्कत काहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले उत्तर सुनें। उत्तर सुनना है या नहीं आपको?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): स्पेसिफिक दो ही बातें पूछी थीं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): जवाब सुनबा की ताकत राखो। कमाल कर रिया हो। मजा तो ल्यो थे, जवाब तो सुनो। इतना डरो तो.....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, please address the Chair.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): प्रताप सिंह बोल सी तो भाषण भी चाल सी। आदत है म्हांकी तो, सड़क पर लड़ाई लड़ी हां।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां अध्यक्ष जी, सारी-सारी। अध्यक्ष जी, रोडवेज के साथ बड़ा अन्याय और पाप हुआ और जिन्होंने पाप किया, वे आज विपक्ष में बैठे हैं। रोडवेज का इन पांच वर्षों में टोटल घाटा भाजपा सरकार ने 3160 करोड़ का घाटा किया है। रोडवेज का कर्मचारी परेशान था, दुःखी था, 1133 परमिट लोक परिवहन सेवा के इन्होंने जारी कर दिये। लोक परिवहन सेवा के परमिट में करोड़ों का घोटाला हुआ और 6 महीने की समीक्षा तो हम कर ही रहे हैं। मैंने आते ही लोक परिवहन सेवा के परमिट पर रोक लगायी। वह रोक इसलिए लगायी कि पुरानी सरकार ने तय कर रखा था कि रोडवेज को मारना है। न रोडवेज के कर्मचारी की चिंता थी, न रोडवेज की चिंता थी। आज भी गांव का गरीब आदमी इंतजार ही करता है कि रोडवेज की सरकारी बस आयेगी। आयेगी कहां से सरकारी बस का लोहा खा गये, टायर खा गये, रिम खा गये। कुछ छोड़ा ही नहीं वहां पर। इस पूरे घाटे के लिए पुरानी भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष जी, स्पेसिफिक दो क्वेश्चन पूछे थे। यह कौन-सा भाषण दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष जी, यह अलाउ कर रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप सब नीचे बैठिए। शोर-शराबा बंद कर दें। आप दो मिनट सुन सकते हैं। माननीय मंत्रीजी, क्वेश्चन आवर की महत्ता यही है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए और स्पेसिफिक जवाब दिया जाए। मैं अपेक्षा करूंगा कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अबाउट सेवानिवृत कर्मचारियों के संबंध में, उसका स्पष्ट जवाब दें, बैटर रहेगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने मुझे डायरेक्शन दे दिया, अच्छा किया। उससे मेरा ज्ञानवर्द्धन हुआ, मैं ध्यान रखूंगा। अध्यक्ष जी के आदेश की पूरी पालना होगी। मैं अध्यक्ष जी का बहुत सम्मान करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बचपन नजर आ रहा है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां, बचपन नजर आ रियो है, थे बचपन सू मनै जानो हो के। बचपन भारी पड़े है थां पर।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी प्लीज। आपको मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, please address the Chair. Don't take cognizance. क्या कमेंट कर रहे हैं? स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है, उसका स्पष्ट जवाब दे दें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, मुझे कहा गया कि बचपन नजर आ रहा है। चालो बचपन तो कम सूं कम नजर आ रियो है। पायलट साहब कै तो और ज्यादा नजर आरयो होलो। वे म्हारे सूं भी छोटा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, I am very sorry. मंत्रीजी यदि सदन की गरिमा को नहीं रखेंगे तो सदन में हम अच्छी परम्परा का निर्वहन नहीं करेंगे। मुझे कठिन बात, कड़वी बात कहनी पड़ेगी। कृपया जो क्वेश्चन है, उसका स्पेसिफिक आंसर दें, don't take cognizance. जो माननीय सदस्य हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि बैठे-बैठे बोलेंगे तो, I will deprive him. यदि क्वेश्चन पूछने का मौका आएगा तो मैं मौका नहीं दूंगा। जो डिसीप्लीन में होंगे उन्हीं को मौका दूंगा। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, be specific.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, जहां तक पेंशन के परिलाभ देने का सवाल है, रोडवेज के कर्मचारियों के साथ जो भी प्रोमिस हमने किये हैं, उन सारे प्रोमिस का उल्लेख हमने जन घोषणा पत्र में, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी सचिन पायलट जी के साथ बैठकर उस वक्त किया। जन-घोषणा पत्र को मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी और उप मुख्य मंत्री सचिन पायलट जी की उपस्थिति में कैबिनेट जब हुई तब कैबिनेट के माननीय सदस्यों की उपस्थिति में जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना दिया गया है। उस जन-घोषणा पत्र के अनुसार आप यह मानकर चलिये कि मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री और पूरी कांग्रेस की सरकार इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि रोडवेज को घाटे से भी उबारें और रोडवेज के जो सेवानिवृत्ति के परिलाभ हैं, वह समय पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके, बातचीत करके पुराने जितने घाटे हुए हैं, उन घाटे के कारणों का पता करके, उसमें कितना करप्शन हुआ है, उसकी जांच करके समय पर कैसे परिलाभ दिये जा सकते हैं? उसकी सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस पूरी बात को लेकर पूरी सरकार चिंतित है। एक मैंने आदेश जारी किया है, रोडवेज के कर्मचारियों को शामिल करते हुए अधिकारियों व रोडवेज के कर्मचारियों की एक जाइंट कमेटी बनायी गयी है, जिसमें यह तय कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि न तो कर्मचारियों को पेंशन मिली, न रोडवेज की बस बढ़ी, न नये रूट

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

खुले, न नयी रोडवेज मिली, फिर भी रोडवेज घाटे में कैसे आ गयी और उस घाटे के लिए जिम्मेदार कौन है? सारी जांच भी हो रही है और कब उनको पेंशन के परिलाभ फाइनेंस से बात करके, फाइनेंस उपलब्ध कराकर किये जा सकते हैं? फिर भी माननीय सदस्य चाहेंगे तो मेरे पास आएं, मेरे छोटे भाई हैं। बिलकुल आपसे बातचीत करके, आपका कोई सुझाव होगा, उसको लेंगे और जो भी कर्मचारियों की मांगें होंगी, जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना दिया गया है, उन कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित किया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रामप्रसाद।

प्रदेश में जनजाति सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति

20. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जनजाति परिषद का अध्यक्ष मुख्य मंत्री को बना दिया गया था? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनजाति परिषद का अध्यक्ष किसी आदिवासी को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत किया जाता है।

- पांचवीं अनुसूची के भाग-ख के 4 (3) के अनुसार - राज्यपाल

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या को उनकी नियुक्ति की और परिषद् के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को,

(ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को और

(ग) अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को,

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

यथास्थिति विहित या विनियमित करने के लिये नियम बना सकेगा।

• राजस्थान राज्य में संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग-ख में प्रदत शक्तियों के अनुसार माननीय राज्यपाल राजस्थान द्वारा राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्षा/सदस्यों की नियुक्ति तथा संचालन हेतु राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद नियम 1980 बनाये गये हैं। (नियम 1980 एवं नियमों में संशोधन दिनांक 15.06.2016 की प्रति संलग्न)

(2) राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद नियम 1980 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15.06.2016 में संशोधन कर राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद का माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार को अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(3) संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार माननीय राज्यपाल को जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्षा/सदस्यों की नियुक्ति एवं उनकी रीति निर्धारित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 1980 बनाये गये, उस नियम 1980 एवं नियमों में संशोधन 15.06.2016, क्या ऐसा संकट आ गया जिसकी वजह से यह संशोधन करना पड़ा? इसको थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पिछली सरकार सत्ता में थी उस समय माननीय जनजाति मंत्री द्वारा कई तरह की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रतिपक्ष के नेता और सबने मिलकर उनकी शक्तियों को कमजोर करने का काम किया है। उसमें पूर्ण नियमावली माननीय सदस्य के, प्रति संलग्न है।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): शक्तियों को कम करने का प्रयास किया गया उस वक्त तत्कालीन मंत्री नंदलाल मीणा डूंगरगढ़ में उद्घाटन समारोह में आए थे, क्या भील प्रदेश का समर्थन करने की वजह से उनको पद से हटाया गया और उनकी शक्तियों को कम किया गया? इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। मैं समझता हूं प्लीज....

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): जी हां, साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): फिर यह सरकार क्या करेगी उसमें?

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज, आप बैठे प्लीज।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं निवेदन कर रहा हूं गलत परम्परा बन जाएगी।

श्री अध्यक्ष: गर्ग साहब, प्लीज बैठिए। अगला प्रश्न...(व्यवधान) अगला प्रश्न, बैठिए प्लीज। आप बैठिए, please be seated. अगला प्रश्न किरण माहेश्वरी।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

राजसमंद झील में देवास परियोजना से जल परावर्तन

21. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजसमंद झील में पानी की स्थाई आवक के लिए देवास परियोजना से जल परावर्तन का प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है?

(2) उक्त झील में पानी की स्थाई आवक के लिए अन्य स्रोतों से जल परावर्तन हेतु क्या सरकार ने कोई तकनीकी अध्ययन करवाया है? यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला), (जल संसाधन मंत्री के स्थान पर): (1) राजसमंद झील में पानी की स्थाई आवक के लिए देवास परियोजना से जल परावर्तन हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त झील में पानी की स्थाई आवक के लिए अन्य स्रोतों से जल अपवर्तन हेतु तकनीकी अध्ययन नहीं करवाया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी कि क्या वर्ष 2015-16 के बजट में फेज नम्बर देवास तीन और चार का पानी राजसमंद झील में लाने की डीपीआर की घोषणा बजट के अंदर की गई थी? क्या वर्ष 2016-17 में फेज थ्री और फोर का पानी राजसमंद झील में लाने के लिए 01 हजार 56

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करोड़ की घोषणा की गई थी? मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या वर्ष 2018-19 के बजट में और अन्य स्रोतों के अंदर माही से भी राजसमंद झील के अंदर पानी लाने के संदर्भ में डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के अंतर्गत राजसमंद जिले के लिए देवास तृतीय से 01 हजार 64 करोड़ की लागत के कार्य बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण के माध्यम से करवाए जाएंगे, लेकिन तत्कालीन जलदाय मंत्री महोदया द्वारा 10.5.2016 को ली गई रिव्यू बैठक में राजसमंद झील में देवास का पानी सुरंग आदि के स्थान पर पाइप लाइन से अपवर्जित किए जाने के निर्णय की पालना में जल संसाधन विभाग द्वारा डीपीआर का कार्य बंद कर दिया गया।

आपने तीसरी बात यह उठाई कि बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के अंतर्गत उदयपुर तथा राजसमंद में दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाखम तथा देवास तृतीय एवं चतुर्थ से पानी ले जाने के लिए परियोजना तैयार की जाएगी। किन्तु दिनांक 4.9.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सैद्धांतिक रूप से यह सहमति प्रदान की गई कि देवास तृतीय एवं चतुर्थ से उपलब्ध हजार एमसीएफटी पानी पेयजल हेतु उपयोग में लिया जाएगा तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा देवास तृतीय एवं चतुर्थ की लागत मय 11.045 किलोमीटर टनल हेतु राशि उपलब्ध करवाने की सहमति प्रदान की गई जिसके अनुसार देवास तृतीय एवं चतुर्थ का पानी उदयपुर शहर हेतु उपयोग में लिया जाना प्रतीत होता है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा देवास तृतीय एवं चतुर्थ का पानी उदयपुर ले जाने का निर्णय दिनांक 04.9.2018 को किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने यहां रिप्लाई दिया यह अपने आप में ही किस तरीके का कंट्रोवर्शियल रहा यह आप स्वयं इसको समझ सकते हैं। जो जवाब इन्होंने दिया उस जवाब में इन्होंने कहा है कि इस प्रकार की कोई जल परावर्तन हेतु देवास परियाजना विचाराधीन नहीं है। दूसरा इन्होंने जवाब में कहा कि ऐसे पानी की स्थाई आवक के लिए अन्य स्रोतों से भी जल अपवर्तन करने हेतु ऐसा कोई तकनीकी अध्ययन नहीं किया गया। जबकि आप स्वयं अपनी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रिप्लाई में यह कह रहे हैं कि इसका डीपीआर बना, 2011 में बना, 2015-16 में बना, 2016-17 में घोषणा हुई, आपने कहा 2017-18 के अंदर माही से भी पानी राजसमंद और उदयपुर में लाया जा सकता है। मंत्री महोदय स्वयं एक तरफ तो जो लिखित में जवाब दिए जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इस स्ट्रिक्टनैस को यहां पर अमल में लाएं कि अधिकारी इस प्रकार के जो जवाब देते हैं, जवाब हम लोगों को, पूरे सदन को गुमराह करते हैं, जवाब में कहा जाता है कि इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जब हम पूरक प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंदर माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि हां इस-इस ईयर के अंदर यह-यह चीजें हुई थीं और इस-इस कारण से हुआ। यह किस प्रकार का कंट्रोवर्शियल का जवाब है? इसके ऊपर जो दिया गया है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप सीनियर हैं, यदि गलत जवाब दिया तो एक दूसरा तरीका है अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का, आप उसको उस माध्यम से लेकर आएं। जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी, उनकी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद, अगला प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न तो करिए लेकिन मैं इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा चाहती हूं। हम लेकर आएंगे और उस पर आप विचार करके इसको सदन में रखिएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गिरधारी लाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष जी...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या बोलें बस।

बीकानेर जिले में नरेगा योजना के बकाया का भुगतान

22. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले में नरेगा योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 2016 से 11 जनवरी, 2019 तक कितने पक्के निर्माण कार्य करवाये गये? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में नरेगा के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का सामग्री मद का भुगतान कब से और कितना बकाया है? कार्यवार, पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गिरधारीलाल)

(3) क्या सरकार उक्त बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: बस बैठें आप।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) बीकानेर जिले में 1 जनवरी, 2016 से अब तक 9026 पक्के निर्माण कार्य करवाये गये। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बीकानेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कुल राशि रुपये 3757.51 लाख का भुगतान सामग्री मद (अकुशल श्रम मद पर किए व्यय को छोड़कर) में बकाया है।

कार्यवार, पंचायतवार एवं वर्षवार बकाया विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सामग्री मद में राशि प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रीजी ने जवाब दिया कि बीकानेर जिले के अंदर महानरेगा के तहत जितनी राशि निर्माण संबंधी बकाया चल रही है, लम्बे समय से चल रही है, सबसे कमजोर तबका है, कैटल शेड जो अनुसूचित जाति के लोगों ने बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से जवाब आया है कि केन्द्र सरकार से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी तब राशि का भुगतान किया जाएगा। कमजोर तबका नरेगा में काम करता है क्या वह भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच फुटबाल बना रहेगा, कब तक इंतजार करेगा, क्या निश्चित होगा?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्य बलवान जी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): हमारा कहना है भारत सरकार पर डाला है, पेमेंट राज्य सरकार कब तक करा देगी, सुनिश्चित करें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य बलवान जी।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): महानरेगा से जुड़ा हुआ सवाल है ... (व्यवधान) सीधा सा प्रश्न है। क्या राजस्थान में महानरेगा शुरू होने के बाद से आज तक फार्म 6 सभी जिले, सभी पंचायतें, सभी तहसीलें इस्तेमाल कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: पहले उन्होंने प्रश्न पूछा। माननीय मंत्रीजी।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है वह बहुत मार्मिक भी है और बहुत वास्तविकता से जुड़ी हुई भी है। नरेगा जैसा कि आप खुद जानते हैं, आप इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, नरेगा एक डिमांड ड्रिवन एक्ट के तहत बनाया गया था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले तीन-चार सालों में राजस्थान में नरेगा लगभग समाप्त हो गया था। हम लोगों ने 05 जनवरी को विशेष अभियान जारी किया, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि जहां पिछले वर्ष सिर्फ 12 लाख 52 हजार लेबर काम कर रहे थे, आज वहां पर हमने सिर्फ 15-18 दिनों में बढ़ाकर उसको 23 लाख 46 हजार कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि फार्म 6 का प्रयोग करने के लिए हमने विशेष आदेश जारी किया है। हमने काम मांगो अभियान चालू किया है। भारत सरकार से निवेदन किया है कि यह भारत सरकार का गरीबी उन्मूलन का एक्ट है जिसके प्रति भारत सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। राजस्थान अग्रणी राज्य है जहां पर हम लोगों ने नरेगा श्रमिकों की संख्या बढ़ाई है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जितना जल्दी हो सकेगा हम नरेगा का पेमेंट करेंगे। एक और आंकड़ा, पिछले साल हड़ताल हो गई थी लेकिन इस बार 83 प्रतिशत पेमेंट समय पर हो रही है, धीरे-धीरे इसको और बेहतर बनाएंगे। नरेगा को मजबूत करके इस प्रदेश में जो गरीब तबका है उसकी मदद करने का पूरा काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्लीज बैठें, आप। माननीय सदस्य, प्लीज, बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें, प्लीज।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा शहर के वार्ड नम्बर 4 व 5

(श्री अध्यक्ष)

के कुछ भाग को वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर करवाकर वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से हाल ही में जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने के कारण विकास कार्यों के ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से ग्राम सहकारी समिति, को-आपरेटिव बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा किसानों के ऋण माफी की आड़ में किये गये करोड़ों रुपये के गबन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के वन क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के महाविद्यालयों में बदले की भावना से शिक्षकों का स्थानान्तरण दूरस्थ स्थानों पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती अनिता भदेल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय में न्यायालय की रोक के कारण कुलपति का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से यू.आई.टी. पेरीफेरी क्षेत्र में किसानों व जनजाति के परिवारों को पट्टे न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री गिरधारी लाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में किसानों के बिजली के बिल जमा न होने के कारण कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बाजरा, मूंगफली व मूंग की सरकारी खरीद में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री गुलाब चन्द कटारिया व पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गुजरात की तर्ज पर गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा उनके जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा के अनुरूप गुर्जर समाज को पिछड़ा/ अति पिछड़ा आरक्षण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री बाबुलाल (झाड़ोल), सदस्य की ओर से जनजाति उपयोजना में किसानों को आत्मरक्षा हेतु उपलब्ध करवाये गये टोपीदार बंदूकों के नवीनीकरण हेतु वसूले जा रहे विलम्ब शुल्क से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री हनुमान बैनिवाल, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा के गनोड़ा तथा बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र के गुवाड़ी-माजहरी में पूर्ववर्ती सरकार के विशेष पैकेज के सहयोग से मंजूर हुई शराब फैक्ट्रियों की स्वीकृति निरस्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री बाबुलाल (झाड़ोल) एवं श्री हनुमान बैनिवाल को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती जिला स्तर पर किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में मेडिकल कालेज प्राचार्य द्वारा दवा खरीद एवं टेण्डरों में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर ट्रोमा सेन्टर खोले जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली के अंतर्गत एक ही अधिकारी को प्रदत्त अधिकार समाप्त कर छोटे खान व्यवसायियों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा जिले की पंचायत समिति लाडपुरा के कतिपय गांवों के विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में आपणी योजना से जुड़े गांवों में पेयजल समस्या का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से भंवररासा/कालीसिंध बांध के द्वितीय चरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री प्रतापलाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में राजस्व कैम्प लगाकर काश्तकारों की समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 का निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद भी कम्पनी द्वारा टोल टैक्स वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को पुन: संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कतिपय गांवों में बांधों एवं एनीकटों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 22 जनवरी, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 24 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
1.	श्री बिहारी लाल	राजस्थान प्रशासनिक सेवा, 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के परिणाम शीघ्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री अविनाश	नगरपालिका क्षेत्र जैतारण में नगरपालिका द्वारा सीवरेज कार्यों व पट्टे नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री गणेश घोघरा	नगर परिषद, डूंगरपुर जिले की पेरीफेरी के बारे में जानकारी दिये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री मदन प्रजापत	विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में चिकित्सालयों में रिक्त पदों से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गरीब सवर्णों को गुजरात की तर्ज पर 10 प्रतिशत आरक्षण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष करके सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आर्थिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं, उनको भी आरक्षण मिले, यह बात आज से नहीं, कई वर्षों से, इस बारे में बराबर इसका, विभिन्न आयोगों के द्वारा मंथन हुआ है, उनके सुझाव आये हैं। 1979 में पहले जो मण्डल आयोग बना था, उस मण्डल आयोग की रिपोर्ट में भी, जो 1980 में आ गई थी, उसमें भी यह था कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जो समाज हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिये क्योंकि कई परिवार और कई, जो जनसंख्या है, वह आर्थिक दृष्टि से इतनी पिछड़ी हुई है कि उसकी कल्पना भी कोई आसानी से नहीं कर सकता है। इस बात का पूरा अध्ययन करने के बाद मण्डल आयोग ने सब प्रकार के एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद अपनी जो राय 1980 में दी थी, उसमें भी इनको आरक्षण देने की बात कही थी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसके बाद, आपने देखा होगा, राजस्थान की पिछली सरकार ने 2008 में इसी सदन में सभी माननीय सदस्यों की सर्वसम्मति से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को 14 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाये, एक बिल पास किया, जो हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य का पहला बिल था, हमने पास करके भेजा, लेकिन वह भी आगे नहीं बढ़ पाया।

उसके बाद आपने देखा होगा एक और आयोग बना था, 2010 में, वह है सिन्हो आयोग, उसने भी अपनी रिपोर्ट में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाये, यह 2010 में अपनी रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही उस समय के जो नरसिम्हारावजी देश के प्रधान मंत्री थे, नरसिम्हारावजी ने भी एक आदेश निकाल करके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाये, यह सारी बात कहने के पीछे मेरा भाव यह है कि आर्थिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं, उनको और उनके बच्चों को भी शिक्षा में और नौकरी में, विशेषत: प्रायोरिटी मिले, यह भाव केवल एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, हिन्दुस्तान की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों का मन मानस था, और सबने अपने-अपने स्तर पर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ कानूनी कमियां रहने के कारण से, जैसे ही वह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, वह सारे के सारे एक तरह से रद्द हो गये। लेकिन मंशा सबकी जिन्दा रही थी कि किसी न किसी दिन इस देश के जन प्रतिनिधि, इस देश के लोक सभा और राज्य सभा में रहने वाले लोग, विभिन्न विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उस आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाज के बारे में भी, जो वास्तव में कहने के लिये तो वह सवर्ण कहा जाता है या सामान्य वर्ग का कहा जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जिसको इस प्रकार की मदद की आवश्यकता है।

इस बात को ध्यान में रख करके, आपने देखा होगा कि इस साल, अभी केन्द्र सरकार लोक सभा में भी और राज्य सभा में भी अपना एक संशोधन विधेयक लाई और उस समस्या का निदान किया, जिसके कारण से कोर्ट में हर बार चुनौती दी जाती थी और कोर्ट की चुनौती के कारण से वह हमेशा 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं जा सकता, इस आधार को लेकर इन्दिरा साहनी केस का आधार ले करके वह एक तरह से रिजेक्ट हो जाता।

अबकी बार सरकार ने इस बात की व्यवस्था की कि हम क्यों नहीं संविधान में ही संशोधन कर दें, संविधान के संशोधन के बाद इस प्रकार का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर आरक्षण दिया जाएगा तो यह कानूनी दृष्टि से चुनौती लायक नहीं होगा, इस बात को सोच कर केन्द्र की सरकार ने यह आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उनका आरक्षण का बिल पहले लोक सभा में रखा और लोक सभा में रखकर उन्होंने जो परिवर्तन किया, उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वह है, आर्टिकल 15 में एक 6 क्लाज जो है और 16 में भी 6 के बारे में स्पष्टीकरण दिया, उसमें कहा है कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लोग होंगे जो राज्य सरकार द्वारा कुटुम्ब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। इसमें जिस प्रकार कंडीशन लगाई अगर राज्य सरकार चाहे तो उसमें समय-समय पर परिवर्तन कर सकती है, जिन आधारों को देकर हमने इसमें जो परिवर्तन किया है।

सबसे बड़ी इसमें जो बात थी, इस संशोधन की जो खासियत है, इसमें न तो शिड्यूल्ड कास्ट कहीं प्रभावित हुई है, न शिड्यूल्ड ट्राइब्स प्रभावित हुई है और न ओ.बी.सी. प्रभावित हुई है। जो आरक्षण की श्रेणी में अब तक आते हैं 50 परसेंट के अंदर, उनके हकों को कहीं भी इसमें से डिनाई नहीं किया, रोका नहीं गया है। यह 10 परसेंट उससे बाहर का है, इसके कारण से इसमें यह है।

अब इसमें कई बार, सभी प्रकार के धर्म इसमें आते हैं, सभी प्रकार की जातियां इसमें आती हैं, सभी प्रकार के वर्ग इसमें आते हैं चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो या चाहे वह बनिया हो या चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे वर्ग को इसमें सम्मिलित करते हुए इस आदेश को निकाला और उसके कारण से राज्य सभा और लोक सभा दोनों में, दो तिहाई बहुमत से इसको स्वीकृति मिली। सभी दलों ने इसका, एक तरह से अपना पक्ष उसके पक्ष में रखा और उसके कारण से यह कानून का स्वरूप बना। राष्ट्रपति के दस्तखत हुए, राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई राज्यों ने भी इसमें अपनी पहल की है और उसमें से आपने देखा होगा कि इस 10 प्रतिशत के आरक्षण में जो-जो भी, गुजरात ने इसमें अपनी सहमति दे दी, झारखंड ने अपनी सहमति दे दी, उत्तर प्रदेश ने अपनी सहमति दे दी और अभी हिमाचल और उत्तराखण्ड में यह विचाराधीन है जहां अपनी स्वीकृति उसे मिलेगी, ऐसा वहां की सरकार चाहती है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं यहां पर इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है। मैं सोचता हूं कि इस विषय पर पिछली बार आपकी सरकार के समय में भी इस विषय पर अपना विचार हुआ था और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए था, इस पर सहमति थी। हम लोगों ने भी 14 परसेंट के आरक्षण को अपनी सर्व-सम्मति से, सहमति से भेजा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें पहल करे। सदन का नेता इस बारे में पहल करे कि राजस्थान जैसे राज्य में भी कई आर्थिक दृष्टि से ऐसे लोग पिछड़े हैं जिनको 50 परसेंट से बाहर अर्थात्, 10 परसेंट अतिरिक्त है, किसी के भी हक को कहीं मारा नहीं जा रहा है लेकिन जो इस दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनको मदद दो। इसमें कई बार एक जो तर्क आया था कि ओ.बी.सी. को तो आपने आरक्षण दे रखा है उसकी इनकम की जो लिमिट है वह 6 लाख की कर रखी है लेकिन 2015 में उसको भी बदलकर 8 लाख की उसमें स्वीकृति दे दी। इसमें भी जो स्वीकृति है वह 8 लाख तक की आय के लोगों को इसमें कवर करने का प्रयास किया है और इसी तरह से जिसके पास दो हैक्टेयर से अधिक जमीन नहीं है, वह इस श्रेणी में आता है। जिसका प्लाट 100 वर्ग गज से ज्यादा नहीं है, वह इस श्रेणी में आता है तो उन सारे के सारे मापदंडों को लगाते हुए आर्थिक दृष्टि से जो लोग कमजोर हैं, उनको भी सारा देश और सारे देश की लोक सभा और राज्य सभा ने, जिसमें किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं है या किसी एक पार्टी के लोग नहीं थे। हिन्दुस्तान की लगभग 99 परसेंट पार्टियों ने इस संशोधन को अपना समर्थन दिया है।

मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि यह सरकार राजस्थान के उन बच्चों को भी जो इस दृष्टि से मदद की एक तरह से उम्मीद लगाये बैठे हैं, मदद चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उनको यह मिले तो इसमें बिना विलम्ब किये हुए अब राजस्थान सरकार भी इस प्रकार की सहमति का कोई बिल लेकर आए ताकि इस सदन से स्वीकृति होने के बाद राजस्थान के उन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको नौकरी में भी और उनको शिक्षा में भी यह सुविधा मिल सके ताकि उनके जीवन को भी बेहतर बनाया जा सके। यही विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं।

मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें अपनी मंशा प्रकट करे। आज करे, कल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करे, दो दिन बाद करे लेकिन कम से कम यह सहमति है या नहीं है, यह तो स्पष्ट करने का प्रयास करे कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने में सरकार की क्या मनःस्थिति है?

श्री अध्यक्ष: आ गया, प्लीज। एक मिनट, कल्ला साहब बोल रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए इस विधान सभा में हमारी जब सरकार थी, उस समय हमने, मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि सवर्णों को 14 परसेंट आरक्षण मिले। इन्होंने तो 10 परसेंट किया है और वहां पर भी यह स्वयं ही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है, अब यह क्या मंशा चाहते हैं? सारी मंशा पूर्ण कर दी। इन्होंने 4 परसेंट कम दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कालीचरणजी, प्लीज। माननीय राजेन्द्र राठौड़, दूसरे पांइट पर। यह सैकिण्ड पाइंट है आपका गुर्जर वाला, इस पर नहीं। माननीय सदस्य, इस पाइंट पर नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका कहां है? आप कोई वकील हैं क्या? Please, be seated. वह खुद सीनियर आदमी हैं। आप क्यों खड़े हुए? आप एडवोकेट हैं? Please, be seated. वह काम्पीटेंट हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप कौन हैं मुझे कहने वाले? आप मुझे गाइड करेंगे क्या? आप मुझे गाइड करेंगे क्या? आप नियम से चलिये। आप मुझे गाइड करेंगे क्या कि मुझे किसको बोलने देना है? आप सीनियर नेता हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत विस्तृत बोल दिया है। स्थगन प्रस्ताव दो मिनट का होता है, मैंने सात मिनट अलाऊ किया बिकॉज, प्रतिपक्ष के नेता ने उठाया, गम्भीर प्रश्न है। सरकार जब गवर्नर एड्रेस में जवाब देगी तब हम यह अपेक्षा करेंगे कि इस बारे में बताए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप जवाब दिलवाओ। एडजोर्न मोशन पर सरकार से जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please, be seated. आप बैठिये, प्लीज। Please, be

(श्री अध्यक्ष)

seated. क्यों एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं? बाकी तो नियम की बात करते हैं और खुद नियम तोड़ेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा तो नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको आपका जो दूसरा पाइंट है स्थगन प्रस्ताव पर, उस पर बोलने के लिए अलाऊ किया है।

गुर्जर समाज को आरक्षण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस जन घोषणा पत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं जो आज सरकारी दस्तावेज है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप विराजे हैं। आपकी सहमति से उसके पृष्ठ-30 के पैरा-1 में यह कहा गया कि - 'कांग्रेस सरकार ने ही महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा बिल पर हस्ताक्षर करवाकर कानून बनवाया था कि गुर्जर, रायका, बंजारा, गाड़िया लुहार को SBC का 5 प्रतिशत आरक्षण कानूनी रूप से मिले यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध है।'

मैं कांग्रेस की इस संकल्पबद्धता के साथ खुद के संकल्प को शामिल करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले ही गुर्जर आरक्षण समिति के जो अध्यक्ष हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जो दो दशक से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्होंने बीस दिन के अंदर-अंदर अगर 5 फीसदी गुर्जर समाज को आरक्षण नहीं मिला तो आंदोलन की चेतावनी दी है और 27 जनवरी को खंडार से इस आंदोलन को उन्होंने प्रारम्भ किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए चिंतित हूं, इसलिए आपसे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने अनुमति मांगी थी कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि सरकार हमारी थी या किसी की भी थी, जब-जब गुर्जर समाज सड़कों पर आया है, पटरी पर गया है, निश्चित तौर पर जन-धन की हानि हुई है और उसके साथ जन जीवन अस्त-व्यस्त भी हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, सत्ता परिवर्तित हुई है, यह मैं मानता हूं और सत्ता परिवर्तन के इस दौर के अंदर जो पाइंट फाइव परसेंट का अंतर है, उन मतों के अंदर गुर्जर समाज ने एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया। वह कैटलिस्ट के रूप में इसलिए काम किया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि गुर्जर समाज का व्यक्ति यह चाहता है कि आज जिनके नाम के आगे 'उप' लगाया गया है, वह राज्य के सर्वोच्च पद पर विराजें और उसके साथ-साथ उसके मन में एक बात और भी थी, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, कि वर्षों से कानूनी पेचीदगियों में जो यह गुर्जर आरक्षण गुम गया है, उसको आपने चूंकि, संकल्प लिया है और आप उस समाज की अगुवाई करते हैं, आप पर विश्वास करते हुए, उप मुख्य मंत्रीजी, उन्होंने आपका बहुत बड़ा साथ दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने अपने संकल्प पत्र में यह कहा कि राज्यपाल महोदय से हमने हस्ताक्षर करवाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का साक्षी यह सदन है कि जुलाई, 2008 के अंदर इस सदन ने सर्व-सम्मति से गुर्जर सहित पांच जातियों को अति पिछड़ा मानते हुए आरक्षण देने का विधेयक पारित किया। तत्कालीन जो हमारे महामहिम राज्यपाल थे, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा कि वह कौन थे, किसके पिताजी थे, राज्यपाल का क्या नाम था, पर एक वर्ष तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। यह इस बात का षडयंत्र आज साफ हो गया कि वह सरकार जो उस वक्त में, वह पार्टी जो उस वक्त में थी, एक वर्ष तक महामहिम राज्यपाल महोदय से हस्ताक्षर नहीं करवाये, आज जब आप यह संकल्प करें तो आप पर कैसे विश्वास कर लें? यह आरक्षण ले लो, आरक्षण ले लो का खेल चल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, आपने मुझे मना किया है पर आज एक ओर पहली बार पचास फीसदी से ज्यादा आरक्षण मिल सकता है, इसका संविधान में संशोधन हुआ है।

यह पहली बार हुआ है। इस संशोधन के बाद में सभी समाजों के लिये और गुर्जर समाज के दिमाग में भी यह बात है, उनके मन में भी बात आयी जब आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण के लिये संविधान में संशोधन हो गया और इंदिरा साहनी और एम. नागराज ने जो 50 प्रतिशत की एक पर्दी खींची थी, एक रेखा खींची थी, उसके बाहर जब आरक्षण मिल गया तो हमारे समाज को भी आरक्षण क्यों नहीं मिले। शक इसलिये चला गया, अध्यक्ष महोदय, कि 2009 में पहली बार जब यह स्टे हुआ, 4.11.2009 को माननीय उच्च न्यायालय ने जी. शर्मा बनाम राज्य सरकार में उस 2008 के एक्ट को स्टे किया था। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। 2010 में जब इस आरक्षण को रद्द किया गया, उसके बाद 2008 से 2013 तक तत्कालीन सरकार ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गुर्जर आरक्षण के लिये ईमानदारी नहीं दिखायी और आधे-अधूरे मन से सिर्फ एक कमीशन बनाकर भूल गयी। इसलिये गुर्जर समाज के मन में संशय हो गया और मैं इस बात का साक्षी रहा हूं, एक बार नहीं, अध्यक्ष महोदय, जुलाई, 2008 में और 9.10.2015 में दो बार तत्कालीन सरकार ने गुर्जर सहित 5 प्रतिशत, पांच जातियों को पांच गुना आरक्षण देने की बात कही और वह आरक्षण इसीलिये रद्द हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया कि इंदिरा साहनी के केस के अंदर 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आजकल आरक्षण...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज, बैठें। माननीय प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, संयम जी। माननीय संयम जी, बैठें प्लीज। संयम जी, प्लीज बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या बात कर रहे हैं आप गुर्जरों के बारे में? ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: रामकेश जी, आप बैठें। प्लीज बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): This is my possession...(Interruptions)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठिये, प्लीज बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): This is my possession, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह गलत परम्परा नहीं डालें। माननीय राठौड़ साहब, please wind up.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें आप। संयम जी, प्लीज बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनसे हिसाब मांगना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please wind up.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तीन दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक में अचानक एक प्रस्ताव आया, जो अखबारों में शाया हुआ कि आप 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देंगे। उस कैबिनेट की मीटिंग में यह चर्चा नहीं हुई कि आर्थिक आधार पर जिन लोगों को आरक्षण मिल गया, आर्टिकल 368 के अनुसार रेक्टिफिकेशन करना है, हाउस चल रहा है, उसकी चिंता नहीं हुई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गुर्जर समाज, जिनके लिये संकल्पबद्धता की बात हुई, उसकी चिंता नहीं हुई। चूंकि राहुल गांधीजी ने, सोनिया गांधीजी ने कह दिया...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपकी सरकार ने जो 72 गुर्जरों की हत्या कर दी, उसका जवाब कौन देगा राठौड़ साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नये आये हैं, प्लीज बैठें। माननीय सदस्य, आप नये आये हैं, नियमों का पालन करें प्लीज। आप वाइंड-अप करें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड-अप कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात नहीं है। यह आरक्षण दो, आरक्षण दो का खेल अब चलने वाला नहीं है। सदन के नेता को और उप मुख्य मंत्रीजी, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप गुर्जरों सहित पांच जातियों के आरक्षण के पक्षधर हैं या नहीं? एक शब्द भी आज तक आप बोले नहीं। उस समाज ने, जिस समाज ने आपको यहां तक पहुंचाया है, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्लीज, बाबुलाल जी। (व्यवधान) एक मिनट, बाबुलाल जी, रूकें। बाबुलालजी, एक मिनट। प्लीज बैठें-बैठें नहीं बोलेंगे।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, अभी प्रतिपक्ष के उप नेता ने जिस मुद्दे को उठाया है, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सिलसिला कब शुरू हुआ, जब पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने जाकर समाजों को भ्रमित करने का काम किया है। संविधान की बाध्यता को न समझते हुए चुनावी माहौल में वादे किये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने जन घोषणा पत्र में क्या लिखा है, आप पढ़ो न (व्यवधान)... आपने क्यों लिख दिया?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कुछ करा, इन्होंने किया ... (व्यवधान) 72 लोगों को मरवाया, बीजेपी ने मरवाया।

एक माननीय सदस्य: आपकी सरकार ने क्या किया ...(व्यवधान) गुर्जर प्रेमी हैं, आपको जानता है सारा राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, अब यह अलाउ नहीं करूंगा मैं। आप अपनी बात कह दें। आप बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे, प्लीज।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): विपक्ष के उप नेताजी ने जो बात बोली, वह बहुत विस्तार से बोली है, मैं समझता हूं कि सदन सरकार की तरफ से कुछ जवाब सुनना चाहता है। वह समय निकला, सरकार भाजपा की बनी और इस सदन के 200 सदस्यों ने मिलकर 5 प्रतिशत के आरक्षण को पारित किया था। सवाल यह उठता है कि हमारी सरकार को बने एक महीना हुआ है, लेकिन सरकार में जो लोग पांच साल तक बैठे रहे, जिनकी केन्द्र में सरकार रही, जो 56 इंच की छाती का दावा करते हैं, इतने सालों तक इतनी लचर पैरवी क्यों की सदन के अंदर? समाजों के धोखा देने का काम पहले वाली सरकार ने किया और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो लम्बे-लम्बे भाषण दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार की नाक के नीचे 72 लोगों को खून से मारा गया, हत्या की गयी। उसका जवाब नहीं है, प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। हमारी कांग्रेस की जब सरकार रही, पूरी पैरवी की गयी और किसी पर एक लाठी भी नहीं चली। संवाद करना, संवेदनशीलता दिखाना, लोगों से चर्चा करके कानून के दायरे में रहकर लोगों को न्याय दिलाना, इस पटरी पर हमारी सरकार चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो लचर पैरवी आपने की थी, उसकी बदौलत आज मामला लगातार उलझता चला गया, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने का काम अगर कोई करेगा तो हमारी सरकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, अंत में, माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने जो बात कही मेरे संदर्भ में, यह "उप" शब्द का जो उपयोग कर रहे थे, खुद का दिल का दर्द होगा "उप" लगाने का और हमारा नाम ले रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सदन का, कि मुझे एक उप मुख्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है। मैं चाहूंगा यह भी इस बात को बोलें कि प्रतिपक्ष का उप-नेता बनने पर इनको खुशी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय बाबुलाल झाड़ोल। प्लीज बैठें, बाबुलाल जी।

जनजाति उपयोजना में टोपीदार बंदूकों का नवीनीकरण

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे नियम 50 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आदिवासी क्षेत्र है और किसान हैं, अपने-अपने मवेशी होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): और उनको सरकार ने अपनी आत्म-रक्षा, अपनी सुरक्षा के लिये टोपीदार बंदूक के लाइसेंस दिये। वह शिकार नहीं करता है, लेकिन वह जंगल में जाता है, जंगल में जंगली जानवर होते हैं। जंगली जानवरों का आक्रमण होता है और उस हथियार से अपनी आत्म-रक्षा करता है। अध्यक्ष महोदय, आज उन हथियारों के लाइसेंसों का नवीनीकरण प्रशासन की लापरवाही के कारण नहीं हो पाया और लम्बे समय से नहीं हुए, इसमें उसका क्या दोष है? वह जब भी जाकर खड़ा होकर कहता है कि मेरे लाइसैंस का नवीनीकरण करिये। जो फीस होती है, वह देता है, लेकिन उनकी लापरवाही से लम्बे समय से रहने से एक-एक लाइसैंसधारी की पांच हजार, दस हजार, अट्ठारह-अट्ठारह हजार रुपये उनके आये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह गरीब आदमी है। उसकी जेब में अपने बाल-बच्चे पालने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और एक लाइसैंस के रिन्युअल के लिये 18 हजार रुपये दे दे। यहां तक कि 18 हजार रुपये होंगे तो वह नया हथियार ही खरीद लेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन गरीबों की आप मदद करें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यह कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, तो बड़ा दिल रखें। बड़ा दिल करिये और सदन में यह बताइये कि इन गरीब लोगों के हथियार का इतना पैसा है, वह नहीं दे सकते। इसलिये आप कहें कि हम यह जो पैसा है, इसको माफ करते हैं और लाइसैंस रिन्युअल करने के लिये हम प्रशासन को कहेंगे। यह आप निश्चित रूप से, यह मेरी आशा है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बैनिवाल।

बांसवाड़ा (गनोड़ा) तथा बारां (शाहबाद) क्षेत्र के गुवाड़ी-माजहरी में शराब फैक्ट्रियों की स्वीकृति

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय शराब तस्करी और शराब की नई-नई फैक्ट्रियों को विशेष पैकेज, नये-नये लाइसैंस इश्यू किये गये और अंतिम जो कैबिनेट थी जुलाई के अंदर, उसमें बारां में 367 करोड़ रुपये के डिस्टलरी और

(श्री हनुमान बैनिवाल)

लिकर बाटलिंग प्लांट और बांसवाड़ा में 342 करोड़ के निवेश से डिस्टलरी प्लांट, यह 23 जुलाई, 2018 को आदिवासी बहुल बांसवाड़ा के गनोड़ा तथा बारां जिले के शाहबाद इलाके के गुवाड़ी-माजहरी में अनाज आधारित शराब की फैक्टरी लगाने के विशेष पैकेज की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने की।

अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय शराब को लेकर बहुत बड़ा आन्दोलन भी चला था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे श्री गुरुशरणजी छाबड़ा जो लम्बे टाइम तक धरने पर बैठे थे, उस समय सदन के अन्दर इस मामले को हमने उठाया भी था। वह भूख हड़ताल पर थे। वह राजस्थान के अन्दर शराबबन्दी करवाना चाहते थे। उस समय सरकार ने एक सब कमेटी बनाई थी जो इस मामले में उनसे लगातार बात करेगी। उसमें राठौड़ साहब भी मैम्बर थे, अरूणजी चतुर्वेदी भी थे। तीन सदस्यों की कमेटी थी। इतनी बड़ी संवेदनहीनता हो गई कि उस व्यक्ति को यहां से एक किलोमीटर दूर जिस मैदान के अन्दर वह भूख हड़ताल पर बैठे थे, सरकार का कोई नुमाइन्दा उनसे मिलने नहीं गया और उनकी मौत हो गई।

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो उस समय यह भी कहा था कि जिन लोगों की वजह से मौत हुई है उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज होना चाहिए। चूंकि वजह अगर कोई हो तो उसका 306 के अन्दर आफेंस भी बनता है। हमारी बात उस समय सुनी नहीं गयी। उस समय राजस्थान के अन्दर शराब संस्कृति को लगातार बढ़ावा दिया गया।

यह जो बांसवाड़ा और बारां के अन्दर जुलाई में जिन शराब फैक्ट्रियों को विशेष पैकेज दिया गया, उसको लेकर वहां महिलाएं आन्दोलित हैं। आदिवासी महिलाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा शराब की बिक्री आदिवासी इलाकों के अन्दर होती है। हथकड़ शराब, जहरीली शराब, इनसे सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान के अन्दर हुई। हरियाणा से तस्करी होकर राजस्थान के अन्दर शराब आती है और गुजरात जहां पर शराबबन्दी लागू हुई है, वहां भी शराब जाती है। लेकिन हमारी सरकारें शराब को रोकने का काम नहीं कर पाईं। मैंने तो पूर्व में भी पूर्ण शराबबन्दी की मांग की थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सब्जैक्ट पर ही बोलें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अब तो जो सरकार बनी है, वह गांधीजी के आदर्श पर चलने वाली सरकार है तो हम उम्मीद भी करेंगे। बीस हजार करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू निश्चित रूप से सरकार को शराब से मिला

(श्री हनुमान बैनिवाल)

है, वह कहीं और से भी जुटाये जा सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से शराबबन्दी अगर राजस्थान में हो तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा। आज राजस्थान के अन्दर अपराध अगर बढ़े हैं, माफिया अगर पनपा है और गैंगवार की घटनाएं हुई हैं तो उसमें शराब का जो ब्लैक का काम है, शराब के ठेकेदार जिनको दुकान आबंटित नहीं होती, वह ब्लैक के अन्दर शराब बिकवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इतनी चिन्ता हो गई, देश के अन्दर राजस्थान इतना बदनाम हो गया, बोतल भी इस पूरे देश में बदनाम हो गई इसलिए बोतल के चिन्ह् को मुझे लेना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): एक मिनट साहब। इस बोतल के चिन्ह् को मैं इसलिए लाया कि बोतल में खाली दारू ही नहीं होती। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो बोतल लेकर जाता है। दूध की बोतल भी होती है। मिनरल वाटर, मेहमान जब आते हैं तो मिनरल वाटर के अन्दर स्वच्छ जल, पारदर्शी प्रशासन इस बोतल की जो बदनामी राजस्थान के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार ने की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सब्जैक्ट पर ही बोलें प्लीज।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, बोतल वालों की संख्या पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर बढ़ी इसलिए मुझे बोतल का चिह्न लेकर आना पड़ा। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि बांसवाड़ा और बारां के अन्दर जो शराब फैक्ट्रियों के लिए विशेष पैकेज दिया है, वहां लोगों की जमीनें भी चली जाएंगी। आदिवासी इलाकों की माताएं और बहिनें इसलिए आन्दोलित हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बने। सत्तर साल के अन्दर आदिवासियों का उत्थान नहीं हुआ। इस सरकार ने भी खूब बातें कीं। हमने तो यह कहा कि सत्तर साल के अन्दर आज भी ट्राइबल बैल्ट को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आज नहीं मिल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस अति संवेदनशील मुद्दे पर हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि इन दोनों कम्पनियों पर जो मेहरबानी पिछली सरकार ने, जो अपने चहेतों को वहां काम दिया है, पैकेज दिया है, उसे रद्द किया जाए। शराब संस्कृति राजस्थान के अन्दर नहीं पनपे। पूर्ण रूप से शराबबन्दी राजस्थान के अन्दर हो। इस बात का मैं विशेष निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट प्लीज। एक नारा पूर्ववर्ती सरकार ने दिया था कि "एक गिलास दूध बच्चों को"। एक गिलास दूध तो नहीं दे पाये लेकिन घर-घर और हर मोहल्ले के अन्दर शराब पनपी।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): सबसे ज्यादा अगर राजस्थान बदनाम हुआ तो 2003 से 2008 और 2013 से 2018 के अन्दर हुआ, राजस्थान की बदनामी देश के अन्दर हुई। राजस्थान की गिनती उन राज्यों के अन्दर होने लग गई जो अपराधों के अन्दर हम ऊपर आते थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करो।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): और अपराध में राजस्थान आगे बढ़ा है तो शराब संस्कृति की वजह से राजस्थान आगे बढ़ा। मैं आपसे मांग करूंगा कि इन दोनों फैक्ट्रियों का लाइसैंस निरस्त करके उन आदिवासी इलाकों के लोगों के हितों पर कुठाराघात जो हो रहा है, उनको न्याय मिले।

श्री अध्यक्ष: नियम 295 पर चर्चा। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, जवाब भी आ जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। नियम 295, श्री संयम लोढ़ाजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सरकारी नौकरियों में जिला स्तर पर भर्ती

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख- सरकारी भर्ती जिला स्तर पर करवाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

राज्य में सरकारी नौकरी की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया से भारी असंतोष पैदा हो रहा है। पिछड़े हुए जिले पिछड़ते जा रहे हैं। अनेक जिलों में मूल निवासियों की संख्या नौकरियों में तेज गति से घट रही है। प्रत्येक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि वह सबको तरक्की का अवसर दे। सिरोही जिला जो पिछड़ा हुआ है, इससे सर्वाधिक प्रभावित है। विगत वर्षों में जो भी सरकारी भर्ती हुई है, उसमें सिरोही जिले के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व तेज गति से घटा है। सिरोही जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित

(श्री संयम लोढ़ा)

जनजाति, पिछड़ी जाति बहुल जिला है। जिनके आगे बढ़ने का सर्वोत्तम माध्यम शिक्षा और सरकारी नौकरियां हैं।

अत: यह आवश्यक है कि राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती जिलेवार की जाए और उसमें संबंधित जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। सरकार उचित समझे तो संबंधित भर्ती वाले जिले के मूल निवासियों को बोनस अंक देकर न्यायपूर्ण व्यवस्था कर सकती है।

राज्य सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त सर्वे करवाए कि किस-किस जिले के कितने मूल निवासी सरकारी नौकरियों में हैं जिससे असमानता की स्थिति सबके सामने आ सके।

मैं आशा करता हूं कि सरकार पिछड़े जिलों के युवाओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी और न्यायपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा मेडिकल कॉलेज में दवा खरीद एवं टेंडरों में भ्रष्टाचार

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मेड़िकल कॉलेज, कोटा से सम्बद्ध अस्पतालों में लोकल दवा खरीद में भ्रष्टाचार, जीवन रक्षक दवाइयों की कम गुणवत्ता से मरीजों पर आये प्रभाव, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य द्वारा टेंडर शर्तों के विपरीत देना व अन्य भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूं।

कोटा मेडिकल कालेज के अन्तर्गत आने वाले एमबीएस व नये अस्पताल में दर्द निवारक दवा की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितता का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज, कोटा द्वारा स्थानीय स्तर पर दवा टेंडर के आधार पर दवा सप्लायर ने कम गुणवत्ता की करीब 45 हजार दर्द निवारक जैल आइंटमेंट की आपूर्ति कर दी। मार्च, 2018 में मेडिकल कालेज कोटा के अन्तर्गत आने वाले तीन बड़े अस्पतालों के लिए स्थानीय स्तर पर दवा खरीद के लिए 11 करोड़ की निविदा जारी की थी। टेंडर के अनुसार जयपुर के अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर को दर्द निवारक दवा की आपूर्ति करनी थी। वर्क आर्डर के अनुसार इसमें डाइक्लोफेनिक 1.16 और मेन्थोल 5 फीसदी था लेकिन फर्म की ओर से ऑइंटमेंट सप्लाई किया गया, उसमें 1 फीसदी डाइक्लोफेनिक और 0.5 फीसदी मेंथोल था। इस वर्क आर्डर के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने ड्रग्र मेडिसन बजट हैड कोटे से 30 हजार

(श्री संदीप शर्मा)

डाइक्लोफेनिक जैल की आपूर्ति मांगी थी लेकिन फर्म ने 02 जून, 2018 को 04 लाख 15 हजार 800 रुपये की लागत वाली 30 हजार जैल की आपूर्ति की। वहीं जून में दो बार में करीब 15 हजार जैल की सप्लाई हुई लेकिन फर्म के द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑइंटमेंट में पूरा साल्ट नहीं था जिस कारण मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवा नहीं मिल सकी। दवा आपूर्ति के समय दवा की टैस्ट रिपोर्ट, बैच रिपोर्ट वेरिफाई करने वाले डाक्टर से लेकर अकाउंटेंट, ए.ए.ओ. और अस्पताल अधीक्षक से होकर गुजरती है लेकिन किसी ने भी इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। वहीं इसके अतिरिक्त लोकल स्तर पर एल्डोक फार्मा, राजस्थान मेडिकल हाल, अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर, मस्कर बायोटेक व स्नेह मेडिकल फर्मों को मेडिकल कालेज प्राचार्य द्वारा अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये फर्म टेंडर लेने के बाद भी दवाओं की सप्लाई नहीं कर रही है, जिसके चलते मेडिकल कालेज प्रशासन को महंगे दामों पर दवा खरीद करनी पड़ रही है और कहीं न कहीं ये ही फर्में महंगे दामों की दवा को दूसरे नामों से यहां सप्लाई कर रही हैं। ये पूरा मामला बहुत गम्भीर है। सरकार के ही अधिकारी कर्मचारी निजी फर्मों के साथ मिलकर सरकारी पैसों की लूट कर रहे हैं। लोगों को घटिया किस्म की दवा सप्लाई कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे पहले भी मेडिकल कालेज कोटा के प्राचार्य द्वारा अस्पतालों की सुरक्षा में लगाए गए गार्डों को अपने निजी मकान पर लगा दिया गया। इसके साथ-साथ मेडिकल कालेज से संबंधित अस्पतालों में सर्जिकल आइटम्स की खरीद, सूजर्स, दवाएं व अन्य मामलों में भी प्राचार्य, मेडिकल कालेज द्वारा नियमों की अनदेखी कर सरकार को करोड़ों रुपये की चपत लगायी गई है।

ये तो एकमात्र समाचार पत्रों द्वारा उजागर किये गये मामलों की बानगी है यदि मेडिकल कालेज, कोटा की विस्तृत आडिट करायी जाए तो भ्रष्टाचार के और कई मामले उजागर होंगे।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामलों की गम्भीरता से जांच करवाएं और मेडिकल कालेज, कोटा की विस्तार से आडिट करवायी जाए और जो भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी और निजी फर्म इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर ट्रोमा सेंटर

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ कस्बे में ट्रोमा सेंटर प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जयपुर-अजमेर नेशनल हाइवे नम्बर 8 काफी व्यस्त हाइवे है और दिन में बहुत अधिक तादाद में वाहन गुजरते हैं। वाहनों की इतनी बड़ी तादाद होने एवं व्यस्तता के कारण उक्त मार्ग में आये दिन दुर्घटनाएं भी काफी अधिक संख्या में होती हैं। उक्त दुर्घटनाओं में घायलों एवं पीड़ितों को तुरन्त इलाज की सुविधा मिल सके, इसके लिए किशनगढ़ में एक ट्रोमा सेंटर खोलने की बहुत अधिक आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में सरकार से भी कई बार निवेदन किये जाते रहे हैं। सरकार द्वारा भी आवश्यकता को देखते हुए किशनगढ़ में ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की जा चुकी है परन्तु अभी तक यह सेंटर शुरू नहीं हो सका है।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन है कि किशनगढ़ में जल्दी से जल्दी ट्रोमा सेंटर शुरू किया जाए ताकि इस हाइवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों को तुरन्त इलाज की सुविधा मिल सके और जन हानि से बचा जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

बहरोड़ में पेयजल समस्या का निराकरण

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

अलवर जिले के बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम समस्या की ओर मैं राजस्थान सरकार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में पेयजल की भारी समस्या है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है और जन भावना कभी भी आन्दोलन का रूप अख्तियार कर सकती है। बहरोड़ कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। अनेक जगह पर नलों में दूषित पानी आने की शिकायतें आये दिन आ रही हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी

(श्री बलजीत यादव)

इनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। पेयजल की लाइनें भी जगह-जगह टूटी हुई हैं जिससे गलियों और मौहल्लों में पानी का भराव हो जाता है। इस समस्या के निराकरण हेतु मेरा आपसे निवेदन है कि पेयजल की लाइनों को तुरन्त ठीक करवाया जाए ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना लोकतंत्र में सरकार का प्रथम दायित्व है। मेरी आपसे मांग है कि बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग विशेष योजना तैयार करवाकर पर्याप्त धनराशि इसी बजट में आबंटित करवायी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली के अन्तर्गत छोटे खान व्यवसायियों को राहत

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली के अन्तर्गत अपील सुनवाई के अधिकार में एकाधिकार समाप्त कर छोटे खान व्यवसायियों को राहत पहुंचाने के क्रम में मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत अपील सुनवाई के अधिकारी में एक ही अधिकारी को यह अधिकार देने के कारण प्रदेश के छोटे खान मालिकों को हो रही परेशानी से राहत पहुंचाने के लिए आकृष्ट करना चाहती हूं।

मान्यवर, अभी यह व्यवस्था की गई है कि पूरे प्रदेश के सभी खान मालिकों को अपील प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त निदेशक, खान (पर्यावरण एवं विकास), उदयपुर के छह कार्यालयों में जाना होता है और केवल वही अधिकारी पूरे प्रदेश की अपीलें सुन रहा है।

मान्यवर, बहुत पहले जब यह व्यवस्था थी तो सरकार ने छोटे व्यवसायियों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए अपील सुनवाई के अधिकार सम्भाग स्तर पर पद स्थापित अतिरिक्त निदेशक, खान को देकर प्रक्रिया को सुगम बनाया था परन्तु 2017 में पुन: यह व्यवस्था समाप्त कर केवल एक ही अधिकारी को यह अधिकार दे दिये गये जो कि छोटे खान मालिकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सम्भाग मुख्यालय पर कैम्प कोर्ट लगाकर अपील निस्तारण का प्रयास निष्प्रभावी है क्योंकि पहले अपील दायर करने के लिए और फिर तारीख लेने के लिए प्रदेश भर के छोटे खान मालिकों को उदयपुर ही आना पड़ता है। ऐसे में यह सम्भाग स्तरीय कैम्प कोर्ट व्यवस्था कोई राहत प्रदान नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त एक ही अधिकारी द्वारा पूरे प्रदेश में दायर की गई अपीलों का निस्तारण सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन है कि गत एक वर्ष में अपील निस्तारण के आंकड़ों पर नजर डाल दी जाये तो भी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि एक अधिकारी द्वारा सभी अपीलों का निस्तारण नहीं हो सकता।

अत: मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि छोटे-छोटे खान मालिकों पर अनावश्यक आर्थिक भार न डालकर व्यवस्था को सुगम बनाकर उन्हें राहत पहुंचाने हेतु पूर्व की व्यवस्था को बहाल कर सम्भाग स्तर पर पद-स्थापित अतिरिक्त निदेशक, खान को अपील सुनवाई के अधिकार पुन: प्रदान कर खान व्यवसायियों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था करवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

कोटा की पंचायत समिति लाडपुरा के गांवों के विस्थापितों की मूलभूत सुविधाएं

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव निवेदन करना चाहता हूं।

कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों, डोलिया, भवरियां, बोराबास, काल्या खेड़ी के अधिकांश गांवों में सभी विकास के कार्य रोके हुए हैं, जो मानवता के खिलाफ है। यदि सरकार की मंशा गांवों को विस्थापित करना है तो नियमानुसार पर्याप्त मुआवजा देकर विस्थापित की कार्यवाही अविलम्ब करें क्योंकि वहां के निवासियों को सामान्य नागरिकों की तरह जीने का अधिकार है परन्तु लोगों को सड़क, पेयजल, बिजली व अन्य विकास के कार्यों से वंचित कर जानवरों जैसा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, जो सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार यहां तक अन्याय कर रही है। शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास भी नहीं बन पा रहे हैं। आज भी कई लोग पेड़ के नीचे अपने बच्चों को लेकर रह रहे हैं।

अत: अविलम्ब तीन माह के अन्दर विस्थापित किये जाने वाले लोगों

(श्री मदन दिलावर)

को पर्याप्त मुआवजा देकर अन्यत्र बसाया जाए तथा जहां तक हो सके सभी सुविधाएं वहां के निवासियों को दी जाएं। सरकार सुनिश्चित कर आज ही यह बताए कि नारकीय जीवन से कब तक निजात दिलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार। (व्यवधान) श्री धर्मेन्द्र कुमार नहीं हैं। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): मैं खड़ा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: बोलो न आप। आपका नाम पुकारा, बोलिये। (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): दूसरा बोल दिया बीच में।

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करें जब न, आवाज तो आएगी न। (व्यवधान) पूरी नजरें इधर ही हैं।

पीलीबंगा में आपणी योजना से जुड़े गांवों में पेयजल समस्या का निराकरण

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अन्तर्गत बहुत से गांव आपणी योजना से जुड़े हुए हैं, उनमें पानी सप्लाई की दिक्कत है। इस समस्या का समाधान कब तक होगा? इनके जीर्णोद्धार का कार्य कब तक चालू हो जायेगा? आपणी योजना बहुत बड़ी योजना है। प्राय: क्षेत्र में देखने को मिला है कि काफी गांव-मौहल्लों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण ग्रामवासी टैंकरों द्वारा पानी डलवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: भरत सिंह जी।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): 000

श्री अध्यक्ष: 295 में लिमिट है। श्री भरत सिंह जी।

भंवररासा/काली सिंध बांध के द्वितीय चरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि प्रदेश में व्यर्थ बहते सतही जल को रोकने पर ठोस कदम उठाना आवश्यक है। भंवररासा, काली सिंध बांध के प्रथम चरण का निर्माण तो वर्ष 2014 में ही पूरा हो गया था, लेकिन इस बांध से कोटा जिले के सांगोद

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

विधान सभा क्षेत्र के गांवों को एक बूंद भी पानी नहीं दिया गया है। द्वितीय चरण में बांध में केवल गेटों का कार्य, भूमि अवाप्ति तथा पुनर्वास व पुनर्स्थापन के कार्य ही किए जाने हैं।

द्वितीय चरण की पर्यावरण व जनजाति मंत्रालय की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है एवं वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रकरण प्रगतिरत है। ऐसी स्थिति में राशि रुपये 1000 करोड़ के प्रावधान से बांध को 1.5 वर्ष में पूर्ण किया जा सकता है। यह पानी सिंचाई व पेयजल हेतु काली सिंध में नहीं छोड़ा जाए ताकि जल उपलब्धता सुनिश्चित कर भू-जल पुनर्भरण के फलस्वरूप काश्तकारों के स्वयं के स्रोतों यथा कुआं, ट्यूबवैल आदि में जल उपलब्धता बनी रहे व उन्हें कृषि हेतु उनकी मांग अनुसार पानी मिलने के साथ-साथ सांगोद व कनवास तहसीलों के समस्त गांवों को पेयजल योजनाएं, काली सिंध के सतही जल में परिवर्तित कर तहसील में आम जनों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा में राजस्व कैम्प लगाकर काश्तकारों की समस्याओं का निराकरण

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी बिला नाम जमीनों पर हमारे क्षेत्र के काश्तकारों ने कब्जे कर रखे हैं। उस कब्जेशुदा जमीन को उन्होंने आबाद किया। उस जमीन पर पहाड़ी को काटकर समतल किया। उस पर मेड़बंदी की, चारदीवारी की है। उस जमीन पर काश्तकारों ने जो पेड़ लगाए जैसे आम का, महुए का, आंवला, नींबू या अन्य फलदार व छायादार पेड़ लगाए हैं। बहुत सारे काश्तकारों ने कुएं भी खोदे हैं। बहुत सारे काश्तकारों के पास इस जमीन के अलावा कोई और जमीन नहीं है जिसके कारण अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जैसे जो कुआं खोदा है उस पर यदि वह कनेक्शन लेना चाहता है, प्रधान मंत्री आवास बनाना हो, किसान क्रेडिट कार्ड बनाना हो, नरेगा योजना की भूमि समतलीकरण का काम कराना हो या अन्य योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता हो, उसको लाभ नहीं मिलता है, लेकिन राजस्व

(श्री प्रताप लाल भील)

विभाग हर वर्ष इनसे पैनल्टी वसूल करता है। राजस्व संबंधित कर्मचारी इन काश्तकारों से अवैध वसूली भी करते हैं। अत: राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन काश्तकारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्व आबंटन कैम्प लगाने की कृपा कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 का निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद भी टोल टैक्स की वसूली

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि

राष्ट्रीय राजमार्ग-89 का निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद भी कंपनी नियम विरुद्ध वाहन चालकों से टोल वसूल रही है। अजमेर से नागौर के बीच जिस उद्देश्य से एनएच-89 की सड़क के पुनर्निर्माण का ठेका दिया गया, उसमें से ज्यादातर काम सालों बाद भी अधूरे पड़े हैं। एनएच-89 पर अजमेर से नागौर के बीच 148 किलोमीटर में मुख्य काम 36 किलोमीटर कुल बाईपास निर्माण एवं बाड़ी घाटी से अजमेर-जयपुर बाईपास तक 22 किलो मीटर सड़क निर्माण करना था, ताकि कस्बों एवं घाटी में लगने वाले समय को एवं दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, लेकिन 36 किलोमीटर कुल बाईपास निर्माण में से केवल 11 किलो मीटर बाईपास का ही काम पूरा हुआ, 22 किलो मीटर का काम बाड़ी घाटी से जयपुर बाईपास तक पूर्ण रूप से अधूरा है तथा इनाणा, मूण्डवा, भडाणा व रेण के बाईपास के काम अधूरे पड़े हैं।

कंपनी ने वाहन चालकों की सुरक्षा को भी पूरी तरह दरकिनार किया है। न तो क्रोसिंग पर जंक्शन बनाए और न ही बसों एवं ट्रकों के लिए रुकने की व्यवस्था की है। इसके बावजूद 02 टोल नाकों पर, कुचेरा व थांवला के पास मिलीभगत से अवैध टोल वसूली की जा रही है। इसलिए उक्त महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन के माध्यम से शासन से प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल।

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल का पुन: संचालन

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को पुन: संचालित कराए जाने हेतु विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि केशोरायपाटन (बूंदी) सहकारी शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना प्रगतिशील किसान प्रतिनिधियों द्वारा राजस्थान को-आपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1965 के अंतर्गत दिनांक 15.11.1965 को हुई, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा राशि 84% एवं किसानों की हिस्सा राशि 16% थी। मिल का प्रबंधन 1969 से 1977 तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा किया गया। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण केन्द्र सरकार द्वारा 13.12.1978 से 12.12.1985 तक कस्टोडियन नियुक्त कर प्रबंधन अपने हाथ में लेकर नियमित रूप से लाभ-हानि के आधार पर चलाया गया।

वर्ष 1985 से 2000 तक पुन: राज्य सरकार को प्रबंधन दिया व 2001 व 2002 में अकाल के कारण गन्ने की फसल को क्रय कर अकाल क्षेत्र के पशु धन को बचाने के लिए चारे के रूप में बाहर भेजा। राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा दिनांक 22.04.2003 को मिल को बंद करने का निर्णय लिया व 06.08.2003 को संयुक्त रजिस्ट्रार (को-आपरेटिव), कोटा को अवसायक नियुक्त किया गया। घाटा राशि 16 करोड़ व कर्मचारियों की बकाया राशि चुकाने के लिए 400 बीघा भूमि को, पावर प्लांट को बेचकर सम्पूर्ण देनदारियां चुका दी गईं। मिल के पास 169 बीघा औद्योगिक भूमि शेष है, जिस पर प्लांट, गोदाम, आफिस आदि निर्मित हैं व लगभग 17 करोड़ नकद राशि बैंक खाते में जमा है। मिल में लगभग 4300 किसान शेयरहोल्डर हैं, जिनकी हिस्सा राशि करीब 1,25,00,000 रुपये है। पुन: संचालन के लिए किसान 14.03.2018 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं।

अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मिल को पुन: चालू कर संचालन के लिए अंशधारी किसान समिति को हस्तांतरित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर के गांवों में बांधों एवं एनीकटों का निर्माण

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के:-

(श्री अमृतलाल मीणा)

(1) डाया बांध: मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। यह बांध बहुत बड़ा है। सिघटवाड़ा ग्राम पंचायत में दोनदी पर एक एनीकट बनाकर पानी को रोककर सुरंग द्वारा डाया बांध में डाला जाए तथा इस बांध से निकलने वाली नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। धावड़िया गांव, महुआड़ा गांव, कतिला, बोवस गांव, सर्सिया पाल, डीगरी मोडला गांव, बटुका, कालापायरा इन सभी गांवों में नहरें निकाली जाएं।

(2) धूर घाटी तालाब की 2 मीटर हाइट बढ़ाई जाए। उससे निकलने वाली नहरें पक्की की जाएं। इसके साथ चावंड, बडौली, लालपुरिया, डायली, थाना, कवेड़ी, केजड जोयरा तक नहरों का निर्माण किया जाए। देवेन्द्र एनीकट का पानी डाइवर्ट कराकर निम्बोदा, सैपुर पाल, सैपुर, सराड़ा तक दिया जाए।

(3) केजड़ तालाब की मुख्य नहरें दाईं-बाईं व नहर नंबर 4 को आगे बढ़ाते हुए कोलर गांव, काली घाटी गांव, सुरखंड का खेड़ा तक निकाली जाएं।

(4) हरचरण तालाब का सुदृढ़ीकरण व पाल के ऊपर विलायती बबूल को साफ किया जाए। उससे निकलने वाली नहरों को पक्का किया जाए।

(5) बुझ नाका (कतिला) का एनीकट सुदृढ़ीकरण करके उसकी ऊंचाई 5 मीटर तक बढ़ाई जाए तथा उससे पिलाई हेतु किसानों को पानी दिया जाए। इसका बजट में प्रावधान किया जाए।

(6) पाल सराड़ा का एनीकट सुदृढ़ीकरण किया जाए तथा नहरें निकाली जाएं।

(7) आलदरा एनीकट का निर्माण किया जाए।

(8) लालपुरिया (सेमारी) एनीकट का निर्माण किया जाए तथा उसके दोनों ओर नहरों का निर्माण किया जाए।

(9) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में झामरी नदी पर जीरो लेवल के एनीकट कराकली एनीकट, उथरदा एनीकट, खाटिया खेड़ा एनीकट, गुडेल एनीकट, गिंगला एनीकट बनाए जाएं।

(10) गोमती नदी पर जीरो लेवल के एनीकटों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाए। जैसे कोटा एनीकट, कांट एनीकट, रतनपुरा एनीकट, लोदा एनीकट आदि निर्माण किया जाए।

(11) टीड़ी नदी पर जीरो लेवल के एनीकट का निर्माण किया जाए। नेवा तलाई एनीकट, कोटड़ी एनीकट, पाडला एनीकट, देवपुरा एनीकट, धावड़ियां

(श्री अमृतलाल मीणा)

एनीकट, अमरपुरा एनीकट, पादरड़ा एनीकट, गोपेश्वर एनीकट, सल्लाड़ा एनीकट, बड़गांव एनीकट, बाणा एनीकट, धनकेश्वर एनीकट और चंदौड़ा एनीकट आदि का निर्माण किया जाए।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा। श्री बिहारीलाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजस्थान प्रशासनिक सेवा, 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा प्रधानाध्यापक (मा.शि.) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के परिणाम की शीघ्र घोषणा

श्री बिहारीलाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपकी मार्फत मैं सदन के नेता का, सरकार का अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में शीघ्र परिणाम घोषित किए जाने बाबत।

अध्यक्ष महोदय, आरएएस परीक्षा, 2016 का अंतिम परिणाम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को घोषित कर दिया था।

(13.00 बजे)

अंतिम परिणाम जारी होने के लगभग 15 माह बाद भी अंतिम चयनितों को सेवा आबंटन व नियुक्ति नहीं दे पाई है। इससे अंतिम चुने हुए अभ्यर्थियों को एक वर्ष का वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि की आर्थिक हानि अब तक हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ रहा है। हममें से कई माननीय सदस्य भी इन धरनार्थियों के बीच जाकर आए हैं, उनकी बात सुनकर आए हैं, अपनी बात कहकर आए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जिन अधिकारियों को प्रशासनिक ट्रेनिंग देने का दायित्व सरकार का है उन्हें हम धरना देने की ट्रेनिंग दे रहे हैं इसलिए जल्दी से जल्दी उनको प्रशासनिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए और सेवा आबंटन किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा, 2018 गत वर्ष 2 सितम्बर को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम साढ़े चार माह व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक घोषित नहीं

(श्री बिहारीलाल)

हुआ है। अगर 31 मार्च तक प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति नहीं दी गई तो उनको आगामी पदोन्नति में एक वर्ष का नुकसान हो जाएगा। अत: कृपा करके उनका परिणाम शीघ्र, 31 मार्च तक नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो इन्होंने जो मुद्दा उठाया है उसका जवाब दे दूं?

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश, बैठिए। माननीय मंत्रीजी, आपको कुछ बोलना है, रेस्पोंड करना है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरी थोड़े ही है। (व्यवधान) एक मिनट रुकें, प्लीज। (व्यवधान) जरूरी नहीं है, आप खुद सीनियर मैम्बर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली, 14वीं विधान सभा में हर स्थगन प्रस्ताव पर, हर पर्ची पर सरकार का उत्तर आया करता था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। (व्यवधान) धन्यवाद। don't compel me, don't compel me. don't give directions. धन्यवाद, बैठ जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उत्तर तो देना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं आराम से। (व्यवधान) जरूरी है क्या? (व्यवधान) श्री अविनाश।

जैतारण नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज कार्य व पट्टे

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मां भारती के चरणों में वंदन और सदन को प्रणाम करते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पर्ची के माध्यम से मुझे सदन में मेरे क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका मिल रहा है। चूंकि मैं पहली बार जैतारण क्षेत्र से जीतकर इस सदन में आया हूं। मैंने सदन में मेरे जैतारण क्षेत्र की एकमात्र जैतारण नगरपालिका में लगभग 47 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजना जो कि वर्तमान में चालू है और नगरपालिका की कार्यशैली को लेकर जो पट्टे हैं उन पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मैं उनका भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे जैतारण क्षेत्र में एकमात्र नगरपालिका होने के कारण हमारी वसुन्धराजी की

(श्री अविनाश)

पिछली सरकार ने 47 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की पाइप लाइन थी और सीसी सड़क का निर्माण करना था। लगभग दो साल गुजर जाने के बाद भी वहां के अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता और वहां के चेयरमैन जो कि आपकी कांग्रेस पार्टी का है, तीनों व्यक्तियों ने मिलकर अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे जैतारण नगरपालिका क्षेत्र को देखेंगे, फिजीकल वेरीफिकेशन करेंगे, सैकड़ों लोगों की समस्याएं आपके सामने आएंगी। कार्य की गुणवत्ता के मामले में देख लिया जाए, घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है, बिना डीपीआर के सारे क्षेत्र को उधेड़ कर रख दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आधा काम पूरा हुआ और आधा काम अभी बाकी है, शिकायतों के बावजूद, इन तीनों अधिकारियों, कर्मचारियों पर, जनप्रतिनिधियों पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, कि मेरी नगरपालिका क्षेत्र में जो अधिशासी अधिकारी लगे हुए हैं, उनका मूल पद स्वास्थ्य निरीक्षक का है, सेनिटरी इन्सपेक्टर का, वह आज अधिशासी अधिकारी के पद पर लगे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 47 करोड़ की लागत जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का काम मात्र एक जूनियर असिस्टेंट के भरोसे, जूनियर इंजीनियर के भरोसे नहीं किया जा सकता। आज मेरे क्षेत्र की जो मुख्य रोड है उसमें जो चैम्बर लगे हुए हैं सीवरेज कार्य के लिए, आप देखिए, बिना किसी तखमीना के, बिना किसी तकनीकी कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट ऊंचे मेन रोड पर बनाए हुए हैं, उससे मोटर साइकिल पर चलने वाले जो देहाती लोग हैं, वे मोटर साइकिल से नीचे गिर जाते हैं, बच्चे नीचे गिर जाते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसका जवाबदार कौन है? हजार बार शिकायत करने के बावजूद आपके जो अधिकारी हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस समय सीमा में इस कार्य को पूरा करना था वह लगभग आधा ही हुआ है, आधा अभी बाकी है उसमें हाउस कनेक्शन बाकी है, उसमें सीसी सड़कें बाकी हैं, ताज्जुब की बात होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से बताना चाहूंगा कि नगरपालिका के जेईन को वहां लगभग पांच वर्ष से एक ही जगह पर लगे हुए हैं, इस मार्च में पांच वर्ष हो जाएंगे। पहले एक बार बीच में अधिशासी अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन फिर कैंसिल हो गया और अभी वापस पिछली 18 तारीख को यह क्रमांक नम्बर 19595 पर इस

(श्री अविनाश)

अधिशासी अधिकारी का ट्रांसफर होता है लेकिन पता नहीं, क्रमांक नम्बर 19648 के द्वारा उसी दिन वापस कैंसिल हो जाता है। यह क्या मजबूरी है, यह कृपया सदन को बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अविनाश (जैतारण): एक सैकिण्ड के लिए, मैं पहली बार हूं, कृपा करके इतनी मेहरबानी करें। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे जैतारण क्षेत्र में जो सीवरेज परियोजना है वहां डीपीआर के अनुसार काम होता है किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए लेकिन माननीय मंत्री महोदय, बिना डीपीआर के काम हो रहे हैं। जो जेईएन, तकनीकी अधिकारी है, उसके भरोसे पर, कागजी कार्यवाही के अंदर, मात्र एक एईएन आता है वहां पर और सिग्नेचर करके चले जाते हैं। बिना डीपीआर के और जो जेईएन के जो भूखण्ड वहां पर लिए हुए हैं जैतारण क्षेत्र में उसके आसपास में लाखों रुपये के काम उन्होंने करवा दिए हैं। डीपीआर के अनुसार काम नहीं हो रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अभी जो पट्टों की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है, उसके बाद में जो एकल पट्टे दिए जा रहे हैं, स्टेट ग्रांट के पट्टे दिए जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी सम्पूर्ण रूप से जांच कराई जाए और चूंकि पहले हमारी सरकार थी जब से कांग्रेस बोर्ड की सरकार बनी है, इन लोगों ने इतना तालमेल बैठा लिया है भ्रष्टाचार के मामले के अंदर इसलिए +++ में कभी दोस्ती हुई नहीं थी, लेकिन यह आपकी सरकार बनने के बाद में, आपका बोर्ड बनने के बाद में इन लोगों में सम्बन्ध हो गया है।

श्री अध्यक्ष: कृपया वाइंडअप करें प्लीज।

श्री अविनाश (जैतारण): मतलब पड़ा तो सारे अनुबंध हो गए, +++ सम्बन्ध हो गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, जैतारण क्षेत्र की इस बहुप्रतीक्षित परियोजना जो जैतारण सीवरेज के विकास के लिए है उसकी कृपा करके जांच करें। मेरा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, सुन रहे हैं, ईओ और जेईएन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। जो भी दोषी अधिकारी हैं सम्पूर्ण रूप से जांच करवाने की कृपा कराएं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री गणेश घोघरा। (व्यवधान) बोलना है मंत्रीजी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई, उनकी बातों से तो यह पूरा लगा कि वह सीवरेज प्लांट की जो योजना चल रही है, उसके बारे में तो कम लेकिन वहां से अफसरों की पोस्टिंग के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। ईओ इतना यह हो गया, वह हो गया, वह हो गया, आपको अगर उनकी पोस्टिंग की कोई बात करनी हो तो मेरे चैम्बर में आकर कृपया बात कर लें। जहां तक सीवरेज लाइन का सवाल है, 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 2 एमएलडी का प्लाण्ट भी कमप्लीट हो चुका है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री अविनाश (जैतारण): एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य। हो गया, प्लीज बैठें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री गणेश घोघरा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाएं। प्लीज बहुत हो गया।

श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर नगर परिषद् की पेरीफेरी

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आया हूं। डूंगरपुर जनजाति बहुल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र है। हमारे यहां पर पेरीफेरी का नाम लेकर आदिवासियों की जमीन जो भारतीय जनता पार्टी के सभापति हैं, उन्होंने छीन रखी है। भू माफियाओं से मिलकर पट्टे काटे हैं, आदिवासी डेढ़ सौ वर्षों से वहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसका मकान है, कुआं है, खेती कर रहा है, उसको आज तक काश्तकार को पट्टा नहीं मिला मकान का, उसको खातेदारी हक नहीं मिला,

(श्री गणेश घोघरा)

मैं सदन से मांग करता हूं कि विशेष शिविर लगाया जाए इनके लिए और जो वर्षों से बैठे हुए हैं, जो काश्तकार हैं, जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको खातेदारी हक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिस सभापति ने जो घोटाले किए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। यह मैं सदन से मांग करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत। (व्यवधान) मंत्रीजी, कुछ बोलना है क्या आपको? मंत्रीजी, बोलना है कुछ? बोलना है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मास्टर प्लान के बाबत पूछा है उसमें मोटे तौर पर आपने पेरीफेरी बैल्ट के बारे में बात की है। जो पहला मास्टर प्लान 2006 में बना था उसमें तो 14 गांवों को शामिल किया गया था लेकिन उसके बाद जो दूसरा मास्टर प्लान 2036 के लिए बना उसमें 24 गांवों को शामिल किया गया है तो पेरीफेरी बैल्ट के अन्दर जो 24 गांव शामिल किए गए हैं उनकी लिस्ट अलग है जिसको आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और 14 गांवों की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा (पचपदरा) के चिकित्सालय में रिक्त पद

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में बालोतरा औद्योगिक और धार्मिक नगरी भी है जहां से दो हाई-वे गुजरते हैं और रिफाइनरी का काम भी निर्माणाधीन है। इतने बड़े शहर में 5 साल तक पूर्व सरकार और वहां के जन-प्रतिनिधि की कमजोर पैरवी के कारण जो मैं आंकड़ा रखूंगा उससे तो बड़ा अचम्भा होगा पर नाहटा अस्पताल जो बाड़मेर जिले का दूसरा सबसे बड़ा हास्पिटल है....

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि पर्ची के माध्यम से कभी कोई लिस्टेड होता है तो मंत्रीजी को यहां उपस्थित रहना चाहिए। उनको उपस्थित रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मुझे जानकारी है, मुझे जानकारी है। किस प्रश्न पर अलाउ नहीं करना है वह मुझे जानकारी है और सोच-समझकर मैंने अलाउ नहीं किया है। मुझे पूरी जानकारी है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय नाहटा हास्पिटल जो बाड़मेर जिले का दूसरा सबसे बड़ा हास्पिटल है, जिसमें चार वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद हैं तथा चारों के चारों खाली हैं तथा गत पांच सालों से खाली हैं। इनके अलावा 15 कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं उन 15 में से 9 पद खाली हैं। टोटल नान गजेटेड 121 में से 57 पद खाली हैं तो यह हास्पिटल पिछले पांच सालों से नाममात्र का था। अभी हमारी सरकार बनी है, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्री माननीय सचिन पायलट जी के मन में शुरू से भाव रहा है कि इन्सान के जीवन में हैल्थ से बड़ी चीज नहीं हो सकती तो ये जो तमाम पद हैं वो भरे जाएं।

इसके अलावा बालोतरा में दोनों हाई-वे गुजरते हैं तथा इधर 100 किलोमीटर और जोधपुर भी 105 किलोमीटर पड़ता है तो 100 किलोमीटर के दायरे में कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से हास्पिटल में ट्रोमा सेंटर की स्थापना की मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। मंत्रीजी, बोल रहे हैं?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सोनोग्राफी मशीन और अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द में निवेदन करता हूं कि बालोतरा भविष्य में अभी जिला बनने वाला है तो मैं मांग करता हूं कि ट्रोमा सेंटर के अलावा बालोतरा का जो जिले का दूसरा सबसे बड़ा हास्पिटल है इसलिए इसको जिला अस्पताल घोषित किया जाए। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पर्ची पर क्या सब होगा? प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा यह जो विषय उठाया गया है वह बिल्कुल सही है, पद रिक्त हैं। लेकिन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जैसे ही पदों पर भर्ती होती है उसी तरह से इन डाक्टर्स के खाली पड़े हुए पदों पर पदस्थापन कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री सचिन पायलट।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज। I'll not allow. I have called the Minister, प्लीज बैठें। प्लीज, आप बैठें। प्लीज, बैठें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, पाइंट आफ इन्फार्मेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपके समक्ष रखना चाहते हैं सदन में।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठें आप दो मिनट। मैंने कॉल कर लिया, आप बैठ सकते हैं। I don't agree with this. (व्यवधान) आप क्यों बैठे-बैठे मुझे गाइड कर रहे हैं, सीनियर लीडर हैं आप, प्लीज। आप बैठें न प्लीज। मंत्रीजी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय किरण माहेश्वरी जी, क्या बोलना है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही अति इम्पोर्टेंट बात जो कि सुबह भी सदन में आई कि आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण का लोक सभा में, राज्य सभा में दो-तिहाई बहुमत से जो पास हुआ उसको यहां राजस्थान की विधान सभा में, जो कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, सब तरफ उन्होंने किए तो यहां पर भी एक डेट दी जाए कि किस दिन से वो राजस्थान में लागू होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठें प्लीज। माननीय बैठें प्लीज। प्रतिपक्ष के नेता

(श्री अध्यक्ष)

ने बात कह दी। प्लीज, बैठें, हो गया। This is not fair. प्लीज, बैठें आप। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, सड़कों के ऊपर आंदोलन चल रहा है। आरक्षण का इस प्रकार का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): दस परसेंट जनरल और 5 परसेंट गुर्जर, देवासी तथा मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो बहुल एरिया है जहां शिक्षा की बहुत कमी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और उसके ऊपर सरकार को जवाब न दे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) बैठिये आप। Don't dictate. अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्रतिपक्ष के नेता, मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद होगा:-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

(श्री अध्यक्ष)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 घंटे 9 मिनट बचे हैं, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 4 घंटे 54 मिनट बचे हैं, बहुजन समाज पार्टी के 20 मिनट बचे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 14 मिनट बचे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा समय हो गया है, भारतीय ट्राइबल पार्टी का पूरा समय हो गया है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के 5 मिनट तथा निर्दलीय के 6 मिनट बचे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सदस्य श्री रामप्रताप कासनियां। श्री रामप्रताप कासनियां बोलना चाहें तो अपनी जगह पर जाकर बोलें। श्री रामप्रताप कासनियां, श्री शंकर सिंह रावत, श्री हमीर सिंह भायल, श्री फूलसिंह, श्री धर्मनारायण जोशी, श्री बाबूलाल खराड़ी, श्री मंजीत चौधरी, श्री अविनाश गहलोत, श्री छगन सिंह। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बोलना चाहें, उनको फ्रीडम है। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर अपनी बात स्टार्ट करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): सम्माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं मेरी बात इस सदन में रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस अभिभाषण की शुरूआत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पूरे देश में हम मना रहे हैं और इस अभिभाषण की शुरूआत और समापन में महात्मा गांधी का उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी की हत्या को इस वर्ष 70 साल हो जाएंगे और यह देश महात्मा गांधी के विचार से बहुत-बहुत दूर जा रहा है। उसका उदाहरण हम इस वर्तमान विधान सभा में देख रहे हैं। इस विधान सभा में ऊपर अंकित है सत्यमेव जयते और सत्य को हम पिटता हुआ देख रहे हैं।

सत्यमेव जयते है या नहीं इस बात पर भी शक है। जो जीतकर आ गया, वो सत्य बन गया। कैसे जीता चुनाव, किस आधार पर जीता। इस भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा है कि आज विधान

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

सभा का चुनाव जीतने में तीन चीजों की आवश्यकता पड़ गई कैश, कास्ट एण्ड क्रिमिनलिटी और मुझे कोई संकोच नहीं कि यहां बहुत से सदस्य सत्य के आधार पर नहीं, इन तीन 'सी' के आधार पर जीतकर आए हैं। ये प्रजातंत्र की 70 साल में बापू की जो तस्वीर लगी हुई है, उससे हम बहुत-बहुत दूर जा रहे हैं।

इस अभिभाषण में 25 पैरा इस प्रकार के हैं, जो गरीब आदमी, किसान उसके हित से जुड़े हैं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में उन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। जो इस देश के गरीब आदमी से संबंधित है और इस सरकार ने एक महीने के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण कदम लिए। किसानों पर केन्द्रित यह अभिभाषण, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, उनका कर्जा माफ किया, पेंशन में वृद्धि की और अनेक कल्याणकारी काम इस सरकार ने किये हैं। मगर, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकार पांच साल तक इस प्रदेश में थी, उन्होंने पांच साल तक जनता को इस प्रकार का कष्ट दिया है। राजस्थान की सरकार और केन्द्र की सरकार दोनों ने मिलकर हमारे देश की जनता को और इस राजस्थान के सात करोड़ वासियों को जिस प्रकार से परेशान किया है। हमारे किसानों को जिस प्रकार से आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा और आज किसानों के हित में जो सरकार ने बात की है, उसको हमारा विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं इस सदन में सारी बातों की आलोचना करके ही बात नहीं करना चाहता। जो सरकार आती है प्रदेश में, वो जनता के हित की बात भी सोचती है। हमारी विपक्ष में जो सरकार रही, उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किये होंगे। हम भी हर साल पांच साल में हमारा जो दायित्व है, उसके अनुरूप किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर, उसके बाद भी हर पांच साल में जब चुनाव होते हैं तो अच्छा काम करने के बाद भी सरकार इस प्रदेश में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, क्या कर रहे हैं आप? Unbelievable. बिलकुल प्लीज, माननीय सदस्य क्या कर रहे हैं आप?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस बात पर सदन का ध्यान दिलवाना चाहता हूं! जो कार्य इस सरकार ने एक महीने में

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

किये हैं जनहित के और पांच साल तक जो जनहित के कार्य करेगी। उसके बाद भी इस प्रदेश में हमको यह भी देखने में आया है कि जब जनता के समक्ष हम जाते हैं तो शासन परिवर्तित होकर हर पांच साल में शासन परिवर्तन हो रहा है। एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है। इन परिस्थितियों में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो प्रदेश की जनता को, उसकी तकलीफ...धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय कल्ला साहब।

शासकीय वक्तव्य

गरीब सवर्णों को गुजरात की तर्ज पर 10 प्रतिशत आरक्षण

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संविधान संशोधन के बारे में लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्ताव पारित हुआ है, वो सरकार के पास आता है और फिर सरकार उसको अलग-अलग विधान सभाओं में दो तिहाई विधान सभाएं इसको पास करती हैं। हमने तो जैसा आपको बताया था स्वयं मंत्रिमण्डल में सम्मिलित थे, उस समय अशोक जी मुख्य मंत्री थे, उस समय 14 परसेंट आरक्षण सवर्णों को देने की बात की थी। इन्होंने 4 परसेंट कम कर दिया और यहां राजनीति कर रहे हैं खामख्वाह। आरक्षण देने के बारे में इन्होंने 4 परसेंट कटौती की है और अब यहां राजनीति कर रहे हैं। जिस समय लोक सभा और राज्य सभा के प्रस्ताव वेटेड होने के लिए यहां आएंगे, उस समय कोई सरकार देर नहीं लगाएगी। आप केवल राजनीति कर रहे हैं और इससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी यह बात कही थी कि जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें केवल 10 परसेंट आरक्षण दिया गया था, जबकि राज्यों के प्रस्ताव 14 प्रतिशत के थे। राजस्थान की तरफ से भी यह प्रस्ताव गया हुआ था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 14 परसेंट सवर्णों को आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव मंत्रिमण्डल से पारित करके भिजवाया हुआ था। इन्होंने 10 परसेंट किया है। जैसे ही लोक सभा और राज्य सभा के प्रस्ताव के बारे में विधान सभा में प्रारूप आएगा, सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करके निर्णय करेगी। यह केवल समय से पूर्व ही ऊंट कूदा नहीं और पलाण कूद रहा है। खाली राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यदि हाउस को नहीं चलाना, आप डिटरमाइंड हैं, तो आपको अधिकार है अपनी बात को प्रोटेस्ट करने का, don't impose. माननीय संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। संयम जी एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, केवल बात इतनी है कि सरकार की मंशा, जो संशोधन आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को किया उसमें आप करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अपनी भावना प्रकट कर दो, बस इतना ही चाहते हैं। यस और नो में।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 14 परसेंट तक कर चुके थे। 14 परसेंट...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी बता दो आप तो, जो आपकी मंशा हो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्लीज आप सब सीनियर लीडर हैं। आप स्वयं जानते हैं राज्यपाल की डिबेट चल रही है। राज्यपाल की डिबेट में आपने पाइन्ट उठाया है। राज्यपाल की डिबेट पर माननीय मुख्य मंत्री जवाब देंगे। इतनी पेशेन्स नहीं है। कम से कम इतना तो संसदीय परम्पराओं का पालन करना चाहिए। प्लीज सुनना है तो सुनें, नहीं सुनना है तो आप फ्री हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पुराने विधान सभा के सदस्य हैं, आप मंत्री भी रहे हैं, आप नेता भी रहे हैं। यह परम्परा नहीं रही है। यह परम्परा नहीं रही है। आप सरकार को इम्पोज करें, राज्यपाल की डिबेट का मतलब ही यही है कि राज्यपाल की डिबेट में सरकार जवाब देगी। माननीय मुख्य मंत्री जवाब देंगे आपने जो बिन्दु उठाए, उस पर भी जवाब मिलेगा। लेकिन आप इम्पोज करना चाहे, प्लीज आप इम्पोज करना नहीं होगा, आप करिए, आप हल्ला कीजिए। संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर मुख्य मंत्रीजी अपने रिप्लाई में जो संविधान संशोधन हो गया, 10 परसेंट का आरक्षण कई राज्यों ने दे दिया। उसके बारे में वो अपनी बात अगर उस दिन कहें तो हम उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए अपनी सहमति देते हैं। पर उस बात को टाल न जाएं। उस बात के लिए यस और नो, जो उनको कहना है। अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दें। लेकिन कम से कम स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप सीनियर लीडर हैं। मुख्य मंत्रीजी जवाब नहीं दें, तब तो प्रश्न उठेगा न। आप जवाब का तो इंतजार करिए। हाइपोथिटिकल जवाब नहीं देंगे। मैं समझता हूं यह तो कोई गम्भीर प्रश्न नहीं है। आपने अपनी बात कर दी, सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, दोनों विषय हैं..

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय उप नेता, मैं बात नहीं करूंगा। मैं प्रतिपक्ष के नेता से बात कर रहा हूं। मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप संसदीय परम्पराओं के पालन की बात करते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि राज्यपाल के भाषण में सारे बिन्दु आते हैं। स्थगन प्रस्ताव को भी मैं अलाउ कर रहा हूं। लेकिन, माननीय सदस्य को बोलने का अवसर मिलता है और राज्यपाल के अभिभाषण में जो मुद्दे आपने उठाये हैं, स्थगन प्रस्ताव में, जो आपने मुद्दे उठाये। राज्य सरकार मुख्य मंत्री के रूप में जवाब देगी। जवाब देने में आपको संतुष्टि नहीं मिले, तब आपका अधिकार है यह करने का। आप पहले से ही कर रहे हैं...

माननीय सदस्य, अपने स्थान पर प्लीज। श्री संयम लोढ़ा जी। आप बैठें अब प्लीज। अब हो गया। यह इम्पोज भी न करें। बैठें आप प्लीज। श्री संयम लोढ़ा जी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका आभारी हूं और इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होकर मैं अपनी बात कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग सरकार बदलते हैं..।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठें प्लीज। अब अलाउ नहीं है। प्लीज बैठें। वे बोल रहे हैं। प्लीज बैठें। माननीय सदस्य, संयम जी बोल रहे हैं। आप बैठें प्लीज। आई विल नोट अलाउ। यह हाथ जोड़ने का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप बीच में ही बोल रहे हैं। प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग सरकार बदलते हैं इस उम्मीद में कि इस बदलाव से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। उनके परिवार की हैसियत में सुधार होगा। उनके बच्चे जो एक सामान्य जिन्दगी से वंचित हैं वो मुख्य धारा में आकर के एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। इस उम्मीद में वे सरकार बदलते हैं और राजस्थान में हम देख रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पिछले बीस साल से एक के बाद एक लगातार लोग इस उम्मीद में सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो पहला अभिभाषण इस सरकार का रखा है इस सदन में उसमें कहा है कि गांधी जी के सिद्धांतों एवं आदर्शों को आत्मसात कर आम जन की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी के कई भजन रहे, कई उनके वाक्य रहे। 'वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे।' माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ठीक पीछे महात्मा गांधी जी का एक चित्र लगा हुआ है और उसमें सिर्फ अधोवस्त्र उन्होंने पहना हुआ है। महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका के दौरे से भारत में लौटे और बाल गंगाधर तिलक जो महान स्वाधीनता सेनानी थे उनसे उन्होंने कहा कि मैं किस रूप में काम करूं तो बाल गंगाधर तिलक ने उनसे कहा कि आप भारत के लोगों के बीच में जाओ। उनकी जिन्दगी को जानो। भारत को समझो। वे कस्तूरबा गांधी के साथ निकले और उड़ीसा में जब उनकी एक सभा थी तो उस गांव में जहां सभा थी चार बजे की तब वहां सारे मकान बंद पड़े हुए थे तो कस्तूरबा गांधी यह पता करने के लिए निकली कि मकान और झोंपड़ियां वगैरह क्यों बंद पड़ी हैं तो किसी ने दरवाजा खोला नहीं झोंपड़ी का जो भी अटका हुआ जैसा भी द्वार था। एक झोंपड़ी से वह द्वार खुला उसमें तीन महिलाएं थीं तो बा ने उनसे पूछा कि गांधीजी की सभा है तुम लोग क्यों नहीं आ रही हो तो उनमें से एक महिला ने कहा कि आना तो हम सभी चाहती हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही साड़ी है इसलिए हम नहीं आ पा रही हैं। वो दिन था महात्मा गांधी ने कोट और पैंट त्याग दिए और ये वस्त्र धारण किए कि मेरे देश के अन्दर जिस वतन का मैं रहने वाला हूं वहां मेरी मां-बहनों के

(श्री संयम लोढ़ा)

पास पहनने को पूरे वस्त्र नहीं हैं, मैं इसका त्याग करता हूं। ऐसे महान आदर्श को लक्ष्य रखकर मौजूदा सरकार अपना काम प्रारम्भ कर रही है।

दूसरी तरफ इससे पहले की जो सरकार थी माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम सबने देखा कि दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं पर प्रतिमाएं लगीं। सड़क के नामकरण उनके नाम पर हुए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय वो शख़्सियत थे वे जब यात्रा भी करते थे तो सामान्य श्रेणी की गाड़ी में करते थे और कहीं जाकर के वे प्रवास भी करते थे तो वे एक धर्मशाला में जाकर के रुकते थे। वे उन आदर्शों और उस चरित्र को लेकर के चलने वाले लोग थे, लेकिन आज हम किस तरफ जा रहे हैं।

यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने उन परिस्थितियों में जागीरदारी उन्मूलन कानून पारित किया। देश के अन्दर सबसे पहले गोहत्या बंदी का कानून लाया। सूचना का अधिकार जिस प्रदेश में सबसे पहले लाया। ऐसी प्रगतिशील...

(13.34 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

विधायिका के बीच में हम लोग उपस्थित हैं और आज उन सब महान नेताओं का मैं स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने ये क्रांतिकारी कानून इस सदन के माध्यम से पारित किए, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे सत्ता पक्ष के मित्रों से यह जरूर पूछना चाहूंगा कि आप उस महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुयायी हैं जिसने इस देश का मुस्तकबिल खड़ा किया। जिसने इस देश का निर्माण किया और इस देश की सेवा के अन्दर अपना कतरा-कतरा न्यौछावर कर दिया। आपको याद होगा उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवीपर्स खतम करने जैसे क्रांतिकारी निर्णय लिए थे, लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार के इस सदन में आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी एक ऐसा कानून पारित करने का काम किया कि जिसमें पूर्व मुख्य मंत्री को मकान की सुविधा, बीस-बीस स्टाफ की सुविधा और तमाम तरीके के वो सारे साधन उपलब्ध कराने का काम आपने किया है। आज बहुत अच्छा होता कि जब आप यह अभिभाषण लेकर के आये तो आप इस अभिभाषण में कहते कि हम सर्वोच्च न्यायालय की भावना का उसके निर्णय का सम्मान करते हैं जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में

(श्री संयम लोढ़ा)

उन्होंने दिया है। हम महात्मा गांधी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों के वोट से सेवा का अधिकार प्राप्त करने वाले लोग हैं। हम कोई मां के पेट से पैदा हुए राजे-महाराजे नहीं हैं। इंदिरा गांधी ने तो प्रिवीपर्स खतम किया। आपने यह क्या चालू कर दिया? कोई पूर्व मुख्य मंत्री है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सदन के सभी माननीय सदस्यों को सुविधा प्राप्त है वो ही सुविधा रहनी चाहिए। अगर आप समाज के सबसे अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं तो अगर महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं तो मैं आपसे अपील करता हूं सभापति जी के माध्यम से कि आप इसी सदन में वापस वो कानून लेकर के आइये और जो इस तरीके की सुविधाएं पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए की गई हैं आप उसको वापस लीजिये। तभी आपका यह सार्थक होगा कि आप महात्मा गांधी के आदर्शों में विश्वास करने वाले लोग हैं, आप इंदिरा गांधी को मानने वाले लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, चुनाव होते हैं तब बहुत तरीके की बातें की जाती हैं। लोक-लुभावन बातें भी की जाती हैं, लेकिन वो पार्टी और वो नेता जो निरर्थक मुद्दो की तरफ नहीं जाकर के जनता से किए हुए वायदों पर फोकस करके काम करते हैं तो जनता उसका नतीजा भी देती है। माननीय सभापति महोदय, क्या हुआ, क्या सोच है देश की जनता ने 1984 के बाद पहली बार वापस केन्द्र के अन्दर एक पूर्ण बहुमत की संरचना की और करोड़ों देशवासियों ने उम्मीद लगाई, लेकिन ये क्या करने लग गये। पण्डित जवाहर लाल नेहरू को बदनाम करने लग गये। उन्होंने पूरा अपना फोकस उस पर लगा दिया कि नेहरू जी का चरित्र हनन कैसे करें। इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर को बलिदान दिवस आता है। ये इस बात पर लग गये कि इंदिरा गांधी को छोटा कैसे दिखाएं। ये इस बात पर लग गये कि पण्डित नेहरू के सामने सरदार पटेल को बड़ा कैसे करें। सरदार सरोवर पर सरदार पटेल की बड़ी प्रतिमा लगाने का काम किया। बहुत अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। वे कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन चूंकि आपकी कोई ऐसी गौरवशाली विरासत नहीं है। आपके पास कोई ऐसा नाम नहीं है इसलिए कांग्रेस के ही चुनिंदा नेताओं के नाम लेकर के आप अपना हीरो उनको देशवासियों के सामने बुलाना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग यह भूले नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): देश के लोग यह भूले नहीं हैं कि जिस सरदार सरोवर पर आपने सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई है उस सरदार सरोवर का शिलान्यास पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने किया था।

माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में बैठ करके अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने की बजाय यह बताते हैं कि स्वच्छता में क्या हुआ। विदेशों में क्या हुआ। इनको जवाब इस बात का देना चाहिए कि आप हिन्दुस्तान की हुकूमत में आये थे कालाधन वापस लाएंगे। हर एक के खाते में 15 लाख जमा होंगे। एक करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। आतंकवाद खतम करेंगे। भ्रष्टाचार खतम करेंगे। आज पांच साल गुजरने आ गये और अभी जिस मुद्दे पर इतना रोला मचा रहे थे यह तो माननीय सभापति महोदय, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में झटका लगा है तब पांच साल के आखिर में इनको सवर्णों की याद आई है, नहीं तो पांच साल सवर्णों के लिये काम करने से आपको रोका किसने था?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा एक मोटरसाइकिल पर बैठकर अशोक गहलोत जी और पायलट साहब दोनों निकले थे। जनता ने दोनों को आशीर्वाद दिया था कि चलो एक अनुभवी है, दूसरा नौजवान ताकत है, दोनों मिलकर पूरे राजस्थान में एक नये वातावरण का निर्माण करेंगे और जीरो टोलरेंस की बात इन्होंने अपने अभिभाषण में भी कही है। माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, समय की अपनी सीमा है, कल भी करीब 10 माननीय सदस्य समय की वजह से बोल नहीं पाये। आप यदि यही चाहते हैं कि जो नये लोग आये हैं और जो बोलना चाहते हैं, उनको आपको नहीं बोलने देना है तो बात अलग है। समय में रहते हुए आपको बोलना पड़ेगा और कोई भी बीच में इंटरवीन नहीं करें, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अशोक गहलोत साहब के 4 जनवरी, 2016 को दिये हुए बयान पर, उनके स्टेटमेंट का वर्जन मैं आपको सुनाता हूं। राजधानी जयपुर के तीन बड़े महकमे कलेक्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर

(श्री संयम लोढ़ा)

और जयपुर विकास प्राधिकरण में बगैर पैसे दिये हुए कोई काम जनता का नहीं हो रहा है। जयपुर में कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और जेडीए आयुक्त के भ्रष्टाचार की तो जांच होनी चाहिये। सरकार फोन टेप करवा रही है, नेताओ के नहीं, अफसरों के नहीं, गृह मंत्री तक के फोन टेप करवा रही है, यह आरोप लगाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपका यह अभिभाषण तो कहीं जाहिर नहीं करता कि आप उन तमाम मुद्दों पर कोई कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं। आपने तो उन लोगों को रिवार्ड कर दिया। और तो छोड़िये जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे, उनको तो देवों की सेवा में आपने भेज दिया। अगर आप यह मानते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट थे, निकृष्ट थे तो उनको उन ओहदों पर बैठाने की क्या जरूरत थी।

माननीय सभापति महोदय, अभी हाल में यह एक स्टेटमेंट 7 फरवरी को और आया जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गलत काम करने के दबाव को ठुकराते हुए अचानक छुट्टी पर चले गये और फिर वापस आकर वापस ज्वाइन कर लिया। माननीय सभापति महोदय, सरकार बनी है, अभी से अगर यह ढीलापन रहेगा तो यह भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे होगा? कैसे अधिकारियों में यह संदेश जायेगा कि जो आपने बातें कही हैं आप उन पर कायम हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो ना पक्ष लाबी के मित्र हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिये कि उनकी इन सभी राज्यों में लगातार दुर्गति क्यों हुई, क्या कहा था आपने? पूरे 50-60 साल राजस्थान की दीवारों पर लिखते रहे अनुच्छेद 370 खतम करेंगे, क्या हो गया? आप उन्हीं के साथ जाकर राज में बैठ गये। पूरे पांच साल आपने राज चलाया, अब अनुच्छेद 370 खतम करने से आपको किसी ने रोका है? कश्मीर में आप राज में रहे, दिल्ली में आप राज में रहे और क्या कहते थे आप, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे। पांच साल में एक कश्मीरी पंडित को बसाने की फुर्सत आपको मिली? गंगा मैया की सफाई करेंगे। हिन्दुस्तान में धर्म में आस्था रखने वाले भोले लोग हैं, आप पर भरोसा किया कि गंगोतरी से लेकर काशी तक सीधी गंगा की धारा आयेगी।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, यह राज्यपाल का अभिभाषण है क्या?

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): इन्होंने विकास प्राधिकरण की बात की है, जोधपुर में सदन के नेता के गृह जिले में दो घंटे में 17 कर्मचारियों को हटाया है और एक ही जाति के लोगों को हटाया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए, विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में अपने संगठन के माध्यम से गो सेवा के यज्ञ करना, लोगों को भ्रमित करना, मैं आज आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपको पूरे देश में गो हत्या का कानून लाने से किसने रोका है? आप दूसरे मामलों में अमेंडमेंट के लिये पार्लियामेंट में आ सकते हैं, रिजर्वेशन के इश्यू पर आ सकते हैं लेकिन गो हत्या रोकना आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आप राजस्थान में तो गो सेवा की बात करेंगे और गोवा में जाकर +++ यह आपका दोहरा चरित्र है इसीलिए आपकी इन पांच राज्यों में दुर्गति हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो, उस पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिये। +++ जो बात कही गई है, उसे एक्सपंज कराई जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इस तरह की उकसाने वाली बात नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अगर कोई व्यक्ति तड़ीपार रहा है तो उसको तड़ीपार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, तड़ीपार तो तड़ीपार ही होगा, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं। पूरा देश कह रहा है, सिर्फ आपके एतराज करने से कोई पूरा देश अपनी जबान बंद कर लेगा, वह तो होगा नहीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): +++

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++ आपके छक्के छुड़वा दिये, पांच राज्यों में आपकी हवा निकाल दी जिसको आप +++ कहते हो। (व्यवधान) उसने साबित कर दिया कि वह क्या क्षमता रखते हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर आप सभी से आग्रह करता हूं ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए, आप विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह तो पूरे हिन्दुस्तान के अखबारों में छपा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। करीब 22-23 लोग बोलने वाले हैं, आप सभी ऐसा करना चाहते हैं, मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। सभी माननीय सदस्यों को 10 मिनट में आवश्यक रूप से अपनी बात कहनी पड़ेगी। कल भी 10 माननीय सदस्य बोल नहीं पाये। सदन अपनी मर्यादाओं में नहीं चलेगा तो फिर कैसे चलेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय और नेता प्रतिपक्ष महोदय आप भी विराजे हुए हैं, दोनों अपने सदस्यों से कहें कि वह अनुशासन में रह कर बोलें। नये लोग क्या सोच कर आये होंगे, अपनी बात रखेंगे और तीन लोग खड़े होकर पूरे हाउस को हाईजैक कर लेते हैं, यह मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। आवश्यक रूप से 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी होगी, सभी माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें और बीच-बीच में इंटरवीन नहीं करें। माननीय सदस्य, आपसे भी आग्रह करूंगा कि मेहरबानी करके ऐसी बात नहीं करें जिससे सदन में उकसावा हो, प्लीज, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिये अगर यह +++ कहेंगे तो क्या हम चुप रहेंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य बोल रहे हैं हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जो इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, सभापति महोदय, यह +++ ...(व्यवधान) यह आपको अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, आप इसको एक्सपंज कराएं, एक्सपंज कराएं इसको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) क्या बोलते हैं, एक्सपंज कराओ इसे।

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए प्लीज। मैं दोनों को

(श्री सभापति)

अलाउ नहीं करूंगा कोई भी ऐसे शब्द जो संसदीय परम्पराओं के विपरीत हो, सदन की मर्यादा के विपरीत हो, प्लीज अंकित नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, वादा तो करके आये थे, यात्रा निकाली थी 2013 में सुराज संकल्प यात्रा और पांच साल क्या किया? 700 आईएएस आफिसर के 778 तबादले किये हैं पांच साल में। (व्यवधान) एक-एक जिले में 6-6 कलेक्टर के ट्रांसफर किये हैं। जो उनके गलत काम नहीं करे, टिकाओ। माउंट आबू में भारत का आईएएस का टॉपर ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें, मेहरबानी करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं तो अनुशासित आदमी हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

श्री सभापति: अनुशासित हो तभी मैं कह रहा हूं। मैं सभी से आग्रह करता हूं 10 मिनट में आपको बात कहनी पड़ेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, भारत का आई.ए.एस. टोपर गौरव अग्रवाल माउंट आबू की अपनी पहली पोस्टिंग में एसडीओ लगा हुआ था। इनकी पार्टी के सांसद के भाई वहां पर अवैध निर्माण कर रहे थे। वह नौजवान अधिकारी कानून की पालना कराने के लिए वहां पर पहुंचा और उसकी छत में छेद कर दिया। चार महीने के अंदर ही उस होनहार, नौजवान एवं प्रतिभावान को वहां से किक आउट कर दिया। यह इनका तरीका है।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अब कहां लाये?

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कहां लाया, वह तो राजस्थान सरकार बतायेगी, मैं तो अपने जिले का जानता हूं।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति जी, क्या यह अभिभाषण है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री लोढ़ा साहब प्लीज कोआपरेट करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं, न ये बोलने दे रहे हैं।

श्री सभापति: इसको वाइंडअप करना पड़ेगा। पांच मिनट में आप अपनी बात पूरी करिये

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वाइंडअप तो तब करूं जब ये मुझे बोलने दें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): कल उनका अभिभाषण पर एक भी पाइंट नहीं था।

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं बोलें। कृपया आप शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सुराज संकल्प का हश्र यह किया। उसके बाद ये गौरव यात्रा लेकर निकले और उस गौरव यात्रा का क्या हश्र हुआ? स्थान की गरीब जनता के लाखों करोड़ रुपये खर्च करके अपने राजनीतिक उद्देश्य से वह यात्रा निकालने का प्रयास किया और पैसा बर्बाद किया और हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिये कि आप जनता के धन पर यात्रा नहीं कर सकते। यह सुराज इन्होंने दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे खुद के जिले सिरोही में पांच साल में छह कलेक्टर बदल गये। कोई आये नहीं, जिला समझे नहीं, उससे पहले तो...। माननीय सभापति महोदय, यह हश्र इनका इसीलिए हुआ है। पांच साल में इन्होंने क्या किया, कलेक्टर कांफ्रेंस, एस.पी. कांफ्रेंस। भई, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? जिस कलेक्टर से काम है, क्या आपके यहां सिस्टम नहीं है कि बटन दबाओ और कलेक्टर से बात कर लो, एस.पी. से बात कर लो। ये सारे आउटडेटेड कनसेप्ट लेकर आपकी सरकार पांच साल चलती रही। माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के अंदर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें। आप सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कोई बात नहीं हुई। ये इंटरप्ट कर रहे हैं इसका मतलब मैं समाप्त कर दूं। सभापति महोदय, आप इनको तो रोक नहीं पा रहे हैं। हर माननीय सदस्य बीच में खड़ा हो रहा है। यह बात कोई बात थोड़े ही हुई। आप मुझे अपनी बात तो कहने दो।

श्री सभापति: मैं इनको भी कहूंगा। अब आप समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह जो अभिभाषण है। राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि आपने 2003 से 2008 के दौरान 22 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था और सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

बनने के तुरन्त बाद आपने माथुर कमीशन का गठन किया था। आज आपका यह दस्तावेज उन 22 हजार करोड़ के घोटाले पर चुप क्यों है? कोई बात इस पर क्यों नहीं कह रहा है। आप जीरो टोलरेंस के लोग हैं। आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम उस सच्चाई को सामने लायेंगे और यह पिछली सरकार में खान घोटाला हुआ। एंटी करप्शन के लोगों ने बड़े से बड़े ओहदेदारों को पकड़ने का काम किया। इस पर आप खामोश क्यों हैं? इसी तरह से जलदाय विभाग का घोटाला और इसी तरह से चिकित्सा विभाग को घोटाला। यह कोई बात नहीं होती है। आपने इसमें कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते। बदले की भावना से काम करने के लिये कोई नहीं कह रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब तेरा समय हो तो तू कर, हमारा समय जब होगा तो हम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसलिए लोगों ने राज नहीं बदला है। लोग आपसे परिणाम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी...

मैं आपको एक किस्सा बताऊं, यहां एक माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। पिण्डवाड़ा में बनास के रेलवे स्टेशन पर एक ओवरब्रिज बनना है। माननीय सभापति महोदय, 16 अप्रैल, 2016 को स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे के बीच में मैमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग साइन हो गया। उसके बाद जो जमीन अवाप्ति में आनी है, इस सरकार ने उसका कन्वर्जन कर दिया, कमर्शियल कर दिया। नियम विरुद्ध कमर्शियल कर दिया, वहां तक तो ठीक था। उसके बाद इस कमर्शियल की इन्होंने डीएलसी रेट 50 परसेंट बढ़ा दी, 50 परसेंट बढ़ा दी, वहां तक भी ठीक था। कलेक्टर ने वह प्रस्ताव आगे आई.जी. स्टाम्प को भेज दिया कि इसको 100 परसेंट बढ़ाओ। आई.जी. स्टेम्प इतने उदार कि तत्काल प्रभाव से सात दिन के अंदर दुगनी करके कमर्शियल रेट भेज दी। जिसको अवाप्ति के लिये 4 करोड़ रुपया मिलना था, आज वे 28 करोड़ रुपये प्राप्त करने के हकदार हो गये। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के उस जिले में जितने चुने हुए नुमाइंदे थे कलेक्टर समेत, वे सारे इस काली कमाई में शामिल थे। आज आपका घोषणा-पत्र इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा।

माननीय सभापति महोदय, आप पुलिस कमिश्नर प्रणाली दस साल पहले लेकर आये। इसलिए लेकर आये कि यहां की कानून व्यवस्था में कोई सुधार होगा, लेकिन आज दस साल बाद आपको विचार करना पड़ेगा कि वह जोधपुर और जयपुर की पुलिस कमिश्नर प्रणाली फेल हो चुकी है। अपराध बढ़

(श्री संयम लोढ़ा)

रहे हैं, लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है। भय का माहौल है, अविश्वास का माहौल है। इससे पहले वाला एस.पी. सिस्टम बहुत बेहतर था। माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रालय भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इंदिरा जी की जिन्होंने सदस्यता समाप्त की, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को जेल भेजा। आज आपकी सरकार का यह दस्तावेज, आप जो मीसाबंदियों को पेंशन दे रहे हो। आपको सबसे पहला काम यह करना चाहिए था कि मीसाबंदियों की पेंशन हम निरस्त करते हैं। आज आपका पूरा दस्तावेज उस पर खामोश है। वे तो सारे वे लोग थे, जिन्होंने तत्कालीन सरकार से माफी मांगी। रहकर-रहकर हाथ जोड़ते रहे, बार-बार अर्जियां लिखते रहे कि हमें बाहर निकालो। पूर्ववर्ती सरकार ने खुश करने के लिये एक राजनीतिक निर्णय के तहत उन मीसाबंदियों को पेंशन दे दी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। प्लीज कोआपरेट करें। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, बस खतम कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसमें कहना चाहिए कि यह महिला आरक्षण को बढ़ावा देने वाली पार्टी की सरकार है। आज राजस्थान हाई कोर्ट में महिलाओं की क्या स्थिति है? सिक्किम जैसे छोटे राज्य के अंदर 33 परसेंट हाई कोर्ट में महिला जज हैं और राजस्थान में यह आंकड़ा मात्र 6 परसेंट है। माननीय सभापति महोदय, क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? इस पर प्रयास नहीं करना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार को अनुसूचित जाति के लोगों ने थोक के भाव वोट दिये। 34 में से 32 विधायक शिड्यूल्ड कास्ट के भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आये, लेकिन इन्होंने क्या किया? 2 अप्रैल को जब अपने एक संवैधानिक हक के लिये सारे राजस्थान का दलित समाज सड़क पर आया। इन्होंने बर्बरता के साथ पुलिस से पिटवाया और कई दिनों तक अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को जेलों के अंदर ठूंस दिया। उनकी जमानत तक नहीं होने दी। उनको अपराधी बताया, क्रिमिनल बताया। आपकी सरकार को इस दस्तावेज के अंदर कहना चाहिए था कि जिन दलित आदिवासी समाज के नौजवानों पर अन्याय हुआ है, हमारी सरकार उन सारे

(श्री संयम लोढ़ा)

मुकदमों को, जो एक षड्यंत्र के तहत, प्रताड़ित करने के तहत लगाये गये हैं, उन सारे मुकदमों को हमारी सरकार वापस लेने की घोषणा करती है। इतना समय लगता है। जिन लोगों को आपका यह राज बनाया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इनकी दुर्गति क्यों हुई? मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान के शौचालय घूमकर देख लो। एक शौचालय ऐसा नहीं है, जिसका आप उपयोग कर सको। राजस्थान की 92 परसेंट पंचायतों को इन्होंने ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया, 84 परसेंट शहरी क्षेत्र को आडीएफ डिक्लेयर कर दिया। हजारों लोग शौचालय से वंचित हैं।

आप इनकी उपलब्धियां देखो। आवास विहीन गरीब परिवारों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आबंटन। पिछली कांग्रेस सरकार ने 93 हजार 398 गरीबों को भूखण्ड दिये और इन्होंने मात्र 27 हजार। बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड। पिछली कांग्रेस सरकार ने 1 लाख 65 हजार 721 गरीब परिवारों को भूखण्ड दिये, इन्होंने 53 हजार को। पांच साल किसके लिये काम कर रहे थे? उनके लिये जो लंदन जाकर बैठ गये, उनकी सेवा में लगे हुए थे। अगर आप काम कर रहे थे, गरीब को गणेश मानकर काम कर रहे थे। यह जो मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं वह आंकड़ा अपने आप में पर्याप्त है, आपको बताने के लिये। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने पांच मिशन बनाये थे। राजीव गांधी कृषि पशुपालन मिशन, राजीव गांधी जनसंख्या और स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी जल विकास और संरक्षण मिशन, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन, राजीव गांधी शिक्षा और साक्षरता मिशन। इस बार भूल गये।

श्री सभापति: वाइंड-अप करें माननीय सदस्य। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, समाप्त तो कर लेने दें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राज्यपाल के...

(14.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अंत में, एक मिनट रामप्रताप जी, मैं आखिरी बात एक निवेदन करता हूं कि आपकी

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार ने यह बहुत अच्छा निर्णय किया कि आपने पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता खतम कर दी। यह असंवैधानिक बात थी। जो आदमी गरीबी के कारण, किसी कारण से पढ़ नहीं पाया, उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं मिले, यह बहुत जन-विरोधी निर्णय था। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार नियोजन होना चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए। मेरे अपने परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसके दो से ज्यादा बच्चे हों, लेकिन एक ऐसा निर्णय जो 1995 से लागू है, अब मेरी आपसे विनती है कि निर्णय तो लागू रखें पर उसकी तारीख बढ़ाकर 2018 कर दीजिए ताकि पिछले 23 साल में जो लोग दो से ज्यादा बच्चे होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाये, उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिल जाये और आपका भी कल्याण हो जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए आप। आपके माननीय सदस्य का समय व्यर्थ हो रहा है। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। माननीय कासनियां जी, घड़ी की तरफ देख लीजिए आप। दस मिनट में आवश्यक रूप से बंद करेंगे। दस मिनट के अंदर आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मेरे पर ही आकर सारे नियम लागू हो गये। पूर्व में सब आधा-आधा घण्टे बोले हैं।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसा कोई भी पैरा नहीं है, जिसको पढ़कर मैं समर्थन करूं। पेज नंबर 4 पैरा संख्या 11 में सबसे पहले इस सरकार को कर्ज माफी को लेकर के किसानों के समर्पित बताया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार जो आज सत्ता में बैठी है सिर्फ कर्ज माफी के बलबूते पर वोट बटोर लिये और कर्जा माफी के नाम पर टालमटोल करने का

(श्री रामप्रताप कासनियां)

काम इस अभिभाषण में किया गया है। सभापति महोदय, मैं हकीकत में आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूं कि मेरे परिवार के लोगों ने बीजेपी को वोट इसलिए नहीं दिया कि हमारी केसीसी माफ होगी। मैं धर्मेन्द्र जी मोची को वोट दिलाने गया तो मेरे परिवार के लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी हमारा कर्ज माफ करेगी इसलिए हम वोट कांग्रेस को दे रहे हैं। ऐसे असत्य बोलकर वोट लोगे तो यह बहुत गलत बात है।

सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में और माननीय राहुल गांधी जी ने यहां तक कहा था 'एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस और ग्यारहवें दिन अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्य मंत्री को बदल दिया जायेगा।' कहां गयी वो घोषणा? बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी। आज बेरोजगार राजस्थान के अंदर आपकी तरफ टकटकी लगाये हुये बैठा है कि हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता देने की बात छोड़ो, न इन्होंने किसानों की फूटी कौड़ी माफ की, न बेरोजगारी भत्ता दिया और सरकार में बैठे हुये मौज-मस्ती करने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, पैरा संख्या 18 पेज नंबर 7 में इन्होंने किसानों पर फिर बात कही है कि हम किसानों के प्याज, लहसुन, कपास, ग्वार का निर्यात करेंगे। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आप आगे जो कुछ करेंगे वह तो आगे की बात है, आज मूंगफली किसानों की तुलाई नहीं हो रही है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर नवम्बर माह के अंदर पछेती फसल काटी जाती है। वहां के किसान आज तक सरकार की तरफ आस लगाये बैठे हैं। आखिर में किसानों को मजबूर होकर मूंगफली ओने-पोने दामों में बेचनी पड़ेगी। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि यदि वाकई में आप किसानों को राहत देना चाहते हो तो जो किसान वंचित रह गये, उनकी मूंगफली की तुलाई करने का काम सरकार करे। आप बातें तो बड़ी-बड़ी कर रहे हो। किसानों को सरकार समर्पित कर रहे हो और एक क्विंटल मूंगफली तुलवाने के लिए तैयार नहीं हो। यह कैसी सरकार है?

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में पेज नंबर 8 पैरा 20 पर फिर निराश्रित गौवंश की तरफ ध्यान देने की बात कही है। ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। अगर इससे काम चलता तो पूर्ववर्ती सरकार आज इस

(श्री रामप्रताप कासनियां)

तरफ नहीं बैठी होती। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज पूरे राजस्थान के अंदर कोई एक विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां पर किसान इन आवारा पशुओं के कारण बहुत ज्यादा दुःखी न हो। रात-दिन खेत की रखवाली करनी पड़ती है। अगर एक घंटे भी इधर-उधर हो जाये तो पूरी फसल चौपट हो जाती है। सभापति महोदय, मैं सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने समय रहते हुये इस समस्या का समाधान नहीं किया तो एक बहुत बड़ा जन-आंदोलन खड़ा हो जाएंगा जिसको संभालना आपके बस की बात नहीं रहेगी। यह मैं आपको चेतावनी और काश्तकारों के मन की बात सदन के अंदर कहना चाहता हूं। आज सबसे पहले जो आवारा गौवंश है, इसका कोई न कोई आप प्रबंध करें अन्यथा किसान बर्बाद होता जा रहा है। 'एक जिले के अंदर एक गौशाला' खोलने से 50 लाख रुपये ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आपके पास पैसा नहीं तो आप शराब की हजार रुपए वाली बोतल पर दस परसेंट टैक्स लगाओ, और सौन्दर्यीकरण के जो बड़े-बड़े साधन हैं, उन पर टैक्स लगाओ, मार्बल पर लगाओ, ग्रेनाइट पर लगाओ, कैसे भी करो, इन पशुओं का इंतजाम करो। यह इस सरकार का दायित्व है क्योंकि आपने इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से यह बात कहलवाई है कि हम इन आवारा पशुओं का प्रबन्ध करेंगे और आप यह कहकर कि बजट की व्यवस्था नहीं है, बजट आता कहा से हैं, बजट-आप लगाओ टैक्स शराब पर। क्यों घबराते हो? हजार की बोतल पीने वाला व्यक्ति दस परसेंट टैक्स से नहीं घबरायेगा। पन्द्रह लगाओ। बहुत-सी जगह ऐसी हैं, जहां सरकार इस पर टैक्स लगाकर आवारा पशुओं का प्रबन्ध करने का काम कर सकती है।

सभापति महोदय, अभिभाषण के पेज नंबर 18 पैरा संख्या 40 में सड़कों के रख-रखाव की बात सरकार ने कही है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात बता रहा हूं। सब जगह ऐसा ही हुआ होगा। आचार संहिता लगने के पूर्व में ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यह प्लान बना लिया कि आचार संहिता लगते ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करेंगे, नई सड़क बनाएंगे। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि आचार संहिता लगने के बाद आनन फानन में जो नई रोड बनाई गई हैं, उसमें गुणवत्ता का बिलकुल ध्यान नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आचार संहिता के दौरान जिन सड़कों का निर्माण हुआ है,

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मरम्मत हुई है उसकी जांच करवाएं, अन्यथा वह सड़क चलने वाली नहीं है। सड़क इसीलिए आचार संहिता के अंदर बनाई कि न तो कोई सुनने वाला, न कोई कहने वाला, न कोई नेता, न कोई अभिनेता, नेता थे तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे। मैं सोचता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर हुआ है ऐसी बात नहीं है, यह पूरे राजस्थान के अंदर हुआ है। सभापति महोदय, अभिभाषण के पेज संख्या सात और पैरा संख्या 18 में...

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): साहब, अभी तो शुरू ही हुआ हूं।

श्री सभापति: दो मिनट।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): यह राइडर मेरे पर ही है क्या?

श्री सभापति: दो मिनट। आपका समय कंज्यूम हो रहा है, आप अपनी बात दो मिनट में बोलिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, सरकार ने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय से राज्य से संबंधित कानूनों के सरलीकरण करने की बात कही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर 50-50, 60-60 वर्षों के आबंटी काश्तकार खातेदारी से वंचित बैठे हैं। टी सी टेम्परेरी आबंटन, उसको पुख्ता खातेदारी दी जाती है, हजारों प्रकरण पैंडिग पड़े हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में गम्भीर हो, किसानों को राहत देना चाहते हो तो टी सी से पुख्ता करके उन लोगों को खातेदारी दीजिए। चकबंदी का काम पैंडिग पड़ा है वह करवाइये। बालिग पुत्रों के प्रकरण पैंडिग पड़े हैं, कुछ काश्तकार भूमि आबंटन के पात्र हैं, पटवारियों की गलती के कारण वह भूमि रकबा राज की सूची में पकड़कर गजट नोटिफिकेशन जारी करवा दिया, विशेष आबंटन के लिए। ऐसे हजारों की संख्या में काश्तकार हैं जिनकी भूमि गजट में होने के कारण वह आज आबंटन से महरूम हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पेयजल पर करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी आज किसी एक भी गांव में चले जाइये, समान रूप से पानी किसी भी गांव में मिले तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हर गांव में करोड़ों-अरबों रुपये खर्च हो गए, अंतिम छोर पर गरीब बैठा है, ऊंचे

(श्री रामप्रताप कासनियां)

स्थान पर बैठा है वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, अरबों रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सख्ताई के बिना शासन नहीं चल सकता। सरकार अगर सब लोगों को समान रूप से पानी पिलाना चाहती है तो सख्ताई करे, अवैध कनेक्शन रोके, जिन लोगों ने मोटर लगा रखी है उनके चालान करे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, ताकि सबको समान रूप से पानी मिल सके।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर, इस प्रान्त के अंदर शासन बदलते ही सारी की सारी योजनाएं बदल जाती हैं। बड़े ही खेद का विषय है, करोड़ो-अरबों रुपये बर्बाद हो जाते हैं। दूसरी सरकार बदली, दूसरे जिले में योजना ले आई, दूसरी सरकार आई वह दूसरी जगह ले गई, तो इससे सरकार का अरबों रुपये का नुकसान होता है।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व मंत्री राजेन्द्र जी राठौड़ ने दस वर्ष पूर्व इस सदन में मेरे प्रश्न पर घग्घर नदी पर एक पुल की मंजूरी दी थी। बड़े खेद का विषय है, उस पुल का मैंने उद्घाटन कर दिया, टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, सरकार बदल गई, टांय-टांय फिस्स। आज दस वर्षों से वह पुल पैंडिग पड़ा हुआ है, न तो वह कैंसिल हो सकता है, न ही उसका निर्माण हुआ, सवा करोड़ लागत थी जो आठ करोड़ पर पहुंच गई, यह नुकसान होता है सरकार बदलने से। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री सभापति: श्री गुरमीत सिंह कुनर।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): राजस्थान के अंदर आगामी 20-25 वर्ष का प्लान बनना चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो योजनाएं नहीं बदलनी चाहिए, इससे जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।

श्री सभापति: श्री गुरमीत सिंह कुनर, श्री मदन प्रजापत।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, इसके अलावा और भी अगर आप अलाउ करें...

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): सभापति महोदय....

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माध्यम से सरकार से फिर समय रहते निवेदन करना चाहता हूं कि आवारा गौवंश है इसका प्रबंध करवाइये अन्यथा आंदोलन भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरमीत सिंह कुनर।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सरकार बदली और कांग्रेस सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफी का वादा था उसको पूरा करने का ऐलान किया कि दो लाख का कर्ज माफ करेंगे। बहुत खुशी की बात है, कर्जा माफी पहले भी हुई, मनमोहन सरकार ने की, पिछली सरकार ने भी की, इस सरकार ने भी घोषणा की। कर्जा माफी होगी जो सरकार ने कहा है। कर्जा माफी किसान की हालत सुधारने का कोई जरिया नहीं हैं। कब तक किसानों का कर्जा माफ करते रहेंगे? हमें इसके लिए पुख्ता उपाय ढूंढने होंगे। कर्जा माफी बहुत छोटे किसान की होगी, उसके ऊपर कितने किसान हैं जो कर्जे में बैठे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम किसानों की दशा सुधारें। सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है कि समर्थन मूल्य पर हम फसल खरीदेंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं जाता। फसल आ जाती है, किसान को मजबूरन फसल व्यापारी के यहां बेचनी पड़ती है क्योंकि हमारा खरीद का कोई तरीका नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। सरकार के मापदण्ड ऐसे लगा दिए जाते हैं कि किसान थैलियों में सरसों, मूंग, चने लेकर दर-दर भटकता है। कभी क्वालिटी के नाम पर, कभी माइश्चर के नाम पर उसको इस तरह से लैब में घुमाया जाता है कि वह दुःखी होकर इसका पीछा छोड़ा देता है और हजार-हजार, पन्द्रह-पन्द्रह सौ रुपये क्विंटल के फर्क से उसको फसल बेचनी पड़ती है। अगर हम वास्तव में किसान के हितैषी हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान की उपज, जितनी वह बाजार में बेचना चाहें, समर्थन मूल्य पर बिके और एक मुश्त बिके। आनलाइन का लफड़ा और है बीच में। सरकार कोई न कोई ऐसा बहाना ढूंढती रहती है कि किसान हम से टले। आफ लाइन था, आनलाइन लेंगे, किसान गेहूं लेकर दुकान पर जाता, रखता, बोली होती, एफसीआई वाले आते, तुल जाता। अब हम आनलाइन लेंगे, आनलाइन का सिस्टम छोटी-छोटी मण्डियों में बैठता ही नहीं है। कहीं तो ई-मित्र काम नहीं करते, कहीं लाइट नहीं होती, कहीं नेटवर्क नहीं

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

होता, तो महीनों आनलाइन ही हुआ इस बार मूंग की फसल का। कहां सात हजार रेट, उनसठ सौ रुपये और कहां पांच हजार पर किसान को बेचना पड़ा।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार सुनिश्चित करे कि जो समर्थन मूल्य घोषित किया है उस पर किसान की फसल को तुलाया जाए। आनलाइन का सौदा छोड़कर, आफलाइन हरियाणा, पंजाब सरकारों ने किया उन्हीं की तर्ज पर हमारी फसल तुले और किसान को राहत मिले।

आप देख रहे होंगे, सुनते भी होंगे। हमने तो देखा भी है कि हरियाणा और पंजाब में हमारे से सात-आठ गुणा फसल ज्यादा होती है, सरकार उसको तुलवाती है। वहां दो फसलें हैं। यहां तो एक ही है। बड़े अच्छे से सारा माल तुलता है और समय पर पेमेण्ट होता है। हमें इस सिस्टम को डवलप करना पड़ेगा कि किसान की फसल हम समय पर लें और समर्थन मूल्य पर लें।

उसके बाद पानी की कमी, जहां नहरी सिंचित क्षेत्र है। गंगानगर जिले से मैं आता हूं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर, आगे पानी बाड़मेर तक चला गया, सिंचाई होती है, लेकिन पिछली सरकार ने, जो डिग्गियों की सब्सिडी थी, वह कम कर दी। डिग्गियों पर सौर ऊर्जा लगने वाले संयंत्र थे, उनकी सब्सिडी कम की। उसका नतीजा यह हुआ कि सारे के सारे डिग्गियों वाले प्रोजेक्ट ठप्प हो गये। साढ़े चार साल तक कोई काम नहीं हुआ। लास्ट में जाते-जाते कुछ सब्सिडी बढ़ाई और डिग्गियों का काम शुरू हुआ। वह भी उसके आधे ही हुए, बाकी पैसे ले लिये। आज किसानों ने डिग्गियां बना लीं। उनको पेमेण्ट नहीं हो रहा। सौर ऊर्जा लग नहीं रही। बिजली, जब किसान मांगता है तो मिलती नहीं है।

आज कनेक्शनों के बारे में सोचते हैं कि बिजली कनेक्शन हो जाये, वह कहते हैं कि 2012 तक की लिस्ट अभी कम्प्लीट नहीं हुई तो 2019 कहां आयेगा। ऐसी स्थिति में सरकार डिग्गियों के लिये अनुदान बढ़ाये और सौर ऊर्जा का अनुदान बढ़ाकर हाथों-हाथ जो डिग्गी बनाये, उसको सौर उर्जा का कनेक्शन मिले ताकि किसान अपने पानी का सदुपयोग कर सके। डिग्गियां बन जाएंगी, सौर ऊर्जा लग जायेगी तो पानी की काफी बचत भी होगी।

गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, वे

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

बहुत पुरानी हैं। पंजाब से पानी आता है। लगभग 160 किलोमीटर दूरी तय करके राजस्थान में उसका प्रवेश होता है। जब से नहरें बनीं, हम एक नहर, बीकानेर-गंग कैनाल को छोड़ दें, जो महाराजा गंगासिंह ने बनवाई थी, उसके पीछे की नहरें, उससे पहले की बनी हुई हैं, जब से इन्दिरा गांधी नहर बनी और सरहिंद फीडर बना, इतनी क्षतिग्रस्त नहरें हैं कि वहां से हमारा पूरा पानी आता ही नहीं। सबसे पहले तो हरिके बैराज से सरहिंद फीडर निकलता है। उसमें साढ़े ग्यारह हजार क्यूसेक की क्षमता है, लेकिन इतना पुराना सिस्टम होने से, वह 9 हजार क्यूसेक से, साढ़े 8 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं लेता। हरियाणा और पंजाब अपने हिस्से का पानी लेकर चले जाते हैं। क्योंकि उनके वहां से पानी आता है। जो पानी कम आता है, वह राजस्थान का कट जाता है।

उसके आगे आ गया फिरोजपुर फीडर, वह तब का ही बना हुआ है, जब बादल नहीं होते, बरसात के दिन नहीं होते तो पानी ठीक आता है। लेकिन ज्योंही पंजाब में बादल हो जाएंगे, बरसात होने की आशंका होगी, नहर टूटने के भय से पानी और कम कर दिया जाता है। एक तरफ तो उन दिनों में लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके आगे के किसान, जो आई.जी.एन.पी. से जुड़े हुए हैं, वे पानी को प्यासे हो जाते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति होती है, माननीय सभापति महोदय, जब अखबारों में पढ़ते हैं कि 50 हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है और हमारी नहरों के पानी में कटौती की जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन नहरों की मरम्मत समय रहते, मरम्मत होने वाली तो है नहीं, इनका पुनर्निर्माण होगा तब जाकर इनमें पानी आयेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): मैं तो अभी कर देता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में करें।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): सभापति महोदय, बातें और भी बहुत हैं। आपने दो मिनट का राइडर लगा दिया, जल्दी समेटते हैं। (व्यवधान) अब पानी वाली छोड़नी पड़ेगी।

जिले की कुछ थोड़ी-थोड़ी बातें हैं, मैं रखूंगा कि किसानों की हम बात करते हैं। कोई नया प्रोग्राम आता है तो हम किसानों को बड़ा सब्ज-बाग दिखाते हैं, हमारे अधिकारी भी, कर्मचारी भी, फील्ड में छोड़े हुए भी, जिसमें

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

कोई बहुत ज्यादा सब्सिडी होती है। इसी तरह पहले अनार की, आंवले की स्कीमें आयीं। वह लगाये, अनार फेल हो गया, आंवला फैल हो गया। उसके बाद हम खजूर लाये। उद्यान विभाग की बागवानी मिशन के तहत अतुल लिमिटेड कम्पनी ने खजूर लगाना चालू किया। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के सैकड़ों किसानों ने खजूर लगाये। 2009-10 की बात है, आज तक उन पौधों के फूल तक नहीं लगे, फल तो होने ही क्या थे। किसान बागवानी वालों के पास दर-दर भटक रहा है कि आपने ये बाग़ लगवाये, हमारे लाखों रुपये खर्च करवा दिये, हमें आज तक कोई फल नहीं मिला तो इस कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करो। हमें 10-10 साल का इनका क्लेम दिलवाओ, जो हम खेत खाली रख बैठे हैं और मेहनत हमारे पले से गयी, लेकिन, सभापति महोदय, कोई सुनवाई नहीं हुई। वे रोते फिर रहे हैं, घर उनके उजड़ गये। उनको कौन मुआवजा देगा? क्या सरकार उनका कर्जा माफ करेगी, नहीं करेगी, न वे श्रेणी में आते हैं, लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एग्रीकल्चर वाले उनके पास जाएं, उनको मजबूर किया जाये कि इस कम्पनी से जिन्होंने इस घटिया किस्म के पौधे देकर बाग़ लगवा दिये, लेकिन आज उसमें कुछ भी नहीं हुआ, अगर उनको कम्पनी ने क्लेम देना है, सरकार का तो कुछ लगना नहीं, लेकिन सरकार के अधिकारी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): धन्यवाद, सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज पहली बार है और आज समय की आप बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: शुरू करें आप, चालू रखें आप। समय का ध्यान रखें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, अब मैं दूसरी बार राजस्थान की विधान सभा में चुनकर आया हूं। विशेषकर 36 कौम और गरीब, मजदूर, किसान और आम साधारण आदमी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी मेहनत के कारण मैं आज यहां खड़ा हूं। पूर्व पांच साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे लोग उनको फोटो कापी की सरकार भी

(श्री मदन प्रजापत)

कहते हैं, इन चार-पांच सालों में फोटो कापी के सिवाय और कुछ नहीं मिला। अभी जो कल आपने यू.पी. देखा, माननीय साधु-संतों ने बात रखी कि मंदिर कब बनेगा और दूसरी तरफ योगीजी पेंशन शुरू करते हैं। मांगते कुछ हैं और मिलता कुछ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो गत पूर्व बी.जे.पी. की सरकार अहंकार, घमण्ड और मुख्य मंत्रीजी का इतना अहंकार कि एक एम.एल.ए. को मिलने का टाइम एकाएक नहीं मिलता था।

जब अशोक गहलोतजी, 2013 में एक लाख 29 हजार 910 करोड़ रुपये का जो ऋण राजस्थान के ऊपर था, आज इनकी नाकामी के कारण 03 लाख 08 हजार के ऊपर होना, यह दर्शाता है कि यह घमण्ड और अहंकार के सिवाय सरकार में इन्होंने ध्यान नहीं दिया।

आज जनता बड़ी दु:खी होकर, आज जो इन्होंने, जब भी बात करते हैं, किसान के विरुद्ध इन्होंने बात कही, मैं आभार व्यक्त करता हूं लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी का, माननीय सभापति महोदय, सरकार बनते ही, पहले जब 2008 में सरकार बनी, घोषणा की कि पांच साल तक किसान की बिजली की दर नहीं बढ़ेगी। जब आज तीसरी बार माननीय मुख्य मंत्रीजी बने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधीजी के सामने सभा में पुन: घोषणा की कि पांच साल किसानों की बिजली की रेट, इससे जाहिर होता है कि किसानों के हित में कोई फैसला ले सकते हैं वह सिर्फ कांग्रेस ले सकती है। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा कई बातें हैं। आज दुगना ऋण राजस्थान के ऊपर होना यह दर्शाता है कि यह पोपाबाई का राज था। सभापति महोदय, आज अकाल में तुरन्त जो हमने मांग की, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फैसला लिया है।

माननीय सभापति महोदय, जब दो दिन पहले प्रतिपक्ष के माननीय नेता जिनका हम पूरे सदन के सदस्य आदर करते हैं, वह पुराने हैं, उनके मुंह से जो एक शब्द निकला कर्ज माफी के ऊपर कि यह लंगड़ा आदेश है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने आते ही 2 लाख तक किसानों की ऋण माफ करने की घोषणा पहली कैबिनेट में की। जब इनकी गत सरकार थी और इन्होंने जो किसानों के साथ धोखा किया, इस वजह से ही आज यहां से वहां पर जाने की नौबत आयी है। आठ हजार करोड़ रुपये में से मात्र पन्द्रह सौ, दो हजार करोड़ रुपये भी किसानों के माफ नहीं हुए। पचास हजार रुपये की घोषणा की थी

(श्री मदन प्रजापत)

लेकिन बाद में शर्त लगाकर दो हैक्टेयर, पेंशनधारी, नौकरीधारी, जन-प्रतिनिधि वगैरह-वगैरह कई तमाम अड़चनें उलझाकर और वह इसको लंगड़ा कानून कहते हैं जो सहकारी समितियों का तमाम जो कर्जा है, उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माफ किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज यह लंगड़ा कानून की बात करते हैं। लंगड़ा वह था या यह लंगड़ा कानून है? आज जो किसान के हित में, आज इनको मैं यह याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा, भाइयों-बहनों, पन्द्रह लाख आएंगे। लंगड़ा वह है या जो माफ हुआ वह लंगड़ा है? भाइयों-बहनों, 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी। एक भी नहीं बनी और इनको लंगड़ा कानून कहते हैं जो किसान के हित में क्रांतिकारी कदम है और इन्होंने धोखा किया। स्मार्ट सिटीज कहां गयी? दो करोड़ नौकरियां कहां गयीं? आज 45 हजार करोड़ का खान घोटाला +++ हुआ, यह आपकी नाकामी और यह लंगड़ा कानून है। यह लंगड़ा कानून नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं पूर्व कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि आज बाड़मेर जो रेगिस्तानी जिला है और पहले माननीया सोनिया गांधीजी के हाथों से जो बड़ी सौगात हमारे को जो पचपदरा विधान सभा क्षेत्र को मिली, 43129 करोड़ की रिफाइनरी का प्रोजेक्ट इन्होंने चार साल तक भ्रम में रखा। यह घाटे का सौदा है, यह कंपनी नहीं बना सकती, यह हो ही नहीं सकता और चार साल तक भ्रम में रखकर इन्होंने काम बंद नहीं किया होता तो आज रिफाइनरी पूरी हो जाती और युवाओं को रोजगार मिलता।

माननीय सभापति महोदय, हमने आंदोलन किये हैं और इतिहास में बाड़मेर जिले में पहली बार 105 किलोमीटर पैदल यात्रा हजारों लोगों ने निकाली। माननीय अशोक गहलोतजी ने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया। मैं इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि पहली कैबिनेट में भी रिफाइनरी के ऊपर चर्चा हुई। जहां भी बात होती है, रिफाइनरी की बात हमको जरूर सुनने को मिलती है और इन्होंने जो हमारे बाड़मेर, राजस्थान के साथ में धोखा करके चार साल तक रिफाइनरी की शुरूआत नहीं करना, इससे बड़ा राजस्थान और आम आदमी के साथ में धोखा नहीं हो सकता। आज वही एच.पी.सी.एल. कंपनी, वही शर्तें और वही नियम तो मैं आज, माननीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से पूर्व सरकार के जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं यह पूछना

(श्री मदन प्रजापत)

चाहता हूं कि कहां गया घाटा, कैसे हो गया मुनाफा? वही शर्तें और नाम बदलने की और बहलने की आदत इनकी पुरानी है। जैसे राजीव गांधी भवन के नाम बदले गये, इसी तरह से जो शिलान्यास हुआ और वापस मोदीजी के हाथों शिलान्यास करवाया। हमने विरोध किया तो इन्होंने शिलान्यास का आनन-फानन में अधिकारियों ने नाम बदलकर शिलान्यास की जगह कार्य शुभारंभ कार्यक्रम कर दिया। भाई, कार्य शुभारंभ, यह एक ऐसा कार्यक्रम प्रधान मंत्रीजी के हाथों, यह पहली बार सुना है, कभी ऐसा कार्यक्रम और इसके अलावा आज चार साल जो देरी की, इसका जवाब जनता पूछ रही है।

माननीय सभापति महोदय, इन तमाम बातों से यह लगता है कि आज रिफाइनरी की तुरन्त बात करना, आज सुशासन, जो राज आया है और आज लोगों में ऐसा लगा कि अच्छा राज आया और पोपा बाई का राज गया।

माननीय सभापति महोदय, आज तक पांच साल जनता बड़ी दु:खी थी। हर गरीब आदमी पूछता था कि कब आएंगे गेहूं वाले मुख्य मंत्री? आम-जनता, आम-आदमी के मुंह में यह बात थी कि कब आएंगे पेंशन वाले मुख्य मंत्री? कब राज आएगा, फ्री दवाई और जांच वाला? आज आते ही इन्होंने हरेक बुजुर्ग और गरीब को ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): एक मिनट। यह बार-बार कह रहे हैं पोपा बाई, कौनसी पोपा बाई? बताओ तो सही पोपा बाई कौन है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नहीं। माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप भी जानते हैं। आज जो पूर्व सरकार, जो नाकाम रहती है उनको पोपा बाई बोलते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब दो मिनट में अपनी बात को आप समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): कोई व्यक्ति विशेष नहीं। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, अभी तो मेरी भूमिका ही नहीं बनी। (व्यवधान)

श्री सभापति: सिर्फ दो मिनट।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि पांच मिनट और दें।

श्री सभापति: दो मिनट।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज जो जनता के मुंह में था कि कब आएंगे पेंशन वाले? आते ही डेढ़ गुणा पेंशन की, 500 से 750 और 750 से 1000 किया। यह जो भारतीय जनता पार्टी वाले भूल गये थे कि हमारे को काम करने के लिए भेजा है या बंद करने के लिए भेजा है। आज डाक्टर हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, बाबा साहब के नाम से जो विधि विश्वविद्यालय था वह बंद, रिफाइनरी चार साल बंद, स्कूलें बंद, गेहूं बंद, बजरी बंद, नोट बंद, न जाने इन्होंने क्या-क्या बंद किये। अहंकार और घमंड में यह भूल गये कि हमें काम के लिए भेजा है या बंद करने के लिए भेजा गया है। आज यह नौबत है कि इनके कारण आज हम सरकार में हैं।

माननीय सभापति महोदय, इनकी नजरों में, भारतीय जनता पार्टी की नजरों में गाय दो प्रकार की हैं। हम तो गाय को गाय माता और दूध देने वाली मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट देने वाली गऊ माता को मानते हैं। इनके मोबाइल में फोटो रहता है। घर में न गाय की सेवा और सिर्फ वोट बटोरने के लिए, वोट आए तो गऊ माता और वोट गये तो आवारा पशु। यह इनका दोहरा चरित्र है। जब वोट गये आवारा पशु और वोट आए तो गऊ माता। कहां गया राम का मंदिर? यह गऊ माता के साथ में धोखा कर सकते हैं। पहली सरकार में माननीय गहलोत साहब ने अलग से मंत्रालय बनाया, अनुदान दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह टोकाटाकी करने वालों का अंकित न हो किसी का भी, जो भी बीच में टोकाटाकी करे, किसी का भी अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इससे यह साबित होता है कि अगर गऊ माता के हित में कोई फैसला ले सकता है तो कांग्रेस सरकार और माननीय गहलोत साहब का राज ही ले सकता है। इनके नेताओं की यह नीति रही है, इनके अलावा आज के युग में सबसे बड़ी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आज जो लोग, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने माननीय राज्यपाल महोदय के ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): जो भगवान राम के नहीं हुए, वह आज दूसरों के क्या हो सकते हैं? और इनका उदाहरण, माननीय सभापति महोदय, प्रवीण तोगड़ियाजी से पूछ सकते हैं कि यह फोटो कापी की सरकार ने जनता के साथ जो धोखा किया और भगवान राम के साथ में धोखा किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत, आप बोलिये। माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मैं मेरे क्षेत्र की पोकरण-फलसूंड पर एक बात कहकर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, पोकरण-फलसूंड बड़ी योजना, जो वोट आते ही आनन-फानन में इन्होंने शुरू कर दिया, आज ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): बैठो भाई, समय खराब मत करो, सच्चाई को सुनो।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आज हर दूसरे दिन लीकेज हो रही है, उसकी वजह से लोग पानी के लिए दु:खी हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, पानी वाली बहुत बड़ी योजना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, समय आपसे ही मांग सकते हैं और ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह आधा-आधा घंटे बोले हैं। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इनका अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: विराजिये, आप विराजिये। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे और सरकार की जो गाथा गा रहे थे, मैं उनको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार वास्तव में कहते हैं कि जादूगरी का खेल तो सब जगह देखा है लेकिन राजस्थान की पूरी जनता को ऐसा जादू दिखाया और सारे काश्तकारों को कह दिया कि हमारी सरकार आते ही सम्पूर्ण कर्जा माफ होगा। वाह भाई, वाह। इतना जादू मैंने पहली बार देखा कि हमारी सरकार ने भी कर्जा माफ किया, मैं तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धराजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जैसे ही पचास हजार रुपये तक का कर्जा प्रत्येक किसान का माफ करने का जो काम किया, शिविर लगाकर हाथों हाथ उन काश्तकारों को ऋण माफी का प्रमाण-पत्र वितरित किया। शिविर लगाकर किया। इसको कहते हैं कर्जा माफ करने का काम और जादूगरी के खेल के अंदर ऐसा घोषणा पत्र में जादू कर दिया कि दस दिन के अंदर हम सम्पूर्ण राजस्थान के काश्तकारों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे और वोट बटोर कर उनको मूर्ख बना दिया और राज के अंदर आ गये।

इसको कहते हैं जादूगरी, लेकिन जादूगरी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता, काश्तकार सारे जाग चुके हैं, उनको सब पता हो गया है। अब आप देखना, लोक सभा के अंदर क्या होता है आपकी जादूगरी का। परन्तु आपने सिर्फ कमेटी बनाकर छोड़ दी, हम कमेटी बनाकर अभी उनकी जांच करवा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का जवाब आया, हमने केन्द्र सरकार में प्रधान मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी है कि वह सम्पूर्ण काश्तकारों का कर्ज माफ करें। वह तो आपसे पहले ही घोषणा कर चुके हैं। घोषणा करवाने के लिये हमारी पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन आपने अगर यह चिट्ठी लिखी है

(श्री शंकर सिंह रावत)

तो क्या कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्रीजी से पूछकर आपने घोषणा पत्र बनाया था क्या? आपको ऐसा असत्य घोषणा पत्र राजस्थान की जनता को भ्रमित करने के लिये नहीं बनाना चाहिये।

साथ में काम करने का नतीजा, आप कहते हैं हम गरीबी मिटाएंगे। गरीबी नहीं मिटाकर, गरीबों को मिटाने का काम किया है। गरीबी मिटाने का अगर किसी ने काम किया है तो राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजे ने और भाजपा सरकार के अंदर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री महोदय, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदीजी ने गरीबी मिटाने के लिये उन्होंने गरीबों के ऊपर विचार किया है।

आज जिस प्रकार राजस्थान में गरीबों के लिये रहने का मकान नहीं है। मुख्य मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना डेढ़-डेढ़ लाख रुपये उस गरीब को घर बैठे और हजारों की तादाद में वह वितरण हो रहे हैं। कांग्रेस के शासन में भी इंदिरा आवास योजना के तहत सिर्फ एक ग्राम पंचायत के अंदर तीन व्यक्ति को इंदिरा आवास मिलते थे और 60 हजार रुपये और अब डेढ़ लाख रुपये प्रत्येक पंचायत के अंदर कम से कम 50 से ऊपर, प्रत्येक को आवास मिल रहे हैं।

साथ में, आज श्रमिक योजना के अंदर ऐसी योजना बनायी कि उस गरीब को, जो श्रमिक मजदूरी करता है और मजदूर का मजदूरी का कार्ड अगर बन जाये तो कार्ड बनने के बाद जैसे ही उस मजदूर के कोई लड़का पैदा होता है तो सरकार की तरफ से 20 हजार रुपया, लड़की पैदा हुई 21 हजार रुपया। लड़की जब 18 साल की हो गयी तो लड़की की शादी के लिये राजस्थान सरकार की तरफ से 55 हजार रुपये दिये जाएंगे और जब उस श्रमिक की बिना कोई बीमा कराये दो लाख रुपये का उसका बीमा। साधारण मौत के ऊपर दो लाख का बीमा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। दो मिनट में सिर्फ।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मेरे ही दो मिनट। आप दस मिनट तो करेंगे। 40 पर चालू किया है।

श्री सभापति: आप चालू रखें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): साहब दो ही मिनट हुए हैं, 40 पर चालू किया है मैंने।

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): आप दबाव बनाते हो तो मैं अपनी बात भूल जाता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, ऐसे पांच मिनट का राइडर मेरे ऊपर ही क्यों लगा रहे हो? श्रमिकों के लिये इस प्रकार की जो योजना बनायी है तो निश्चित तौर पर उस श्रमिक की साधारण मौत पर 2 लाख रुपये का उसको क्लेम मिल जाएगा और किसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में हुआ तो 5 लाख रुपये से ऊपर उसको क्लेम मिल जाएगा। ऐसी योजना कभी आप लोगों के सोचने में नहीं आयी थी कि ऐसी योजना भी हम बना सकते हैं। आज जिस प्रकार हमारी माता-बहनें आपके शासन के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी केन्द्र के अंदर, एक गैस का कनेक्शन लेने के लिये, माननीय सभापति महोदय, उस एम.पी. के चक्कर काटने पड़ते थे और एक कूपन लेकर फिर उसको गैस कनेक्शन मिलता था। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के आने के बाद उन्होंने कह दिया कि गरीबों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन घर बैठे और गरीब किसी के पास कोई कूपन लेने नहीं जाएगा। सरकार गरीब के घर जाएगी और उस गांव के अंदर कैम्प लगाकर जितने भी गरीब हैं, उनको गैस के कनेक्शन बांटकर आएगी। यह काम हमारी सरकार ने किया है। अब आपको दिखता ही नहीं है, उसमें तो हम भी क्या करें।

सभापति महोदय, इसके साथ में उस गरीब के खाने के लिये आज अन्नपूर्णा योजना चलाकर गरीब के लिये पांच रुपये के अंदर नाश्ता, आठ रुपये के अंदर भरपेट खाना, आपकी कैंटीन के अंदर भी 40 रुपये लगते हैं, माननीय सभापति महोदय, वहां तो आठ रुपये के अंदर हमारी सरकार ने ऐसी योजना बनाकर गरीब के खाने के लिये ऐसी योजना बनायी और गरीब का पेट कैसे भर सके, इस प्रकार की योजना बनायी। आज सच्चाई के ऊपर आते हैं। आपने चुनाव घोषणा पत्र के पैरा संख्या 36 में आपने लिखा है।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्रजी मीना।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और दीजिये। मेरी बात पूरी कर लेता हूं, सिर्फ दो मिनट और दीजिये आप।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्रजी मीना।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, बात तो पूरी कर लेने दीजिये प्लीज।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: आप विराजिये, समय की मर्यादा है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मैं सिर्फ सुझाव-सुझाव दे रहा हूं। पीने के पानी के लिये सरकार को क्या करना चाहिये। पीने के पानी के लिये बीसलपुर तालाब को आपने समुद्र मान रखा है ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य हरीशजी, आप बोलिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मैं माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में संवेदनशील एवं कल्याणकारी सरकार के गठन पर राजस्थान की जनता को बधाई एवं धन्यवाद पेश करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार बनाकर जनता ने कांग्रेस की सरकार को सेवा करने का मौका दिया है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं नवनिर्वाचित सरकार को राजस्थान के गरीब, किसान, मजदूर के हितों की रक्षा करने वाली सरकार मानता हूं। यह सरकार दलित, पीड़ित, शोषित एवं वंचित वर्गों के विकास करने का वादा करती है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान समस्त भू-भाग एवं हर वर्ग के विकास का बीड़ा उठाया है। चाहे शहर हो या गांव हो, महिला हो या पुरुष हो, किसान हो या व्यापारी हो, हर वर्ग के कल्याण एवं विकास की नई-नई नीतियां लागू करेगी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य, इतने दिन में मन बदल गया आपका। कल तक तो हमारे ही गुणगान किया करते थे आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): आप पर आऊंगा, आपके बारे में काफी लम्बा चिट्ठा है मेरे पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी तो स्याही ही नहीं सूखी। अभी तो आपके लोक सभा में हस्ताक्षर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्याही ही नहीं सूखी।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, विराजिये, विराजिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): आपके कारनामों की वजह से ही आ गया यहां।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): दो एम.पी. कांग्रेस वाले बैठे हैं, मोदीजी के नेतृत्व में 100 एम.पी. हमारे पुराने। (व्यवधान)

श्री सभापति: किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं किया जाये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): यह सरकार जनता के ट्रस्टी के रूप में प्रदेश का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के एवं जवाबदेही के साथ जनता की भलाई एवं विकास का कार्य करेगी। मैं सरकार के इस कदम का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने प्रदेश में कृषि अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनायी है एवं इसी क्रम में...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): किसानों के ऋण माफी इसकी शुरूआत है। इसी तरह राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों तक किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है।

महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के पाइंट नंबर 35 में राज्य सरकार द्वारा सिंचाई के लिये बेहतर जल प्रबन्धन से संबंधित नवाचार के इरादे का स्वागत करता हूं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं राजस्थान कृषि प्रधान देश है और बिना सिंचाई के कृषि सम्भव नहीं है तो सरकार ने यह जो कदम उठाये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि राजस्थान के सबसे बड़े जल-स्रोत बीसलपुर बांध, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, महोदय, उसका पानी जयपुर तक आता है, अजमेर तक जाता है, ब्यावर तक जाता है, पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवली, उसके किसान इससे वंचित

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

हैं तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों के हितों का भी ध्यान रखें और जगह देना है।

इसी तरह राजस्थान एक मरु प्रदेश है। यहां एक-एक बूंद पानी की कमी है पर कुछ पानी हमारे पास ऐसा है जिसका हमने सदुपयोग नहीं किया। राजस्थान के करौली में एक पांचना बांध है, पिछले 15 सालों से उसको खोल नहीं रहे हैं। यह राज्य सरकार के खुद के अधीन में है, कृपया इसका ध्यान रखें ताकि हमारे लोगों का भला हो सके। उस पर न तो किसी कोर्ट का आदेश है, न किसी सरकार का आदेश है, सिर्फ ऐसे ही सरकार की लेटलतीफी के कारण उस बांध के पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पांचना बांध का पानी वहां के किसानों को अविलम्ब मिले, ताकि हमारे प्रदेश का विकास हो।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपसे यह आग्रह है कि जो सरकार ने खेल नीति बनायी है, उसका मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान में खेलों के विकास के लिये प्रचुर संभावना है। हमारी चूरू से आने वाली कृष्णा पूनियां जो विधायक हैं, एशियन गेम्स की गोल्ड मैडलिस्ट हैं।

एक माननीय सदस्य: चूरू से तो राठौड़ साहब हैं।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): चूरू जिले से है भाई। राठौड़ साहब राजस्थान के नेता हैं, चूरू के ही नहीं।

मैं इस नीति का स्वागत करता हूं लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसी राजस्थान में बिना खेल नीति के 1976 में मान्ट्रियल ओलिम्पिक्स में श्री राम सिंह, यहां के थे, गोपाल सैनी यहां के प्रसिद्ध धावक हुए, मगन सिंह यहां के फुटबालर हुए, बांसवाड़ा के एशियन गेम्स के गोल्ड मैडलिस्ट श्याम लाल मीना हुए। ये बिना खेल नीति के थे क्योंकि खेल में व्यवस्था थी। आजकल तो खेल नीति किसके लिए बन रही है, ललित मोदी के लिए। खेल का विकास हो या नहीं हो, इन व्यापारियों का जरूर विकास हो रहा है तो खेल को सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बनाएं। खेल नीति खेल के विकास के लिए बनाएं। व्यापारियों के लिए नहीं बनाएं। बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े व्यापारी खेल संगठनों के अध्यक्ष बने बैठे हैं। इससे उनको मुक्त रखें तो मैं मानता हूं कि बड़ी सेवा होगी।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सभापति महोदय, इसी तरह मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना को सरकार ने प्रभावशाली ढंग से लागू करने का वचन दोहराया है, यह बहुत ही अच्छी चीज है। यह पूर्व में थी। पिछली सरकार ने किन कारणों से इसको बन्द कर दी, मुझे पता नहीं। इसको सरकार ने पुन: चालू करने का जो निर्णय किया है, यह स्वागत योग्य है। इससे गरीबों को लाभ होगा।

चिकित्सा सेवाओं की भी बात चली है कि सरकार ने राजकीय क्षेत्र में नये मेडिकल कालेज पूर्ण क्षमता के साथ विकसित कर चिकित्सा शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के समय शिक्षा व्यवस्था क्या थी? मुझे यह जरूर पता है कि रोजाना घोषणा होती थी कि इतने अस्पताल खोल दिए, इतना यह कर दिया। न तो नया अस्पताल खोला और न ही नया कमरा बना और न ही नये डाक्टर्स भर्ती किए और चिकित्सा को सेवा से चिकित्सा उद्योग बना दिया जिसमें आशीष की कृपा से जो कुछ भी हुआ, हमारी जीत में उस आशीष की बड़ी मेहरबानी है। कृपया, जनता को लाभ मिले। डाक्टर्स का ट्रांसफर उनकी योग्यता और गुणवत्ता के आधार पर हो और कोई आर्थिक, सामाजिक कारणों से नहीं हो।

इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक हायर सैकण्डरी स्कूल होगा। उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा प्रगतिशील कदम था लेकिन स्कूल के लिए एक कमरा नहीं बना। पांच सौ रुपये का बजट नहीं दिया। एक मास्टर नहीं दिया। एक विषय नहीं दिया। तो वह कैसी शिक्षा व्यवस्था थी कि बिना कमरे के, बिना मास्टर के और बिना विषय के चल रही थी। ऐसा हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। यह गरीब प्रदेश है। गरीब जनता है। जो कुछ भी वादा करें, वादा पूरा होना चाहिए।

मेरा दूसरा सरकार से यह अनुरोध है कि पाइन्ट नम्बर 60 पर लिखा है कि उद्योग धंधे, न सिर्फ रोजगार सृजित करते हैं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी खुशहाल बनाते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। इससे राज्य सरकार को आय होगी और हमारे गरीबों को रोजगार मिलेगा लेकिन उद्योग कब चलेगा, उद्योग कब विकसित होगा, जब प्रदेश में कानून व्यवस्था होगी। इस प्रदेश में पता नहीं क्या कारण रहे, गलत चीजों के लिए हमारा प्रदेश बदनाम हुआ। पुलिस को जो काम करना चाहिए था कानून व्यवस्था का, वह तो किया नहीं और नहीं करना चाहिए था, जो कानून में वर्जित है, चाहे

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सोहराबुद्दीन एनकाउन्टर हो, चाहे दारा सिंह एनकाउन्टर हो, चाहे आनन्दपाल एनकाउन्टर हो, चाहे चतर सिंह एनकाउन्टर हो। ऐसी अनेक लाइन हैं। किसने किया, क्यों किया, इसके बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आनन्दपाल सिंह को मेरे कार्यकाल में जिन्दा पकड़कर हमने गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस को बयान दिया। वह सालों हमारे पास कस्टडी में रहा। पता नहीं, क्या-क्या नाम बताये, क्या-क्या नहीं बताये, अलग से मैं चाहूं तो आपको बता दूंगा। सदन के काफी माननीय सदस्य उसके परिचित थे, उससे लाभ उठा रहे थे कि किसने तो उसको छुड़वाया, किसने उसको मरवाया, यह प्रश्न चिन्ह् है। मैंने कुछ देखा नहीं, किसने मरवाया लेकिन मुझे पता है, उसके आधार पर बता रहा हूं कि राजस्थान में एक बड़ा जन आन्दोलन हुआ था।

श्री सभापति: अपने बात समाप्त करें माननीय सदस्य, दो मिनट में।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मेरी बात तो सुनें। अभी तो मैं आया ही हूं आनन्दपाल पर तो। तो मैं यह चाहता हूं कि आनन्दपाल के टेलीफोन की काल डिटेल्स सार्वजनिक की जाए। आनन्दपाल किस-किस के सम्पर्क में था, किन लोगों ने उससे आर्थिक लाभ लिया? किन लोगों ने राजनीतिक लाभ लिया और किन लोगों ने सामाजिक लाभ लिया? उसकी विधवा को चुनाव के पहले, उसकी मां को सब जगह घुमाया और वह वहां की वहां बैठी रही। लोग उसका नाम लेकर पता नहीं, कहां-कहां पहुंच गए। यह बहुत अन्याय है सर।

अन्त में, चूंकि आप तो सब कानून मेरे ऊपर ही लगाएंगे और मैं कानून की पालना करता आया हूं ...(व्यवधान) आज्ञा की पालना करूंगा। मुझे बोलने दें, जिससे मैं मेरी बात समाप्त कर सकूं, जो पूरे प्रदेश के हित की बात है।

सर, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ पाइन्ट उठाये थे, कांस्टीट्यूएंसी का नाम नहीं जानता, उनका नाम ले सकता हूं। संयम लोढ़ाजी है। उनका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा था कि इन्दिराजी ने प्रीवी-पर्सेज बन्द किए थे और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। बहुत अच्छा कदम था, पर हमारी दोनों सरकारों ने, इस पक्ष ने और उस पक्ष ने मुख्य मंत्रियों को क्या-क्या सुविधा दे रखी है, किसके हित में है? इससे राजस्थान के गरीब का क्या भला होगा? राजस्थान के बेरोजगार का क्या भला होगा? मैं चाहता हूं कि यह सरकार इसको तुरन्त प्रभाव से, जो पूर्व मुख्य मंत्रियों को सुविधा दी है, तुरन्त प्रभाव से उसको बन्द किया जाए।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, दूसरी बात सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अभी बात चल रही है, राजस्थान के मान-सम्मान की, कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दो। कुछ सदस्यों ने जब शपथ ली थी, उस समय भी यह विवाद था। सर, मैं इसके कतई खिलाफ हूं। (व्यवधान) बात सुनो। कौनसी राजस्थानी भाषा है? गंगानगर में बोलते हैं या बांसवाड़ा में बोलते हैं, जो जैसलमेर में बोलते हैं या धौलपुर में बोलते हैं? क्यों इस प्रदेश को लड़ाना चाहते हो? क्योंकि पूर्वी राजस्थान में पण्डित गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी के अधीन बृज भाषा संघर्ष समिति आलरेडी बनी हुई है। जैसे ही आप यह करोगे, हम गरीब लोग हैं, हमें रोजगार चाहिए, हम भूखे हैं, हमें रोटी चाहिए, हम प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। यह फालतू के मान-सम्मान का मत करो। किसका भला होगा इससे, मुझे बताइए? पैसा लगे न एक, दुनिया भर की शाबासी चाहिए। मरने दो इसको। हमारे लोग गरीब हैं, हमको गरीबी से मरना है।

सर, अन्त में, एक लास्ट सेन्टेंस है। मानव विकास सूचकांक है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): ग्यारहवीं विधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है राजस्थानी भाषा में।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मैं विरोध करता हूं। मैं सदस्य हूं इसका। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): ग्यारहवीं विधान सभा में, जिसमें मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ...(व्यवधान) तमाम माननीय सदस्यों ने पारित किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): आपकी भाषा हो सकती है। यह मेरी भाषा नहीं है, जो आप बोल रहे हो।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा, सरकार का यह फर्ज होता है कि मानव का विकास करे। मानव विकास सूचकांक के तीन पैरामीटर्स होते हैं, ह्यूमन डवलपमेंट इन्डेक्स के, हैल्थ, एजुकेशन एण्ड ट्रयू न्यूट्रिशन। जब तक आप इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, कोरी बातों से न प्रदेश का विकास होगा और न जनता का विकास होगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कुपोषण में ज्यादा से ज्यादा पैसा दें ताकि हमारी जनता को लाभ हो। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गजराज सिंह खटाणा।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले यह बात कहना चाहूंगा, जो सभी माननीय सदस्यगण ने बार-बार एक बात कही है, किसानों के ऋण माफी की। ऋण माफी के सम्बन्ध में, यह बात सही है कि किसानों का ऋण माफ होना चाहिए लेकिन इसमें भी दो बातें हैं। जब आप अमर्त्य सेन से बात करेंगे तो वे कहेंगे कि किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, पर रघुराम राजन ने साफ शब्दों में यह भी लिखा है कि इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। चूंकि कांगेस तो गरीबों की हितकारी पार्टी है। उन्होंने अमर्त्य सेन की बात मानकर प्रदेश के किसानों का ऋण माफ किया है। दो लाख रुपये तक के कर्जे माफ करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने एक कमेटी भी बना दी जिससे जल्दी से जल्दी ऋण माफ करके किसानों को राहत पहुंचाएंगे।

सभापति महोदय, कल मेरे एक साथी एक बात कह रहे थे कि हमें विकास के साथ अगर कहीं कर्ज नहीं है तो विकास नहीं हो रहा है पर इस प्रदेश में कैसा विकास हुआ है जो एक लाख तीस हजार करोड़ से बढ़कर तीन लाख आठ हजार करोड़ हो गए। तो ब्याज देना ही मुश्किल हो जाएगा तो आप विकास कैसे करेंगे। यह भी एक सोचने का मुद्दा है।

साथ ही, मैं किसानों की बात कर रहा था। कृषि विपणन पर हम देख रहे हैं कि किसान किस कदर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक बिन्दु और भी है यहां पर, हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं, उनमें विपणन की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां के किसान पड़ौसी राज्यों में अपनी फसल लेकर जा रहे हैं। चाहे वह चूरू का मामला हो, चाहे वह गंगानगर, हनुमानगढ़ का मामला हो और चाहे जालौर का मामला हो। इससे मल्टीफेरियस नुकसान होता है। जो किसान दूसरे राज्य में ले जाकर अपनी फसल बेचता है तो इससे कई तरह के नुकसान होते हैं। टैक्स का नुकसान भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा रोजगार और वहां के श्रमिक, थड़ी वाले, ठेले वाले, सारे के सारे उससे बरोजगार होते हैं। तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि हमें किसी तरह सीमावर्ती किसान हमारी मण्डियों में ही अपनी चीजों को बेचें।

मैं बात कर रहा था किसानों की। साथ में एक बात और भी है। अभी इसी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के लिए यह कहा है कि दस हैक्टेयर तक अगर कोई अपना उद्योग लगा रहा है तो उसे लैण्ड कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी। यह बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसकी बार-बार तारीफ करता हूं।

(श्री गजराज खटाणा)

(15:00 बजे)

गौशालाओं की बात चलती है, आप अगर गांवों में कभी जाते हो तो मैं समझता हूं कि आज की जो स्थिति है वो बेहद खतरनाक स्थिति हो गयी है, गांवों में किसान के लिए खेती करना मुश्किल हो गया है। अगर आप बाड़ नहीं लगा सकते, तार नहीं लगा सकते तो आप खेती नहीं कर सकते। इसके अलावा भी जो गाय और सांड घूम रहे हैं, मैं समझता हूं यह देश के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए एक इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, अगले दस साल में आप देखना सड़कों के ऊपर, गांवों में, खेतों में आपको इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी राय है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर हमको कम से कम एक ऐसी गोशाला खोलनी चाहिए जिनमें इनको हम रख सकें ताकि किसानों को इससे बचाया जा सके।

मैं साथ में एम.एस.पी. की बात कर रहा था, एम.एस.पी. पर मूंग, चना जिस तरह की खरीद हुईं, वह आपने देखा है कि पिछले दिनों में किसान किस तरह परेशान होते रहे।

अभी राजेन्द्र सिंह जी यहां से चले गये, मैं उनके सामने कुछ बात कहना चाह रहा था, उनके पुराने विभाग की एक बात है। पंचायती राज संस्थाओं को जिस तरह कमजोर किया गया, मैं समझता हूं कि पिछले पांच साल में पंचायती राज में, चाहे वो प्रधान थे, चाहे वो जिला प्रमुख थे, चाहे वो सरपंच थे, उन्होंने जिस तरह का झेला, नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे ट्रांसफर मंत्री करेंगे, ईवन सैक्रेटरीज के ट्रांसफर भी मंत्री के हाथ में आने लगे। यह अपने आपमें एक विडम्बना थी।

साथ ही नरेगा को किस तरह खतम किया गया। किया यह गया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन की एक योजना चालू की गयी। उसमें यह कहा गया कि हम लोग अनटाइड फंड उसमें डाल देंगे। इससे इतना बहुत नुकसान हुआ कि नरेगा लगभग खतम हो गया। इससे मल्टीफेरियस नुकसान हुआ और इस चीज की अगर हम आज जांच करें तो यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना कायम हो गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठायी जाए और जांच करायी जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं। सरकार में दम हो तो निश्चित तौर पर कराना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): मैं बात कर रहा था ग्रामीण क्षेत्र की। पहले ग्रामीण बस सेवा करके राजस्थान सरकार ने चलायी थी। जब बी.जे.पी. की सरकार आयी तो पूरी यह जो ग्रामीण बस सेवा चलती थी उन्होंने बसों को बंद कर दिया। यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो गांव के लोग उसको इतना पसंद करते थे, भरी बसें चलती थीं। छोटी ढाणियों में, छोटे कस्बों में, वो बस सेवा बहुत बड़ा काम कर रही थी पर उसको बंद कर दिया गया और मैं समझता हूं कि उसको पुन: चालू करके कांग्रेस सरकार एक अच्छा कदम उठा सकती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): सर।

मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं दौसा की और पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा हूं। देखिये, दौसा में पिछली कांग्रेस सरकार में पानी के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू करने वाले थे और अशोक गहलोत जी ने ईसरदा बांध का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके कारण न-केवल जयपुर बल्कि दौसा और आसपास का पूरा क्षेत्र है, पानी के लिए यह योजना बन रही थी पर उसमें यह किया है कि पिछले पांच साल में उस योजना पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ और इससे आज दौसा में और बांदीकुई में आप देखेंगे कि 120 घंटे में पानी की सप्लाई हो रही है। यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी विडम्बना है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं किसान परिवार से हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण किया गया, जिसका प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री महेन्द्रजीत सिंह जी द्वारा किया गया, जिसका अनुमोदन माननीय सदस्या श्रीमती शकुन्तला जी द्वारा किया गया, उसका मैं पुरजोर शब्दों से विरोध करता हूं। चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का नीति पत्र है इसलिए यह अभिभाषण नीतिहीन, दिशाहीन है क्योंकि इस अभिभाषण में राज्य सरकार

(श्री हमीर सिंह भायल)

ने जो गाइड लाइन रखी हैं उन पर खरा उतरना इनके लिए लगभग असंभव है क्योंकि इस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ा वादा दस दिन में किसानों का दो लाख का कर्जा माफ करने का किया है, दस दिन तो क्या एक महीना होने लगा है, न इसमें कोई गाइड लाइन है, न कोई दिशा है, न वित्तीय प्रबंध है। यह किस तरीके से पूरे राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे?

पूर्व मुख्य मंत्रीजी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कर्जा माफ किया था, सहकारी समिति से लगाकर जिस किसान के लिए, चाहे लघु और सीमांत हो, चाहे बी.पी.एल. हो और इसके अलावा जनरल जिसके पास में हजार बीघा जमीन भी थी, तो उसके लिए भी पात्रता रखी थी। अभी बिना कोई गाइड लाइन सरकार ने जो कर्जा माफ करने की घोषणा की है। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस अभिभाषण पर जो जवाब होगा मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसमें पूरे राजस्थान के समस्त किसानों का कर्जा माफ करने और किस हिसाब से किसानों को राहत देंगे, जवाब में बताएं।

किसानों के लिए अगर आजादी के बाद में फसल बीमा योजना, किसानों के लिए कर्जा माफी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का जब भी दिल्ली और राजस्थान में शासन रहा है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कृषि मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने 2003 में फसल बीमा योजना लागू की, लागू करने के बाद में 2004 से लगाकर आज दिन तक किसानों को फसल बीमा योजना और अनुदान के रूप में भारतीय जनता पार्टी का जब शासन रहा है तब किसानों को मिला है।

कर्जा माफी का कांग्रेस के घोषणा पत्र में और अभिभाषण में जो लिखवाया गया है, इसकी तरफ किसान देख रहा है। हर किसान कह रहा है कि कब दस दिन में यह कर्जा माफ होगा? दस दिन तो क्या महीना हो गया। किस गाइड लाइन से करेंगे और किसानों को राहत मिलेगी? इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं। न महामहिम के अभिभाषण में ऐसा कोई लिखा है कि किसानों को राहत मिले।

शिक्षा के प्रति भी इसमें किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया है। शिक्षा में अगर राजस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान दें तो स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने बिना भेदभाव राजस्थान में हर पंचायत हैडक्वार्टर पर जो पांचवीं स्कूल थी उसको आठवीं एक साथ में करके, 2003 में जब

(श्री हमीर सिंह भायल)

आदरणीय वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने एक साथ में पूरे राजस्थान में हर पंचायत हैडक्वार्टर पर तब आठवीं से दसवीं स्कूल की और 2013 में पूरे राजस्थान में एक साथ में 5357 सीनियर स्कूल करके राजस्थान के गांव, गरीब और ढाणी में रहने वालों को तोहफा दिया। शिक्षा के प्रति जो सोलहवां स्थान पूरे भारत में था, जो दो नम्बर पर राजस्थान को लाकर शिक्षा में गुणवत्ता में आगे बढ़ाया इसके लिए मैं पूर्व सरकार और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

अभी फर्माया गया कि स्कूलें बंद कर दी गयीं, स्कूलें कहां बंद हुईं? 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में भी जो स्कूलें खालीं थीं, जहां बच्चे अध्ययन करने नहीं आते थे, वो स्कूलें बंद हुई थीं।

इसके अलावा उज्ज्वला योजना के अन्दर एस.सी., एस.टी. के भाइयों को, जो आदरणीय प्रधान मंत्रीजी ने एक योजना बनाकर आजादी के बाद में उनको उज्ज्वला योजना में जोड़ा और उनको घर बैठे उज्ज्वला योजना में बेनिफिट दिया है। कांग्रेस सरकार ने आज दिन तक उनको गुमराह करने का काम जरूर किया पर आज दिन तक उनको जितना बेनिफिट देना चाहिए, वो नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको देकर बहुत बड़ी राहत दी।

किसानों के लिए इन्होंने कर्ज माफी का मजमा तैयार करके, गुमराह करके वोट तो ले लिये हैं पर समय दूर नहीं है, किस गाइड लाइन के आधार पर कर्जा माफ करके किसानों के खातों में पैसे आएंगे, यह इस अभिभाषण में कुछ नहीं दर्शाया गया है और न कोई इसमें इसका जिक्र किया गया है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कितने दिनों में कर्ज माफ करेंगे? जब माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें उसमें राजस्थान सरकार बताये यह दो लाख तक समस्त राजस्थान के किसानों का कर्जा किस तारीख तक माफ करेंगें?

जब माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो उसमें बताएं कि उन्होंने किसलिए प्रधान मंत्री को किसानों के मामले में चिट्ठी लिखने की बात की है। आप तो यह बताएं कि किस तरह से किसानों को राहत देंगे।

सभापति महोदय, चिकित्सा क्षेत्र के बारे में अभी बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे। मैं कह रहा हूं कि बाड़मेर में मेडिकल कालेज, सिर्फ एक पत्र देकर, वह लुभावनी घोषणा करके चले गऐ थे। मैं

(श्री हमीर सिंह भायल)

धन्यवाद दूंगा पूर्व मुख्य मंत्रीजी को और चिकित्सा मंत्रीजी को कि उन्होंने 200 करोड़ रुपये लगाकर, बाड़मेर की मेडिकल कालेज आज तैयार हो गई है।

सहकारिता मंत्रीजी यहां विराजे हैं। समाचार-पत्रों में डूंगरपुर जिले की सहकारी समिति की जो शिकायत, घोटाला आया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में सहकारी समितियों की आडिट और इसकी जांच करें। यह कर्ज माफी से लेकर के सब जगह ही सोसाइटियों में कई तरह का गड़बड़, घोटाला है। उनकी आप अच्छी तरह से जांच कराकर के सही कराएं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविंद राम मेघवाल।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, आज मुझे पहली बार राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर उनके समर्थन में भाषण देने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस देश में आजादी आई, उसके बाद में प्रजातंत्र कायम हुआ। पूरे मुल्क में एक खुशी की लहर आई कि हम गुलामी से स्वतंत्रता में आ गए। उसके बाद संविधान बना। संविधान बनने के बाद इस देश में चुनाव प्रणाली बनी। लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 साल में जो इस देश में धर्म के नाम पर एक वातावरण बनाया जा रहा है, इससे पूरा देश चिंतित है। इस देश का संविधान खतरे में है।

अब जो राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, इससे पहले जो सरकार 5 साल रही, ज्योतिबा फुले ने 1848 में कहा था कि अगर देश को बर्बाद करना हो तो वहां शिक्षा के दरवाजे बंद कर दो। पिछली सरकार ने 22 हजार स्कूलें बंद कर दीं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बगैर गति नहीं और गति के बिना अर्थ नहीं। शिक्षा नहीं आएगी तो आदमी के दिमाग का विकास नहीं होगा। अगर विकास नहीं होगा तो वह गति नहीं बढ़ा पाएगा और गति नहीं होगी तो उसके पास रुपये, पैसे नहीं आएंगे और रुपये, पैसे के बगैर आदमी खच्चर के बराबर है।

सभापति महोदय, आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि अभी जो शिक्षा के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, मुझे याद है 2003 और 2008 में इसी सरकार ने कहा था कि प्रत्येक किलोमीटर पर एक स्कूल बनना चाहिए।

(श्री गोविंद राम)

पिछली बार 5 साल में आपने 22 हजार स्कूल बंद कर दिए। वह स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में थे। उन स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। आज वह बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं।

आज मैं देख रहा हूं कि आप किसानों के कर्जे माफी को लेकर के सदन को बंद करने का काम कर रहे हैं। सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अच्छा तो यह होता कि 5 साल के अंदर आप किसानों के कर्जे माफ करते। केन्द्र में आपने अच्छे दिनों का झांसा दिया। आपने पूरे देश को झांसे में लिया। आपने अच्छे दिनों का झांसा दिया, लेकिन न तो आपने तारीख बताई और न आपने तिथि बताई। 8 नवम्बर, 2016 को पता लगा, आपने नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से पूरे देश में 2 बम ऐसे डाले कि इससे पूरा देश आर्थिक संकट में आ गया। उसी का परिणाम है कि आज 2 साल के बाद भी पूरा हिन्दुस्तान आर्थिक संकट में है।

सभापति महोदय, एक जमाना था जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, पूरा विश्व आर्थिक मंदी में था, लेकिन इस देश को पता नहीं लगा कि आर्थिक मंदी क्या होती है। आज हालात यह हो गए हैं कि हमारे घरों के अंदर मां-बेटी के पास भी जो पैसा पड़ा था, वह भी आपने बैंकों में डलवा दिया। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि +++ चाहे वह नीरव मोदी हो, चाहे वह माल्या हो, चाहे वह ललित मोदी हो, सारे के सारे विदेशों में भाग गए। वह सरकार की पकड़ में नहीं आ रहे हैं।

अब अगर हम केन्द्र की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि प्रदेश की करें, लेकिन आर्थिक मंदी में हमारा राजस्थान भी सम्मिलित है। आज हमारे आदमियों को मजदूरी नहीं मिल रही है। किसान को मजदूरी नहीं मिल रही है। जो व्यापारी दुकान करता था और हमें 5 लाख रुपये उधार देता था, वह भी आज देने को तैयार नहीं है।

सभापति महोदय, मैं इसलिए ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि कल हमारे एक माननीय सदस्य कविता के माध्यम से कह रहे थे कि अगर हम 200 व्यक्ति जो यहां एमएलए बनकर के आए हैं, अगर हम भी हमारे प्रदेश के बारे में सोचने लग जाएं तो हमारे प्रदेश और देश को हम बहुत प्रगति दे सकते हैं। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि आप लोग कुछ बातों के ऊपर राजनीति न करें। यह बात नहीं कि यह कांग्रेस और यह बीजेपी है। बात यह है कि हमारे इस मुल्क के अंदर हमारा विकास कैसे हो, हमारी उन्नति कैसे हो, हमारा प्रत्येक आदमी इज्जत और सम्मान से कैसे जी पाए।

(श्री गोविंद राम)

सभापति महोदय, आप जानते हैं जब हम गांव में जाते हैं तो हमारे यहां काम की पूछ नहीं है, यहां जाति पहले पूछी जाती है। आप विदेश में जाइए, वहां देखेंगे कि आप कितने घंटे काम कर सकते हो और यहां जाति देखी जाती है। पिछले 5 साल में हर आदमी अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहा है। वह किस कारण से हुआ है? यह सारे लोगों के लिए चिंता का विषय है। किसी भी एक आदमी को जाति और धर्म के नाम पर अटैक किया जाता है। भीड़ आती है और उस आदमी को मार देती है। किसी को कहती है कि इसने गाय का मीट बना रखा है। किसी के लिए कोई बहाना ले लेते हैं। यह बात हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है।

अगर आप मुसलमान को बाहर निकालने की बात करते हो तो इस देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं। विश्व के अंदर अगर मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वह इस देश के अंदर है। इस देश के अंदर जातिवाद एक ऐसा कोढ़ है कि उसकी वजह से मुझे याद आता है, अटल बिहारी जी ने एक भाषण दिया था, वीडियो चलता है, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से एक गजनवी आया, एक असामाजिक तत्व आया गुंडों को लेकर के, सोमनाथ के मंदिर को लूटकर चला गया क्योंकि हम लोग जातियों में बंटे हुए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण है। चूंकि उस समय आपने समाज को जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में बांट रखा था। हम सब लोग जातियों में बंटे हुए थे। कुछ लोग थे जो हथियार चलाना जानते थे। इसलिए अटल जी ने खुद ने चिंता की है कि बाकी लोग हमारे देश के होते हुए भी तमाशबीन बनकर के देख रहे थे। उनमें से किसी को आपने शूद्र बना रखा था, किसी को आपने व्यापारी बना रखा था, किसी को आपने कहा कि आप तो माली का काम करोगे। यह जो जाति व्यवस्था है, इसके कारण से हमारा देश वर्षों तक गुलाम रहा।

सभापति महोदय, हमारे लिए आज भी चिंता का विषय है कि आज भरे बाजार में चले जाइए, आज आप एमआई रोड पर चले जाइए, आपको गरीब जाति वाले की दुकान नहीं मिलेगी। गरीब जाति का व्यक्ति अगर कचौरी की दुकान खोल लेगा तो उसकी जाति के आधार पर कोई कचौरी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। आज आजादी के 71 साल बाद भी, जब से हमारी मोदी सरकार बनी है, पूरे देश में धर्म और जाति के आधार पर लोगों को मरवाया जा रहा है।

(श्री गोविंद राम)

आज सहारनपुर के अंदर कांड हुआ, दलितों को मारा गया, कहीं मुसलमान को मारा जाता है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं, माननीय सदस्य जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस पर चिंता करें। इस देश के अंदर जो हमने प्रजातंत्र में कल्पना की थी कि किसी को भी जाति के आधार पर नीचा नहीं माना जाएगा। सबको समानता का दर्जा दिया जाएगा। सबको स्वतंत्रता दी जाएगी।

सभापति महोदय, मैं सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जाति के विरोध में कितना आंदोलन चला रखा है लेकिन क्या आज भी हमारी हिम्मत है गांव में यह कहने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए कि किसी भी जाति के आधार पर किसी से मारपीट नहीं होनी चाहिए। किसी को जाति के आधार पर मंदिर में रोक नहीं होनी चाहिए। किसी को भी जाति के आधार पर सार्वजनिक रूप से गलत शब्दों से नहीं बोला जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में एस.सी., एस.टी. एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एस.सी., एस.टी. के मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं? यह इसलिए हो रहे हैं कि आज भी हम लोग जातिगत आधार पर दबाने का काम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि हम सबको आज के समय के अनुसार सोचना पड़ेगा। खाली पुरानी बातों से नहीं चलेगा। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि आगे हमें स्वर्ग मिलेगा। हमें तो यहीं नीच बना दिया। आज यहां पर यह ऊंची जाति, यह नीची जाति कर दिया। एक तरफ गुजरात में नारा लगता है कि मोदी जी को नीच कह दिया इसलिए गवर्नमेंट और सारी जनता उनके पक्ष में आ गई। कहां तो हमें देखिए, हम जो पीड़ा भुगत रहे हैं, जो दलित हैं उनको वर्षों से, सदियों से नीच कहकर पुकारा जाता है।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हमें विश्व में ताकत बनना है तो सबसे पहले प्रत्येक आदमी सुख से रहे। प्रत्येक आदमी के पास आर्थिक साधन हों, प्रत्येक आदमी शिक्षित हो। आज हमें जरूरत क्यों पड़ रही है नरेगा की? आप चले जाइए गांवों में, प्रत्येक जाति का आदमी नरेगा में नाम लिखवाना चाहता है। वह इसलिए लिखवाना चाहता है कि चाहे ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, सब गरीब हैं। हर आदमी बीपीएल बनना चाहता है।

सभापति महोदय, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल तक हमें

(श्री गोविंद राम)

कहते थे कि यह आरक्षण वाले भीख मांग रहे हैं, इनको डाक्टर बना दो, यह आदमियों को मार देंगे। आज मुझे खुशी होती है कि आज आप लोग भी नारे लगा रहे हैं कि गरीब आदमी चाहे किसी जाति का हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले आपकी बात से सहमत हूं कि इस देश में चाहे वह किसी जाति का है, अगर वह गरीब है तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए, उसका आरक्षण होना चाहिए, लेकिन कल तक जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी आपको चिंता करने की जरूरत है।

इसलिए मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, अभी हमारे कुन्नर साहब बोल रहे थे, हमारी नहर 1962 में नेहरूजी ने बनाई थी, वह नहर बनने के बाद में उसमें कभी भी मरम्मत तक नहीं हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, एक-दो मिनट में समाप्त कर देता हूं। बाकी मन में तो काफी था, कोई बात नहीं।

श्री सभापति: दो मिनट में।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): नहर 1962 में बनी, उसके बाद में मरम्मत नहीं हुई, आज उसके अंदर जितना पानी मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि नहर के माध्यम से खाजूवाला में जो पानी आ रहा है, हमारे 200 डिग्गियां हैं जो सरकार के अंडर में नहीं है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि लुधियाना के अंदर फैक्ट्रियों का पानी मिलकर नहर में आ रहा है। खाजूवाला के पाताल में पानी नहीं है, पांच साल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उन डिग्गियों को सरकार के अंडर में लिया जाए। जो गंदा पानी आ रहा है उसके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था हो और उस नहर की मरम्मत हो ताकि किसान जो अंतिम छोर पर बैठा है, खाजूवाला में वह पानी के लिए तरस रहा है, जो टेल पर बैठा है उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले पांच साल में नहरों की मरम्मत नहीं हुई, हमारे पीने के लिए डिग्गियों को सरकार अपने अंडर में लेकर आरओ लगाए। वहां शुद्ध पानी किसान को पीने के लिए मिले

(श्री गोविंद राम)

यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाह रहा हूं कि सदन में तीन बार बिजली ट्रिप हो गई, यह हाल यहां के हैं तो प्रदेश में जो किसानों को पानी, बिजली चाहिए, प्रदेश में क्या हालत होती होगी, कृपया आसन से आदेश करें कि ऊर्जा विभाग ढंग से बिजली की आपूर्ति करे और सदन को भी ढंग से बिजली दे।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, 15वीं राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिभाषण को देखने से स्पष्ट होता है कि गत सरकार में और इस सरकार में और उसके पहले वाली सरकार में अगर हम कम्पेरिजन करें 2013-14 से तो स्थानीय और स्थिर मूल्यों पर जो आर्थिक वृद्धि दर थी वह 8.16 थी, भाजपा सरकार का आंकड़ा देखते हैं वह 7.19 पर आ गई है। मतलब यह है कि जो आर्थिक औसत दर थी वृद्धि की उसमें गिरावट आई। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो जो पहले 14.95 कांग्रेस के शासन में छोड़ी थी वह 9.66 पर आ गई है। इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र में अगर हम वृद्धि दर को देखें तो जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 2013-14 में 8.94 पर छोड़ी थी वह 3.95 पर आ गई है। देखने से यह लगता है कि राज्य में जो कुल ऋण और दायित्व था, वह कांग्रेस की सरकार ने 1,29,910 करोड़ छोड़ा था जो भाजपा सरकार में 3,08,034 करोड़ रुपये का हो गया है, इससे स्पष्ट है कि चारों तरफ जो गत पांच साल में अधोगति हुई है और उन्नति का कहीं नाम नहीं है। किसानों को जो फोकस मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है, जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी वह किसानों को नहीं मिली है। आम आदमी को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है इसलिए मेरा निवेदन आपके माध्यम से सरकार से यही है कि किसानों को प्राथमिकता मिले, मजदूर को प्राथमिकता मिले, कामन मैन को प्राथमिकता मिले।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि चौधरी

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट में एक योजना बनी थी, आईटीजेएसके प्रोजेक्ट, इस योजना में एक इंटीग्रेटेड परियोजना बनी थी जिसमें लगभग 3500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। इसमें तारानगर, झुंझुनूं, सीकर और खेतड़ी, इन सभी स्थानों पर पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए एक समन्वित योजना बनी थी, जिसके अंतर्गत तारानगर और झुंझुनूं में तो परियोजना का प्रावधान किया जा चुका है लेकिन झुंझुनूं जिले में विशेषकर पिलानी विधान सभा क्षेत्र में पीने का पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी डीपीआर को एक्सपीडाइट किया जाए, हालांकि जो मैंने जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार पीडी कोर कोई कम्पनी है उसको डीपीआर बनाने का काम दिया जा चुका है, वह काम एक साल के लिए दिया गया था और उस समय 28.12.17 को दिया गया था, वह एक साल से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है, अभी तक डीपीआर बनी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह डीपीआर एक्सपीडाइट करके मंजूरी दी जाए और पिलानी विधान सभा क्षेत्र के गांवों में चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट का पीने का पानी दिया जाए क्योंकि पानी की भयंकर समस्या पिलानी विधान सभा क्षेत्र में महसूस की जाने लगी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में पहले एमएसपी पर गेहूं की जो खरीद की जाती थी उस पर डेढ़ सौ रुपये बोनस घोषित किया गया था, वह दिया जाता था, ज्यों ही बीजेपी की सरकार आई तो वह डेढ़ सौ रुपये का जो बोनस था वह बंद किया जा चुका है, यह किसानों के विपरीत होने वाली बात है। इसी प्रकार सब्सिडी का जो कम्पोनेंट है उसमें सोलर सिस्टम पर कांग्रेस सरकार में 86 प्रतिशत था उसको 50 प्रतिशत पर लाकर रख दी गई है। ड्रिप इर्रिगेशन सिस्टम में कांग्रेस सरकार में 90 प्रितशत सब्सिडी थी जो 50 प्रतिशत पर लाकर रख दी गई है। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के शासनकाल में किसान एक फोकल पोइंट था, फोकस पाइंट था और उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था और सब्सिडी के माध्यम से उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए कोशिश की जाती थी वह सब्सिडी आइटम घटाकर हर तरह से किसान को मारा गया है, किसी प्रकार से भी उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, एमएसपी पर जो क्रय किया जाता है वह सारे प्रोडक्ट किसानों के नहीं खरीदे जाते हैं, कुछ प्रतिशत किसान के पास

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

फिर भी रह जाता है जो औने पौने दाम पर किसान को बेचना पड़ता है और बड़ी विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शत प्रतिशत प्रोडक्ट जो किसान मार्केट में लाए, जो एमएसपी पाइंट पर लाए उसकी खरीद की जानी चाहिए। उचित यह होगा कि पंचायत हैडक्वाटर पर खरीद का पाइंट रखा जाए। यदि यह सम्भव नहीं हो तो जो कोआपरेटिव सोसाइटी हे उसके गोडाउन्स होते हैं उस पाइंट पर क्रय किया जाए ताकि किसान को आसानी से यह सब हो जाए। भुगतान का जहां तक सवाल है पर्चेज हो भी जाती है तो भी भुगतान नहीं किया जाता है, मैं इस सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि राजफैड के माध्यम से किसान को एक सहूलियत दी गई है कि उनका भुगतान समय पर हो, जल्दी से जल्दी हो।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम आधार वर्ष की बात करें, 1965 से करें तो कृषि उत्पादन व अन्य के बीच में जो अंतर हो गया है जो डिस्क्रेपेंसी आ गई है वह बड़ी गम्भीर है। उत्पादन 30-35 गुना, यदि कृषि उत्पादन की कीमत बढ़ी है तो अन्य आइटम्स की करीब 100 गुना बढ़ गई है। जैसे मैं निवेदन करना चाहता हूं डीजल 35 पैसे था आधार वर्ष में तो अब वह लगभग 68-70 रुपये के करीब जा रहा है। यूरिया 4 रुपये था तो 250 रुपये प्रति बैग का हो गया है, इसी प्रकार से सोना आधार वर्ष में, 1965 आधार वर्ष है, 150 रुपये प्रति 10 ग्राम था तो 35000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। तो यह डिस्क्रेपेंसी है। कृषि उत्पादन के जो मूल्य हैं, वह और अन्य वस्तुओं के जो मूल्य हैं उनमें बहुत भारी अंतर हो गया है। यह किसान के विपरीत बात जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो एनएसएस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सर्वे किया है कि किसान की औसत आय 3078 रुपये प्रति माह बताई है, जो बड़ा गम्भीर विषय है। किसान की आय बढ़ाने के लिए विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री और हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री, डाक्टर मनमोहन सिंह ने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार यदि काम होता तो किसान की आज जो दुर्दशा देखने को हमें मिल रही है गत पांच वर्षों में वह दुर्दशा नहीं होती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, एजुकेशन

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

में जो वर्णन किया गया है, उसका सिस्टम चाहे एलीमेंट्री हो, चाहे सैकण्डरी हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, या फिर टैक्नीकल एजुकेशन हो, उसका पूरा मामला तहस-नहस कर दिया गया है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं, पूरे झुंझुनूं जिले में चिड़ावा एक बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है, उसमें कालेज की मांग बराबर वहां का यूथ कर रहा है, आम आदमी कर रहा है, चिड़ावा में कालेज सरकारी है नहीं, लड़कियों की कालेज है, लड़कों को बहुत ज्यादा फीस से हमारा आम आदमी, किसान, मजदूर पढ़ा नहीं सकता इसलिए चिड़ावा में मैं कालेज की मांग आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं, पिलानी विधान सभा क्षेत्र में मंडेला में एक सब तहसील खोली गई थी कांग्रेस के टाइम पर, उस सब तहसील को पिछले पांच साल में फंक्शनल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकी और एक नोटिफिकेशन निकाला है 21 फरवरी, 2018 को और उसमें ऐसे पटवार सर्कल शामिल कर दिए जो किसी दूसरी जगह के, चिड़ावा के पास है और उनको शामिल कर दिया मंडेला में, इसलिए मैं बदनगढ़ और नरहड़, ये दो पटवार सर्कल हैं, जिनके लिए माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर विचार करें और इसकी बजाय अगर डंडारिया और खुडानिया और घुमनसर कलां, ये अगर उसमें शामिल कर दें तो वह मंडेला के नजदीक है और यह बिल्कुल मंडेला से दूर हैं तो कोई डिस्क्रेपेंसी नहीं होगी और आम आदमी को बहुत-बहुत फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पिलानी में कोई राजकीय सुविधा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से पीएचसी सैंक्शन हुई थी वह पीएचसी भी पिलानी का जो इंटीरियर, आखिरी हिस्सा है, वहां पर पहाड़ों के बीच में खोल दी गई, और सुना यह जाता है कि व्यापारी की वहां जमीन थी वहां पर उस व्यापारी से बात करके पूर्व सरकार के किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन तथ्य है कि पिलानी से सौ रुपये, डेढ़ सौ रुपये दे तब जाकर मरीज उस डाक्टर को दिखाए, इससे अच्छा तो यह है कि किसी प्राइवेट डाक्टर दिखा दें। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो यूनिवर्सिटी बंद की, उसको भी चालू किया जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर बोलने का

(श्री फूल सिंह मीणा)

मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले के वक्ताओं ने इस सरकार की और पूर्व में रही सरकार की बहुत प्रशंसा की है पर यह भूल गये कि बीच में भी सरकारें आई हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया और उसको कभी याद नहीं किया। मगर मैं जिस एरिया से आता हूं वह जनजाति बहुल क्षेत्र है और जनजाति के जितने परिवार हैं वो हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट करते आए हैं। उन्होंने इनके ऊपर इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया पर इन्होंने उनके लिए क्या दिया? हमारे एक टी.पी. कानून वर्षों पहले लागू हुआ था। जंगल जमीन में रहने वाले आदिवासी परिवार जंगल की फसल को लेकर बेचने के लिए आते थे तो टी.पी. कानून के डर के कारण राजस्थान में नहीं बेचकर गुजरात में उस फसल को बेचने के लिए जाते थे और उस टी.पी. कानून के बारे में इन्होंने वर्षों तक कभी नहीं सोचा। मैं पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने टी.पी. कानून को बन्द करके इस जनजाति परिवार के लिए तोहफा दिया जिसका मैं बखान करता हूं। जब यह टी.पी. कानून लागू था तब पुंवार गुजरात के अन्दर 60 रुपये किलो बिकता था और यहां पर दो रुपये, एक रुपये के टी.पी. कानून के डर के मारे वो गुजरात में जाते थे। क्यों जाते थे? इसलिए जाते थे कि पुलिस का डर था कि कहीं पकड़ लेंगे तो उन बेचारों को जो दिन के 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तो मिलता था और पुलिस वालों को देना पड़ता था इसलिए डर के मारे गुजरात में जाते थे। टी.पी. कानून को माफ किया तो पूर्व सरकार ने, वसुंधरा राजे जी ने किया।

पूर्व सरकार ने वन उपज मण्डी गोगुन्दा, सलूम्बर और कोटड़ा में खोलकर बहुत बड़ा काम करके, उन जनजाति के परिवारों के लिए बहुत अच्छा काम कर वास्तव में उनको रोजगार दिलाया है। पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार रही उसने उस जनजाति परिवार के लिए कभी भी नहीं सोचा कि इस परिवार ने हमारे को वोट दिया तो इनके लिए भी कुछ करें।

यही नहीं, कोटड़ा में कृषि मण्डी खोलकर जनजाति परिवार के लिए वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। जो उदयपुर, गुजरात और इधर फसल बेचने के लिए उनको आना पड़ता है उसको मद्देनजर रख उन्होंने कोटड़ा में यह मण्डी खोलकर उनको तोहफा दिया। पूर्व सरकार ने गोगुन्दा, झाड़ोल में कालेज खोलकर जनजाति परिवार के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए यह सुविधा अगर दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। पूर्व सरकार ने

(श्री फूल सिंह मीणा)

कृषि मण्डी में दुकानें खोलकर महिलाओं को आबंटित किया तो जनजाति महिलाओं को धंधे से जोड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया जिससे महिला भी अपना धंधा, बिजनस कर सके।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की पूर्व सरकार ने जनजाति परिवार के साथ में धोखा किया और पहली से आठवीं तक बिना पढ़े ही पास करने का जो आदेश किया वो जनजाति परिवार के लिए बहुत बड़ा धोखा था। क्योंकि जब बिल्डिंग बनती है तो नींव रखनी पड़ती है और जब नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग किसके आधार पर खड़ी रहेगी। इनको लग नहीं रहा कि जनजाति परिवार, गरीब परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और पैसे वाले प्राइवेट में पढ़ाकर अपने बच्चों को आईटीआई, कालेज में भेजते हैं, डाक्टरी, इंजीनियरिंग करवाते हैं पर हमारे जनजाति के परिवारों को आठवीं तक बिना पढ़े ही पास करने का इन्होंने आदेश किया इससे बड़ा कुठाराघात जनजाति के लिए कोई नहीं हो सकता और बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के कान खुले रहें और नजर से देखें कि पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसने 5वीं का भी बोर्ड किया और 8वीं का भी बोर्ड करके इस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह इनको नजर नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री आए थे उस समय जो हर पंचायत मुख्यालय पर 5वीं तक की स्कूल हुआ करती थी तब भैरोंसिंह जी ने देखा कि अगर इस जनजाति परिवारों के लिए स्कूलें नहीं होंगी और बच्चे 5वीं से आगे 8वीं के लिए पढ़ने के लिए नहीं जाएगा तो यह जनजाति बहुल क्षेत्र अनपढ़ रह जाएगा तो उन्होंने एक ही आदेश से 5वीं से 8वीं तक करने का आदेश निकालकर पूरे राजस्थान में शिक्षा में बढ़ोतरी कर शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया तो भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने किया। उसके बाद 2003 में जब वसुंधरा जी आयीं तो 8वीं से 10वीं का एक ही आदेश से करके इस शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने का काम किया तो माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया। मगर इनको किसी को नजर नहीं आ रहा कि जनजाति परिवार के लिए हम भी कुछ करें। इन्होंने तो यह देखा कि ये अनपढ़ रहेंगे तब तक हमारे को वोट देंगे और जब पढ़ा लिखा होगा तो हिसाब पूछेगा।

(श्री फूल सिंह मीणा)

सभापति महोदय, यही नहीं, जब 2009 और 2013 के बीच में कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो जो मैंने पहले बताया कि पहली से आठवीं तक पास करने का उन्होंने किया। फिर 2013 से 2018 के बीच में माननीय मुख्य मंत्रीजी और पंचायती राज मंत्री गुलाब जी कटारिया साहब ने पंचायतों का पुनर्गठन कर पंचायत मुख्यालय बढ़ाये। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो पहले हमारे विधान सभा क्षेत्र में 31 पंचायतें हुआ करती थीं और आज की तारीख में 42 ग्राम पंचायतें बनाकर विकास का आया खड़ा किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, अभी मुझे पांच मिनट हुए हैं और मैं घड़ी देख रहा हूं। मैं दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा और वहीं पर मैं खतम कर दूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने दसवीं से बारहवीं तक स्कूलें खोलकर जनजाति परिवार के लिए यह तोहफा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनजातियों के लिए कोई नहीं सोचता, गरीब परिवार का कोई शहीद हो जाए तो उसके घर में लाइट लगाने का भी काम नहीं किया। 2002 में जब हमारा रतनलाल मीणा शहीद हुआ था उसके घर में आज दिन तक लाइट नहीं थी मगर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से उसके घर में भी लाइट लगाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया।

सभापति महोदय, यही नहीं, खाद्य सुरक्षा योजना के अन्दर हमारे जनजाति परिवारों को राशन आता था जिसको दलाल खा जाते थे मगर पोस मशीन के माध्यम से जनजाति परिवार को पूरा राशन मिले और उसी कंडीडेट को मिले और उसके मोबाइल में मैसेज आए तो अब उनका धंधा बन्द हो गया है। यह काम भी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, जल स्तर नीचे गिर रहा था, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी का कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना लागू करके उस पहाड़ी एरिया में एनीकट, नाड़ियां बनाकर हमारे कुएं और हैण्डपम्प को रिचार्ज करने का काम किया, पानी की सुविधा अगर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया।

(श्री फूल सिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के साथ में धोखा किया, उन बेरोजगारों के साथ में भी धोखा किया है। इन्होंने दस दिन के अन्दर जो कर्जा माफ करने की बात कही उसका कोई अता-पता नहीं है, इसके अन्दर तारीख नहीं है। इसके अलावा हमारे बेरोजगारों को भत्ता देने की जो बात की उस भत्ते का कोई नामोनिशान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण के अन्दर जनजाति परिवार का कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया कि उनके लिए हम यह काम करेंगे इसलिए मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि कम से कम इस अभिभाषण के अन्दर जनजाति का भी कहीं न कहीं ऐसा नाम आता। जब जनजाति के परिवारों ने इनको इतना वोट दिया उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जब भी बजट का हो और मुख्य मंत्रीजी कल अभिभाषण के बारे में बोलें तो हमारे जनजाति के परिवारों का भी ध्यान में रखें। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना। माननीय सदस्य, 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं एवं सभी हमारे बसपा पार्टी के जो विधायक हैं, आपके आभारी हैं। सदन में विराजमान सभी माननीय सदस्यों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

सभापति महोदय, आज मेरा सदन में बोलने का पहला दिन है और मैं आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों के ऋण माफी की बात कही गई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार ने जो ऋण माफी का नियम बनाया है कि डिफाल्टरों के दो लाख तक के ऋण माफ किये जाएंगे। इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि ऋण माफी सभी किसानों की की जाए, क्योंकि, जो ईमानदार किसान है, वो ब्याज पर पैसा लाकर बैंक में भरता है और बाद में निकालकर साहूकार को देता है। उसको भी ऋण माफी का लाभ मिलना अति-आवश्यक है।

सभापति महोदय, किसान जो देश की रीढ़ है, आज वह बहुत कमजोर होता जा रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार के हित में,

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

किसानों के हित में सरकार ज्यादा से ज्यादा इस तरह की नीति बनाये, जिससे उसको सीधा लाभ हो सके। सभी किसानों को समान मानते हुए सभी के ऋण समान रूप से माफ किए जाएं। जो ईमानदार किसान है, उसको ऋण माफी का लाभ अवश्य मिले। किसान अपनी खेती में ज्यादा फसल कर सके, ऐसे प्रयास किये जाएं। उन्नत नई तकनीक विकसित की जाए और उन तकनीकों को चौपाल के माध्यम से किसान के समक्ष पहुंचाया जाए। किसानों को वे सभी प्रक्रियाएं बताई जाएं जिससे वह अच्छी से अच्छी फसल की पैदावार कर सकें।

सभापति महोदय, किसानों को फसल बीमा के जो लाभ दिये जा रहे हैं उसकी जानकारी घर-घर जाकर दी जाए तथा किसानों को बीमा के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं उनको बताया जाए क्योंकि, 80 प्रतिशत किसानों को यह जानकारी नहीं है कि फसल बीमा क्या होता है। सरकार द्वारा जो योजनाएं किसानों के हित में चला रखी हैं, उनको धरातल पर पहुंचाया जाए।

सभापति महोदय, एक और बड़ी जटिल समस्या जो कि केवल मेरी विधान सभा नदबई की ही नहीं, बल्कि समस्त जिला भरतपुर एवं राजस्थान की है। जिसने किसानों में रात दिन त्राहि-त्राहि मचा रखी है। सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि गोवंश जो किसानों के लिए सिर दर्द बना हुआ है, रात भर किसान खेत की रखवाली करता है, रात दिन पानी देता है। अगर वह एक दिन भी नहीं जाता तो उसकी पूरी की पूरी फसल आवारा पशु नष्ट कर जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को व सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि किसान की पीड़ा को समझते हुए आवारा पशुओं के ठहराव हेतु उचित व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार से इस जटिल समस्या का निदान करने का निवेदन करता हूं क्योंकि किसान केवल अपनी खेती के ऊपर ही जीता है, वह पूरे साल खेती में काम करता है। अपनी छोटी-मोटी कमाई को फसल पैदावार करने में लगा देता है। वह एवं उसका परिवार इस पर जीता है, इस बार मेरी फसल अच्छी हुई, इस बार मैंने जो उधार ले रखा है, वह सब चुका दूंगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यह सब सपने उसके तब धरे के धरे रह जाते हैं, जब उसकी फसल को आवारा पशु एवं जानवर नष्ट कर देते हैं। जिससे उसके सारे सपने चूर-चूर हो जाते हैं और वह दो समय की रोटी के लिए भी परेशान रहता है।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

सभापति महोदय, यह बहुत ही जटिल समस्या है। भरतपुर जिले व राजस्थान के अन्दर पड़ रही कड़ाके की ठण्ड से कई किसानों की तो खेतों पर रखवाली करते हुए मौत भी हो चुकी है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आवारा पशुओं एवं गौवंश के लिए सरकार उचित व्यवस्था करे।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को जिसने गत सरकार द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया था, उसको पुन: चालू करने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इससे बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को पुन: एक और यादगार करने का कीर्तिमान स्थापित होगा। जिन्होंने न केवल भारत के संविधान को रचा, बल्कि दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इससे प्रदेश में विधि एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की उपलब्धता होगी। अध्ययन करने का एक और कुशल स्थान बनेगा। इससे दलित एवं पिछड़ा वर्ग समाज के अपने आप में बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम से विधि विश्वविद्यालय को पुन: चालू करने से अपने आप में सहूलियत समझेगा। क्योंकि, केवल वो ही नहीं हम भी बाबा साहब को दलित एवं गरीबों के उत्थान का मसीहा मानते हैं। इससे हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का सपना एवं लक्ष्य भी पूरा होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं माननीय उप मुख्य मंत्री श्री सचिन पायलट जी द्वारा सड़कों के बारे में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, अवगत कराना चाहता हूं कि जो सड़के बनाई जा रही हैं, उनमें गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाएं। जिससे सड़कें सही बन सकें एवं लम्बे समय तक चल सके। अधिकारियों को निर्देशित करें कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता सही कराएं। मैंने देखा है कि भरतपुर जिले में बन रही सड़कों का बुरा हाल है, सड़क निर्माण में ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ताहीन सामग्री लगाई जा रही है। जो आगे से बनती जा रही है, वो पीछे से उखड़ती जा रही है। सभापति महोदय, यह सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। यह आम जनता के पैसे का दुरुपयोग है। जो ठेकेदार इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं उनको भी दण्ड दिया जाए।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष ध्यान रखते हुए इस पर अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनाई जाएं, जिससे वे समय-सीमा तक चल सके।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के विषय पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि भरतपुर जिले में अस्पतालों में गंदगी का ढेर लगा रहता है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलती हैं। अस्पतालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। देश में आज हो रहे स्वाइन फ्लू एवं डेंगू जैसी बीमारियों का कारण यह गंदगी ही बनी हुई है...

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अस्पताल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। सभापति महोदय, अब मैं बात करना चाहूंगा अस्पताल में रिक्त पड़े पदों के संबंध में विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपके द्वारा मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, भारत देश को आजाद कराने के लिए अनेक सपूतों ने अपनी जान दी, अनेक सपूतों ने यातनाएं सहीं और इस स्वप्न के साथ भारत को आजाद कराया कि जनता के हाथ में ही वास्तविक शक्ति होगी शासन की लेकिन, मुझे बड़े दु:ख के साथ आज यह कहना पड़ रहा है, यह दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी गरीब किसान, मजदूर के साथ रोज अन्याय होता है, उसके साथ अत्याचार होता है और चंद भ्रष्टाचारी लोग रोज अन्याय करते हैं और भ्रष्टाचार के जरिये अरबों रुपये की अवैध सम्पत्ति उन्होंने अर्जित कर ली है और गरीब, किसान, मजदूर आज भी अपने आपको कमजोर और असहाय महसूस करता है। चुनाव के वक्त सभापति महोदय पोलिटिकल पार्टियां ज्यादातर नेता बड़े-बड़े दावे वोट लेने के वक्त करते हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, कार्यकर्ताओं की राज में चलेगी। गरीब, किसान, मजदूर का सम्मान होगा लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ बातें बदल जाती हैं और वही अधिकारी, वही भ्रष्टाचारी राज करते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना परिवर्तन होता है एक जिले का एसपी, दूसरे जिले

(श्री बलजीत यादव)

में चला जाता है। एक जिले का कलेक्टर, दूसरे जिले में चला जाता है। एक तहसील का डीएसपी, दूसरी जगह चला जाता है। एक थाने का इंचार्ज, दूसरे थाने में चला जाता है। एक जगह का तहसीलदार, दूसरी जगह चला जाता है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं मौजूदा सरकार को, आपको जनता ने बड़ी आशा के साथ सत्ता में भेजा है, क्योंकि जनता हर बार देखती है कि इस पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, दूसरी पार्टी को मौका देती है। वो धोखा करती है फिर दूसरी पार्टी को मौका देती है। इसलिए आपको बड़ी आशा के साथ मौका दिया है सत्ता में आने का, इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जनता के साथ ऐसा होने न दें। गरीब, किसान, मजदूर के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उससे उसको मुक्ति दिलाएं और जो भ्रष्टाचारी जनता को लूट रहे हैं, उससे जनता को मुक्ति दिलाएं और इसमें न पड़े, हमेशा देखा जाता है.....

सभापति महोदय, नेताओं में कि इस नेता को नीचा दिखाऊं। मैं मेरे विपक्ष में लड़ने वाले इस नेता को नीचा दिखाऊं और यही मेन कारण है जिससे कि भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद होते हैं और उन्हीं की चलती है। एक एसपी पहले गुलामी करता है दूसरी पार्टी की और राज बदलते ही गुलामी करने लगता है दूसरी पार्टी के नेता की और वही नेता उस दूसरे नेता का अपमान करवाता है। उसका राज आता है तो दूसरा नेता उसका अपमान करवाता है। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं सदन के सभी विधायकगण मेरे साथीगणों से, ये ऐसी ओछी मानसिकता हमको नहीं रखनी चाहिए और हम सबको कम से कम इतना तो तय करना चाहिए कि हम किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, किसान के बारे में राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार ने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के वक्त यह बिजली कहां से पैदा हो जाती है, यह कहां से आ जाती है कि बिजली कभी जाती ही नहीं है। दिन में आती है, लेकिन चुनाव खतम होते ही यह बिजली रात में आने लगती है और फिर बताया जाता है कि बिजली की कमी आ गई है और उद्योगों में बिजली पूरे टाइम जाती है तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि ठंड का मौसम है, किसान परेशान है। रात में बिजली दी जा रही है इसलिए किसान को दिन में बिजली दी जाए और उद्योगों में काम रात

(श्री बलजीत यादव)

में भी हो सकता है उनमें कोई ठंड का भी डर नहीं है इसलिए उद्योगों को बिजली अगर कोई तकनीकी खामी है तो रात में दी जाए और किसान को बिजली दिन में दी जाए।

सभापति महोदय, पैरा-61 में कहा गया कि रोजगार क्रांति लानी है। मैं कहता हूं अच्छी बात है, औद्योगिक क्रांति लानी है। औद्योगिक क्रांति इसलिए लायी जाती है कि इससे रोजगार का सृजन होगा। इससे अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन सभापति महोदय, मेरे बहरोड़...

श्री सभापति: श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): बस सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा। मेरे नीमराणा, भिवाड़ी, टपूकड़ा में, मेरे अलवर जिले में बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं। हमारी उपजाऊ जमीन को ले लिया, पानी खींच लिया जिससे क्षेत्र डार्क जोन की चपेट में आ गया। बिजली ले ली और सभापति महोदय, एक भी जवान को रोजगार नहीं दिया जा रहा है।

श्री सभापति : श्री मुकेश भाकर।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं कहता हूं कि क्या करें ऐसी उद्योग क्रांति का जो रोजगार हमें दे नहीं और सब-कुछ हमारे संसाधनों का दोहन कर ले। सभापति महोदय, मेरा बहरोड़ जिला बनने के सभी मापदंड पूरा करता है इसलिए मैं मांग करता हूं कि बहरोड़ को जिला बनाया जाए।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): आरटीडीसी मिडवे एनएच-8 पर स्थित है सभापति महोदय, 30 सैकंड लूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, तीस सैकंड में खतम कर रहा हूं। बहरोड़ मिडवे पर्यटन सुविधाओं का केन्द्र था। उसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया। प्रोफिट में होते हुए बंद कर दिया गया। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि मिडवे को दुबारा चालू करवाया जाए। आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है मेरे क्षेत्र में इसलिए उसके लिए सरकार कोई इंतजाम करे जिससे कि किसान को राहत मिल सके और

(श्री बलजीत यादव)

मेरे वहां पर जल संकट है। बीयर की फैक्ट्रियां, शराब की फैक्ट्रियां जल का दोहन कर रही हैं और किसान को ट्यूबवैल खोदने की परमीशन नहीं दी जा रही है इसलिए कोई नहर की व्यवस्था करें या चम्बल का पानी मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में लाये सरकार। यही निवेदन करता हूं। धन्यवाद, सभापति जी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री मुकेश भाकर।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे पहली बार इस विधान सभा में बोलने का मौका दिया। मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा लाडनूं की 36 कौम की जनता का जिन्होंने एक भरोसा करके मुझे इस सदन में पहुंचाने का काम किया। मैं इस सदन से पहले लम्बे समय से छात्र और युवा राजनीति से जुड़ा रहा। अभिभाषण के पक्ष में बोलने का जो मुझे मौका मिला है तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और कांग्रेस की सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना जो जन घोषणा पत्र था, उसको पहली कैबिनेट में सरकारी दस्तावेज बनाने का काम किया। इस जन घोषणा पत्र में कांग्रेस की सरकार ने वादा किया है कि आने वाले समय में हम लोग जो बेरोजगारी इस राजस्थान में पिछले पांच साल में बढ़ी है, युवाओं को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। अगर रोजगार जिन युवाओं को नहीं मिलेगा, उनको ऋण और जिन लोगों को ऋण और रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाये, उनके लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था सरकार करेगी। मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने सरकार बनते ही पिछले राज में अम्बेडकर और पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोले गये थे कि जिससे रोजगारोन्मुख शिक्षा इस प्रदेश में दी जा सके, उन विश्वविद्यालयों को वापस खोलने का काम सरकार ने किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले पांच साल भाजपा का शासन इस राजस्थान में रहा। 15 लाख रोजगार का वादा करके सत्ता में ये लोग आए। इन्होंने सत्ता में आते ही जो विश्वविद्यालय कांग्रेस सरकार में खुले थे, जो कालेजें तहसील स्तर पर कांग्रेस सरकार ने खोलीं, जो स्कूलें गरीब बच्चों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जगह-जगह कांग्रेस सरकार ने खोलीं, उनको बंद करने का काम भाजपा की सरकार ने किया। इन्होंने सत्ता में आते ही जो पन्द्रह लाख रोजगार का वादा किया

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

था, चार साल तक मुख्य मंत्री का न किसी व्यक्ति से, न युवाओं के साथ संवाद रहा और आखिरी एक साल में जब लगा कि सरकार जाने वाली है, हर वर्ग इनके खिलाफ हो चुका है तो इन्होंने एक लाख पच्चीस हजार भर्तियां इस राजस्थान में निकालीं चाहे उनमें शिक्षक भर्ती हो, कांस्टेबल भर्ती हो, सफाई कर्मियों की भर्ती हो और उनमें से आज भी अस्सी हजार से ज्यादा नौकरियां कोर्ट में अटकी हुई हैं। इन्होंने सिर्फ चुनावी वादा करके युवाओं को ठगने का काम जो पिछले पांच साल में किया था, वो वापस चुनावी वादा बनाकर आखिरी साल में एक लाख पच्चीस हजार भर्तियां निकालीं। आज जो युवा हैं वो 2016 की आरएएस भर्ती हो, चाहे रीट शिक्षक भर्ती हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता भर्ती हो, आज जहां आप राजस्थान में देखोगे, युवा दर-दर इस बात के लिए भटक रहा है कि उन भर्तियों को या तो कोर्ट में अटका दिया गया है या फिर उनकी तारीख बदलवाने के लिए युवा आज अपने घरवालों को साथ लेकर यूनिवर्सिटी और हर जगह जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस सदन में सभापति महोदय के माध्यम से यह बात रखना चाहूंगा कि जो धोखा आप लोगों ने पांच साल युवाओं के साथ किया और आखिरी एक साल में युवाओं को गुमराह करके एक लाख पच्चीस हजार भर्तियां आपने निकालीं और जो कोर्ट में अटकीं, उनके लिए आपको माफी इन युवाओं से मांगनी चाहिए।

मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसानों के बारे में जो कहा गया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस की सरकार का, मुख्य मंत्रीजी का, उप मुख्य मंत्रीजी का कि जिन्होंने सत्ता में आते ही जो किसानों की ऋण माफी का मुद्दा था पहले दो दिन में किसानों की ऋण माफी का काम कांग्रेस सरकार ने किया। पांच साल बिजली की दरें बढ़ेंगी नहीं, यह सुनिश्चित कांग्रेस की सरकार ने किया। छोटे किसान जो अपनी फूड इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको किसी भी तरीके का कन्वर्जन भूमि का नहीं करवाना होगा, यह सुनिश्चित कांग्रेस सरकार ने किया। आज जो लोग विपक्ष में आने के बाद किसान की ऋण माफी को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, इस सदन में जो हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि पिछले पांच साल में आजादी से लेकर आज तक सबसे ज्यादा आत्महत्याएं राजस्थान में किसानों ने की। उस समय आप लोग जो किसान प्रेमी होने का ढोंग आज यहां कर रहे हैं, उस समय आपकी सरकार कहां गयी थी? जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, उनको इनके मंत्रियों द्वारा यह कहा गया कि यह किसान आत्महत्या तो फैशन हो गयी है।

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

इनके मंत्रियों ने यह कहा, जब नागौर में किसान ने आत्महत्या की तो कहा कि उस किसान ने कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं की, उसने अपने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की। किसान की आत्महत्या और किसानों की मजाक उड़ाने वाले ये लोग आज सदन में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा लेकर आये हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उप नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हैं, मैं उनसे इस बात को पूछना चाहूंगा कि मूंग की खरीद का मामला इस राजस्थान में चल रहा है, उसमें केन्द्र की सरकार द्वारा पैसा राजस्थान को भेजा नहीं जा रहा है। अकेले नागौर में 21 हजार टोकन मूंग के कटे हुए अभी भी पड़े हैं। चुनावी वादा आप लोगों को करना था। चुनावी समय में वोट लेने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा टोकन लोगों को दिए और आज वो किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है। आपके सांसद उनको बोलते हैं कि आज जाकर मुख्य मंत्रीजी से मिलिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग अपनी इस बात को जनता के सामने क्लीयरिटी से रखें कि मोदी सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है। आपको प्रेस कांफ्रेस करके जनता को इस बात के लिए सफाई देनी चाहिए कि इस मामले में आपकी सरकार कर क्या रही है। उनको गुमराह नहीं करना चाहिए। अकेले लाडनूं में चार हजार टोकन मूंग के कटे पड़े हैं। किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मैं चाहूंगा कि विपक्ष में होने के नाते जनता की आवाज उठाने की बात आप लोग करते हैं तो आप लोगों को जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार इस मामले में क्या करेगी। मैं इस मंच से आपसे पूछना चाहूंगा कि सुराज का वादा करके बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो इस मामले में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि खुलेआम मॉब लिंचिंग, किस तरीके से खुलेआम भीड़ द्वारा गाय के नाम पर और अन्य धर्म के नाम पर कितने लोगों की हत्या इस राजस्थान में हुई।

अकेले नागौर जिले में खुलेआम गैंगवार पिछले पांच साल चलती रही, उसका जिम्मेदार कौन है? इस राजस्थान में आपने जातीय संघर्ष कराया, उसका जिम्मेदार कौन है? इस मंच से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महिला मुख्य मंत्री इस राजस्थान में थी, फिर भी महिला अत्याचार में राजस्थान अव्वल क्यों हुआ? एससी, एसटी के हमारे भाइयों पर अत्याचार में राजस्थान अव्वल क्यों हुआ? मैं इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करना चाहता हूं, सरकार कांग्रेस की है, 2 अप्रैल को हमारे एससी, एसटी के निर्दोष युवाओं पर जो मुकदमे बीजेपी की सरकार ने लगाये हैं, उनको तुरन्त

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

प्रभाव से हटाया जाए। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस जगह मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

(16:00 बजे)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गत विधान सभा चुनाव में मुझे कुछ लोग कहते थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। मैंने कारण पूछा तो कारण बताया कि इस बार बारिश कम हुई है और काल और कांग्रेस का नाता है इसलिए शायद कांग्रेस की सरकार आने वाली है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिये जो सरकार कहती है, जिनका नेता कहता है कि मैं दस दिन में कर्जे माफ कर दूंगा और अगर दस दिन में नहीं किया तो उस मुख्य मंत्री को हटा दूंगा। साढ़े तीन हजार रुपये बेरोजगार के लिये, जिसका कहीं नाम नहीं है। ऐसे झूंठ के पुलिंदे अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में किसान के पास पैसा नहीं है और उसके कारण वह गौ-माता को सड़क पर छोड़ रहा है। अभी 8 तारीख को गोपालन विभाग की बैठक हुई, राजस्थान में पिछली बार मदिरा और स्टांप पर जो पैसा लिया, लगभग 300 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार के पास है और मार्च तक लगभग 500 करोड़ रुपया सरकार के पास आने वाला है, मेरी आपसे प्रार्थना है तुरन्त गौशालाओं को वह पैसा जारी किया जाये क्योंकि गौ-माता संसार में मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसके मल का उपयोग हो सकता है, गौ-मूत्र का उपयोग हो सकता है।

माननीय नगरीय विकास मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रीजी से निवेदन है कि शहरों में जो काइन हाउस बने हुए हैं, उनको गौशाला में परिवर्तित किया जाये। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत में जो गौचर भूमि है, उस गोचर भूमि को हर पंचायत को पाबंद करें कि वहां गौशाला स्थापित हो। अभी हरिदेव जोशी और अंबेडकर विश्वविद्यालय का प्रसंग आया। मेरा आपसे निवेदन है अंबेडकर की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने अंबेडकर को लोक सभा में नहीं आने दिया, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और हमारे विपक्ष के उप नेता ने हरिदेव जोशी और अंबेडकर विश्वविद्यालय क्लियर कर दिया। मैं जनजाति विश्वविद्यालय की बात करता हूं, जनजाति विश्वविद्यालय खोला। उदयपुर में सुखाड़िया

(श्री धर्मनारायण जोशी)

विश्वविद्यालय होस्टल के एक कमरे में चलता था। वीसी बैठा दिये, कोई बजट नहीं। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने आकर उसको बांसवाड़ा शिफ्ट किया। उसका नाम भी राजीव गांधी विश्वविद्यालय है। क्यों, मावजी महाराज करते, हमारी कालीबाई विश्वविद्यालय करते, जोशी जी के नाम से विश्वविद्यालय कर देते, वह भी नहीं किया। हमारी सरकार ने उसको जमीन दी। अभी पिछली बार 25 करोड़ रुपये उसके भवन के लिये दिये। एक भी विद्यार्थी नहीं, आज उस विश्वविद्यालय में 90 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं।

महोदय, राजस्थान में सरदार सरोवर का पानी कौन लाया? राजस्थान में सरदार सरोवर का पानी भाजपा की सरकार लाई। 1956 में जो कानून पास हुआ, उसके बाद राजस्थान में सात जिले केवल भाजपा ने बनाये, कांग्रेस की सरकार ने एक भी जिला नहीं बनाया। अभी हमारे माननीय सदस्य घोटाले की बात कर रहे थे। पहला घोटाला पंडित नेहरू के जमाने में जीप घोटाला हुआ। फिर टू जी, थ्री जी, फोर जी, एजी, ओजी, बोफोर्स, यूरिया, चारा, हेलिकाप्टर, पनडुब्बी, जल, थल, नभ, किसी को नहीं छोड़ा। महोदय, जो एलईडी आप 300 रुपये में खरीद रहे थे, वह 60 रुपये में एलईडी मिल रही है। ग्रामीण में गरीब मां को 6 करोड़ उज्ज्वला योजना में गैस की टंकियां दी हैं, यह हमारी सरकार ने दी हैं। आपको आश्चर्य होगा जो एशियाड गेम्स हुए, उसमें 4 रुपये का नेपकिन आपने 400 रुपये में खरीदा। जिस फ्रीजर की 8-10 हजार कीमत है, उसका 45 हजार रुपया किराया दिया। महोदय, यह सब इस देश में खेल हुआ है। आज 12 करोड़ खाते जन धन योजना में खुले। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह खाते क्यों खोलते हैं, गरीब का पैसा आज खाते में जमा हो रहा है। आज राजस्थान में बिजली चोरी हो रही है। किसान पर बिजली चोरी के केस लग रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है मध्य प्रदेश स्टाइल में राजस्थान में बिजली को हार्स पावर के हिसाब से बिजली का पैसा लगाया जाये। अभी यहां एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि +++ इसका भी वर्णन करो। उसके बाद भी लोकतंत्र में इमरजेंसी को याद करो। इमरजेंसी में हमारे जैसे निरीह एक लाख लोगों को जेल में डाला, 19 महीने तक हम जेल में रहे। मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। अंत में एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूंगा कि जो सदन में मौजूद नहीं हैं, उनके ऊपर जो यह घोटाले के आरोप लगाये हैं वह आप डिलीट करवा दें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): इस अभिभाषण को सुनने और समझने के बाद एक प्रसिद्ध कवि की चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। यह लश्कर भी तुम्हारा है, यह सरदार भी तुम्हारा है .....

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह कह रहे हैं जो सदन में नहीं है उसके डिलीट कर दें, वसुंधरा जी भी सदन में नहीं थी तो फिर कल यह खुद ही क्यों बोल रहे थे उनके खिलाफ। वसुंधरा जी भी सदन में नहीं थीं, यह खुद भी उनके खिलाफ बोल रहे थे। आज कह रहे हैं डिलीट कर दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पहली बार आये हैं, आप समय का सदुपयोग करें। श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं और राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गये अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, मैं आज सदन में पहली बार बोल रहा हूं, आपने मुझे मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि हमारे सामने बैठे हमारे विपक्ष के सम्माननीय साथी किसान की कर्ज माफी पर सदन में बहुत हो-हल्ला मचा रहे हैं। आप लोग भी किसानों की कर्जा माफी लाये थे कि हमने 50 हजार रुपये का कर्जा माफ कर दिया। कोई का 5 हजार, कोई का 8 हजार, कोई का 10 हजार, 50 हजार तो शायद एक या दो परसेंट किसानों का ही हुआ होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा था और हमारी सरकार के बनते ही कर्जा माफी का जो वादा किया था, उसकी हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत जी ने घोषणा कर दी। शायद कल आपको पता भी चल जाएगा। आप हंस रहे हो, 2 लाख तक का ही कर्जा माफ होगा, चिंता मत करो, आपने लिया होगा तो शायद आपका भी हो जाएगा।।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 36 में शुद्ध पेयजल योजना कराने के बारे में हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार 2008 में बनी थी तो हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ के 230 गांव और तीन शहरों की जनता ने एक सपना संजोया था।

स्वर्गीय शीशराम जी ओला और स्वर्गीय श्री भंवरू खां और हमारे वर्तमान मंत्री माननीय श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, तीनों का सपना था कि

(श्री हाकम अली खां)

हमारे क्षेत्र की जनता को मीठा पानी मिले, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने उस सपने को साकार करने का प्रयास किया। इन गांवों और शहरों में लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पीते थे, इससे मुक्ति दिलाने के लिये हमारी सरकार वृहत् परियोजना लेकर आयी थी, जिसका बजट 832 करोड़ रुपये था। इस योजना का शिलान्यास पिछले कार्यकाल में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने 30 दिसम्बर, 2012 को किया था। सभापति महोदय, 2013 तक हमारी सरकार ने इस योजना का 60 परसेंट काम करवा दिया था। जिसमें गांवों और शहरों में पानी की टंकियों व पाइप लाइन का कार्य करवाया था। सभापति महोदय, तत्पश्चात दिसम्बर, 2013 में हमारी सरकार बदल गयी थी और नयी सरकार ने पांच साल में इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस योजना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस कारण फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता का सपना, सपना ही रह गया था। सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस योजना का जो कार्य बाकी है, उसको पूर्ण करवाकर फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता को गंगा का मीठा पानी पिलाकर उनका सपना साकार करें।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या-42 में स्वस्थ राजस्थान हेतु गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह बहुत ही अच्छा कदम है। हमारे साथ बैठे हमारे साथी बड़ी डींगें हांक रहे थे कि हमारी सरकार ने यह किया, वह किया। हमारे उप नेता जी चले गये। मैं आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर का कोई भी ऐसा काम बता दें कि हमने फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में यह पांच साल में किया है। सभापति महोदय, हमारी पिछली सरकार में 2008 से 2013 तक माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा मेरे क्षेत्र में 2 सी.एच.सी., 5 पी.एच.सी. और 22 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराये गये थे। इनके चिकित्सा मंत्री श्रीमान राठौड़ साहब चले गये। वे जब तक रहे, मात्र एक सी.एच.सी. का भवन बनाया था। भवन भी नहीं बनवा सके और वह भवन भी, हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था। गांव के बीच में शिलान्यास हुआ था, जहां सी.एच.सी. का उपयोग होना था। उस भवन को अपने किसी चहेते के कहने से, शायद तत्कालीन चिकित्सा मंत्रीजी की कोई मजबूरी होगी,

(श्री हाकम अली खां)

उस भवन को गांव से तीन किलोमीटर दूर उसके खेत के नजदीक ले जाकर और उससे जगह डोनेट करवाकर वहां शिलान्यास करके उस भवन को बनाया गया है। उनकी क्या मजबूरी थी, यह तो वे ही जानें। सभापति महोदय, इनकी सरकार ने पांच साल में कुछ नहीं किया। बाकी स्वीकृत सी.एच.सी., पी.एच.सी. एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक भी भवन नहीं बना सके और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। अब मैं नई सरकार से आशा करता हूं कि इन सभी केन्द्रों पर जल्दी से जल्दी भवन बनवाएं ताकि हमारी क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या-52 में शिक्षा के बारे में बताया है। हमारी पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे 2013 में विधान सभा चुनाव से पहले सुराज संकल्प यात्रा में गईं। हर विधान सभा क्षेत्र में गई थीं। हर विधान सभा क्षेत्र में वादे किये थे कि हम ये करेंगे। हमारे फतेहपुर के नौजवानों से भी वादा किया कि हमारी सरकार बनी तो फतेहपुर में सरकारी कालेज खोला जाएगा, जो कि पांच साल में नहीं खुल सका। सभापति महोदय, इनकी सरकार का चार साल का लम्बा समय बीतने के बाद मुख्य मंत्री जब पहली बार फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में जन संवाद के लिये आईं, तो नौजवानों ने तत्काल मुख्य मंत्री को अपना वादा याद दिलाया तो मुख्य मंत्री नौजवानों को सरकारी कालेज का झूठा जुमला या आश्वासन जो कि भाजपा की पहचान रहा है, वह भी नहीं दे पायीं और उन्होंने नौजवानों को पुलिस की लाठियों का शिकार बनाकर, भगा-भगाकर, दौड़ा-दौड़ाकर और पीटकर वहां से भगा दिया और कहा कि पहले यहां से भाजपा का एमएलए बनाओ, उसके बाद सरकारी कालेज की बात करो तो क्या पूरे राजस्थान में भाजपा का एमएलए बनाएं क्या?

सभापति महोदय, बिन्दु नंबर-5, शिक्षा के बारे में है। प्रदेश में बंद किये स्कूलों की समीक्षा कर उन्हें वापस फिर खोलने की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सारे गरीबों के बच्चे हैं, वे शिक्षा से वंचित हो गये। अगर वे स्कूल दुबारा खोली जाएंगी तो गांव एवं ढाणियों के बच्चे उनमें पढ़ेंगे।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): बस दो मिनट। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे राजस्थान में बहुत सारी स्कूलों में उर्दू विषय को बंद कर दिया था। उर्दू पढ़ने वाले

(श्री हाकम अली खां)

विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूंगा, ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार स्कूलों में बंद उर्दू को फिर से खोल दिया जाए तो विद्यार्थियों का भविष्य बन सकता हे।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या-72 में क्रम संख्या में, राजस्थान एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पन्नतापूर्ण राज्य है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर एवं जिले सीकर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। फतेहपुर शहर में ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक हवेलियां हैं, जिनको भू-माफियाओं द्वारा तोड़-तोड़ कर मार्केट बनाया जा रहा है। उन हवेलियों एवं बावड़ियों का संरक्षण किया जाए ताकि आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा फतेहपुर में आर.टी.डी.सी. द्वारा संचालित होटल हवेली को बंद कर दिया गया था। उस होटल हवेली को वापस चालू किया जाए। इससे पर्यटकों के ठहरने और खाने-पीने के लिये अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय कांग्रेस।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल खराड़ी।

श्री बाबुलाल (झाड़ौल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, कांग्रेस ने चुनाव के पहले घोषणा-पत्र के माध्यम से जनता को सपने दिखाए। हम सत्ता में आएंगे तो आपका सर्वांगीण विकास करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश आजाद होने के बाद 1977 से वार्ड पंच से लेकर प्रधान मंत्री तक कांग्रेस के रहे थे। आज भी हम किसान की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। क्या किया? जनता इसका सवाल कांग्रेस से चाहती है। सभापति महोदय जी, यह अभिभाषण राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से पढ़वाया गया। सत्ता पक्ष के लोग प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। लेकिन पैरा 1 से लेकर 90 तक पूरा पढ़ने के बाद लगता है कि इसमें जनता जनार्दन के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कोई योजना नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद... अभी हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं। उन्होंने

(श्री बाबुलाल)

कहा था कि केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में, राज्य में योजनाएं बनाकर, मैं सारी योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, उस गांव और गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम केन्द्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने किया। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा, जिसको किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय जी, हम क्षेत्र में जाएं। पता करें। उनसे पूछें तो वह यह कहेगा कि मुझे शौचालय मिला है, कैटलशैड मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है और अन्य योजनाओं में लाभ देकर ऊपर उठाने का काम किया है। सभापति महोदय जी, बिंदुवार कुछ निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। हमारे यहां पर कर्ज माफी की बात जोरों- शोरों से की है। जो डिफाल्टर हैं। एक बेचारा ईमानदारी से अपना कर्जा चुका रहा है, ऋण चुका रहा है, उसको हमने बाहर कर दिया है। मैं चाहूंगा कि सरकार डिफाल्टर तो करे ही करे, लेकिन नियमित कर्जा जमा करा रहा है, किस्त चुका रहा है, उसका भी कर्जा माफ करे। आगे कहा कि राजस्व की जो भी त्रुटियां हैं, उसको शुद्ध करेंगे, सरलीकरण करेंगे।

एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आज भी गांव का किसान गांव में जमीन निकालकर बंजर भूमि को खेती योग्य करता है, 1991 के कब्जे होते हैं। आज सरकार ने उन किसानों को खातेदारी हक नहीं दिया है। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार चाहे तो राजस्व शिविर लगाकर के, उन किसानों को, जिनके 1991 के कब्जे हैं, बार-बार तहसीलों के चक्कर काटते हैं, पेशियां करते हैं, पैनल्टी भरते हैं, उनको खातेदारी हक देकर उनकी मदद करने का काम करें।

आगे आपने शुद्ध पेयजल की बात की है। आज भी गांवों में जो दूर-दराज का एरिया है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां बिखरी आबादी है, पहाड़ियां हैं, कहीं-कहीं पर तो हैंडपम्प की गाड़ियां भी नहीं जाती हैं। वे व्यक्ति आज भी परम्परागत स्रोत नदी-नालों में बेरियां खोदकर के पानी पीते हैं। हमारी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबी योजना बनायी। यह बहुत अच्छी योजना है। आज हमारा सतही जल नीचे जा रहा है। बरसात कम हो रही है। नदी-नाले सूख रहे हैं। उस व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर, एनीकट बनाकर जमीनी जलस्तर बढ़ाने का जो काम किया वह सराहनीय कदम है।

(16:22 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री बाबुलाल)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मेरे झाड़ोल में बांध कनखाड़िया में है, बांध देवासी आकोदड़ा है, मानसीवाकल है, कोटड़ा में साबरमती है, जोगीबड़ बांध है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से मेरा निवेदन है कि वह बांध पानी रिजर्व है, स्टोरेज पानी है। उस पानी को छोड़कर नदी-नालों में वह पानी जाये तो ग्राउण्ड वाटर बढ़ेगा। मवेशियों के पीने के लिए पानी होगा और हैण्डपंप, कुओं का जलस्तर बढ़ेगा तो पीने के पानी की समस्या नहीं आयेगी। यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

आगे आपने सड़क तंत्र की बात कही है। सड़क तंत्र में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना के कारण सारे गांवों को सड़कों से जोड़ दिया, अब कौनसे गांवों को जोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज भी दूर-दराज के एरिये में ऐसी ढाणियां हैं, फोरेस्ट में बसने वाले जो गांव है, वन-विभाग के कानून के कारण वह आज भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। वहां के लोग आंदोलन करते हैं, रास्ते बंद करते हैं, उनकी समस्या है। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई निर्णय लेकर उन गांवों तक सड़क पहुंचाने का कार्य करे। उनको आवागमन की अच्छी सुविधा हो। जो ढाणियां बच गयी हैं, उनको भी सरकार सड़कों से जोड़े, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय वनाधिकार पट्टा है। आज भी हमारे आदिवासियों के, जंगल में रहने वालों के, वहां पर कुएं-बावड़ी, फलदार वृक्ष लगाये हुये हैं। कई बार वहां पर कमेटी ने जाकर देख लिया, जिओ टेगिंग हो गया। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

प्रशासन की लापरवाही के कारण आज भी वनाधिकार के पट्टे नहीं मिले हैं। युवाओं का एक शब्द भी नहीं है इसमें। अध्यक्ष जी, 52000 भर्तियों के लिए पिछली सरकार ने 2017 में विज्ञप्ति जारी की। युवा आशाभरी निगाह से आया और मामला कोर्ट में चला गया। मैं जिस क्षेत्र में आता हूं वह जनजाति क्षेत्र है, 5000 से ज्यादा युवा जो उस लाइन में नहीं है, उस कोर्ट के आदेश में भी नहीं हैं। उन्होंने सारे अधिकारियों को अपने कागज दिये लेकिन उन लोगों को नौकरी देने का काम नहीं किया। मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि उन लोगों को नौकरी देने का काम करें। मां-बाड़ी केन्द्र के विषय में अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा। मां-बाड़ी केन्द्र सरकार ने खोले हैं। वहां पर नौकरी करने वाले अध्यापक को संविदाकर्मी के रूप में हमको

(श्री बाबुलाल)

मानना चाहिए और उसको लाभ मिलना चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो मां-बाड़ी केन्द्र हैं, इनको डे-केयर के रूप में क्रमोन्नत करेंगे तो पहली से लेकर चौथी तक की पढ़ाई होती है, दो टाइम का भोजन मिलेगा तो इस गरीब एरिये के बच्चों को लाभ मिलेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका आभारी। जय भारत। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वाजिब अली।

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अभिभाषण में किसानों के लिए खूब बात कही गयी है। कर्ज माफी की भी बात हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ कर्ज माफी के अलावा बाकी जो चीजें हैं, जो हम किसानों के लिए कर सकते हैं, उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर किसानों को सिंचाई के लिए पानी की बड़ी समस्या है। गुडगांव कैनाल के जरिये कई बार स्कीम बनी, डीपीआर बनी लेकिन किसानों को पानी आज तक नहीं मिल पाया है। उसके अलावा मेरे क्षेत्र में, पूरे जिले में व कई जिलों में गैर-खातेदारी की जमीनें जो किसानों के पास हैं, उनको खातेदारी में बदलने के लिए काफी भारी फीस वसूली जा रही है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन गैर-खातेदारी जमीनों को किसानों के लिए खातेदारी में नि:शुल्क की जाये।

कृषि के कनेक्शन के लिए पांच-पांच साल का इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए सरकार उचित कदम उठाये ताकि किसानों को कृषि कनेक्शन मिल पाये, 6 घण्टे बिजली दी जा रही है जो भी पर्याप्त नहीं मिल पाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि बिजली बढ़ायी जाये और बिजली दिन में दी जाये ताकि किसान उसका सही उपयोग कर सकें। एमएसपी तो बढ़ा दी जाती है लेकिन एमएसपी पर फसल की खरीद नहीं हो पाती है। नयी सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा सरकारी खरीद हो ताकि किसानों को उनका अच्छा मूल्य मिल पाए। इसके साथ-साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की सर्विस बहुत कम हो गयी है। उसके लिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में राजस्थान परिवहन की बसें चालू हों ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। एजुकेशन में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिटी

(श्री वाजिब अली)

एजुकेशन की बहुत जरूरत है। चाहे मिल्क न मिले, चाहे मिड-डे-मील न मिले, साइकिल भी नहीं चाहिये लेकिन स्कूलों के अंदर संसाधन तो चाहिए। फर्नीचर नहीं है, बैठने की पट्टियां नहीं हैं, बारिश के समय आधे से ज्यादा स्कूलों में जलभराव की परेशानी होती है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इन चीजों पर ध्यान देकर स्कूलों को मजबूत किया जाए ताकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कम्पीट तो कर सकें। जो भी आगे तक के स्कूल प्रदेश में है, उन सभी में साइंस चले ताकि साधारण लोग जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें साइंस का लाभ मिल सके। मेरे क्षेत्र में एक गवर्नमेंट कालेज है, जहां 21 का स्टाफ होना चाहिये वहां सिर्फ 4 लेक्चरर का स्टाफ है। 200 बच्चे पढ़ते हैं और आज बच्चे स्ट्राइक पर बैठे हैं। अगर मंत्रीजी यहां पर हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाये। उनके पास बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इस तरह की समस्याएं क्षेत्र में हैं। इसके अलावा अभिभाषण में बिन्दु संख्या-54 पर कहा गया कि संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इसका स्वागत करते हैं।

साथ-साथ सरकार से निवेदन भी करना चाहते हैं कि उर्दू भाषा को भी प्रोत्सहित किया जाए, उसका भी ध्यान रखा जाए। पैरा 77 पर माइनोरिटी के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही गई है। पिछले कांग्रेस सरकार के राज में माइनोरिटी गर्ल्स होस्टल खोले गए। मेरे क्षेत्र में कई होस्टल खुले, जो आज बंजर हो चुके हैं, उनकी बिल्डिंग खण्डहर हो चुकी है लेकिन वह कभी संचालित नहीं हुए, उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में सरकार उन्हें संचालित करेगी।

मेवात विकास बोर्ड हमारे यहां हमारे क्षेत्र के लिए बनाया गया है लेकिन अक्सर उसके लिए धनराशि सही इस्तेमाल नहीं की जाती। पिछली सरकार में पुलिस थाने की बाउण्ड्री मेवात विकास बोर्ड से बनी है। मैं इस सरकार से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उसका पैसा विकास के लिए इस्तेमाल हो। क्षेत्र की एक समस्या और है, पिछली सरकार में गौ रक्षक चौकियां बहुत खोली गईं, उन पर सिर्फ और सिर्फ वसूली होती है, गौ तस्कर नहीं रोक पाए, हम आने वाले वक्त में सरकार से उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था को सही करने के लिए उन पर वसूली खतम की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रूपाराम जी।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए इजाजत दी, धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पैरा नम्बर 90 में जो चर्चा की गई है वह राजस्थान की वर्तमान स्थिति, संसाधनों को देखते हुए, सभी विभागों के लिए जो बिन्दु आवश्यक हैं आने वाले वर्ष के लिए, उनको सम्मिलित किया गया है। तीन दिन से इस पर चर्चा चल रही है, थोड़ा दु:ख हो रहा है, मारवाड़ी में कहते हैं बाल की खाल निकालना, ऐसा यहां आकर महसूस हो रहा है। कांग्रेस वाले अगर उत्तर कहे तो दूसरे वालों को दक्षिण कहना है, ऐसा मुझे महसूस हुआ।

आने वाले साल में काम करने की योजना, जितने बिन्दु विभागवार रखे गए हैं, यह कोई किसी विभाग की डीपीआर रिपोर्ट नहीं है, कई बिन्दुओं पर कहा गया नवाचार या सुदृढ़ीकरण। नवाचार इतना बड़ा शब्द है कि उस विभाग के अंदर आपको जो भी नया लगे, वह करना चाहिए। सुदृढ़ीकरण, उसमें जो भी कमी हो, उसमें ली जा सकती है। ऐसे अभिभाषण हैं उसमें मेन-मेन टापिक्स ही लिखे जाते हैं न कि उसकी डीपीआर। अभिभाषण में जिन बिन्दुओं को टच किया गया है वह अभिभाषण से पहले, सरकार में आने से पहले राजस्थान की अलग-अलग विभागों में स्थिति थी उसको क्या किया जाना वह पूरा वर्णित है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और समर्थन करता हूं।

विभागों के दो-तीन पाइंट्स पर कहूंगा। पेयजल के बारे में कहा गया है कि सभी कस्बों, ग्रामों और ढाणियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। शुद्ध जल सब जगह पहुंचाना उसमें पशु-पक्षी सब आ गए, अगर कोई कहे कि विभाग का पाइंट नहीं लिया गया तो मेरे ख्याल से सिर्फ कहना ही है, विरोध ही करना है। इसी के साथ राजस्थान में भूमिगत जल की स्थिति है उसको देखते हुए यह कहा गया है कि सभी कस्बों, ग्रामों, ढाणियों में सतही जल उपलब्ध कराने का काम हाथ में लिया जाएगा तो पेयजल के बारे में इससे ज्यादा अभिभाषण में और कुछ कहा जाना सम्भव नहीं था, सब कुछ कह दिया। पिछले पांच वर्षों में जो स्थिति है, राज की बुराई नहीं कर रहा हूं, भाजपा में 70 वर्ष में, 15 वर्ष इस 5 वर्ष के अलावा पहले भी राज किया, तीन बार भैरोंसिंह साहब ने, एक बार वसुन्धरा जी ने और 50 बार कांग्रेस ने किया, दोनों का राज स्थितियों के हिसाब से ठीक रहा। पिछला पांच वर्ष का राज है, इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी किसान को कोई उजाड़ खेत मिलता है, मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को अभी जो राज करने

(श्री रूपाराम)

का मौका मिला है उसमें स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं। पेयजल के बारे में मैं कह रहा था 2013 में योजनाएं प्रस्तावित थीं, सभी गांव और ढाणियों को शहरों तक सतही पेयजल से 2026 तक जोड़ना था, उसके लिए कई प्रोजेक्ट लगभग 15-16 हजार करोड़ के स्वीकृत कर दिए गए थे। 2014-15, 2015-16, 2017-18 और 2018-19 तक सभी परियोजनाएं पूर्ण होनी थीं लेकिन कोई परियोजना पूर्ण नहीं हुई। सरकार के आने के एक वर्ष बाद तक जांच चलती रही, कई ठेकेदार दिशाहीन काम कराकर, काम छोड़कर चले गए और आज भी सभी अधूरे पड़े हैं। उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मोटा-मोटा आकलन किया था, पूरे राजस्थान के सभी गांव, ढाणियों और शहरों में सतही जल उपलब्ध कराने के लिए जो स्रोत उपलब्ध हैं इंदिरा गांधी नहर, चम्बल नदी, नर्मदा नहर, बीसलपुर, जंवाई और छोटे-मोटे अन्य डैम, 01 लाख 10 हजार करोड़ की योजना प्रस्तावित थी। आज कीमतें बढ़ने से और कार्य की गति धीमी रहने से अब काम करने के लिए मोटा-मोटा 01 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता रहेगी। अगर इसको भी 15 वर्ष में नहीं किया गया तो राजस्थान में भूमिगत जल की स्थिति काफी खराब हो सकती है। रेल द्वारा पानी परिवहन किया जा सकता है, यहां दोनों ही पक्षों को मिलकर इस पर ध्यान देना चाहिए।

2013 में राजस्थान की स्थिति को देखते हुए, जैसे हिल स्टेशन पर अलग से पैसा मिलता है, गर्वनमेंट आफ इंडिया से 50 हजार करोड़ पेयजल के लिए अलग से स्पेशल पैकेज के तहत पैसा मिले। यहां से एक प्रकरण भेजा गया था वह चर्चा के बाद पैसा मिलने की स्थिति पर था, आने वाले 7-8 वर्ष में 5-6 हजार करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलना था, उस पर कोई कार्यवाही पिछले पांच वर्ष से नहीं हुई है। जितना पैसा 2013-14 में कांग्रेस शासन में गर्वनमेंट आफ इंडिया से पेयजल के मिला था हर साल 15 से 20 परसेंट बढ़ना चाहिए वह बढ़ने की बजाय घट गया। पिछले साल में जैसा ध्यान है, उस वक्त भी करीब तीन-साढ़े तीन हजार करोड़ मिला था। अभी प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ मिलना चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष शायद दो हजार से भी कम पैसा मिला, ऐसी कोई प्रगति नहीं हुई।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं को हाथ में लेकर दोनों ही पक्ष, पीने का पानी ऐसी चीज है, हवा तो कुदरत देती है जो अपन सब लेते हैं उसको सरकार को मैनेज नहीं करना है

(श्री रूपाराम)

लेकिन पेयजल के लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है इसिलए इसमें किसी को भी एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। 2026 तक, आने वाले 10-12 साल में राजस्थान के सभी शहर, गांव और ढाणियां सतही जल से जुड़ जाएं इस पर अपन सब को सहयोग करना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जहां तक एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उनको संधारित करने का मामला है। राजस्थान में जितने भी टयूबवैल हैं, अभी हमारा राज आया है, कांग्रेस का राज आया है, चार टयूबवैल के बीच एक पम्पिंग सैट पूरे राजस्थान में स्टेंड बाई एक्स्ट्रा होना चाहिए। मैटेरियल मैनेजमेंट की स्थिति लगभग बहुत ही खराब है। गर्मियां आने वाली हैं, अगर योजनाएं ठीक चलें तो चाहे हैण्डपम्प हो, टयूबवैल हो, पम्पिंग स्टेशन हो या जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए 15 जुलाई तक मैटैरियल कमप्लीट होना चाहिए। मैं जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, मेरे विधान सभा का क्षेत्रफल लगभग 29 हजार स्क्वायर किलोमीटर है जो राजस्थान के 7 जिलों की 31 विधान सभा क्षेत्रों के बराबर है। वहां ऐसी स्थिति है कि करीब 600 टयूबवैल हैं और 300 भी पम्पसैट नहीं हैं, ऐसी स्थितियां काफी भयावह हैं, तो अपने को सबको मिलकर करना चाहिए।

जहां तक पशुधन की बात है, काफी लोगों ने बताई है। जैसलमेर में पशुधन, गौवंश लगभग साढ़े चार लाख है। पिछले पांच वर्षों से अकाल की स्थिति रही, गाय मरती रही, ट्रकों से उसकी हड्डियां जाने लगीं और यहां से राज ने कलेक्टर वगैरह को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, कोई रिपोर्ट नहीं करनी है, सब सुरक्षित हैं। हमने जाकर हड्डियां बताईं कि ये गायें मर रही हैं, ट्रक भर कर जा रही हैं। इम्पोर्ट नहीं हो रही हैं, यहीं गायें मरी हैं। फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। एक बात कही गई कि गोशालाओं के मार्फत हम गायों को बचा रहे हैं। जैसलमेर में जो गोशालाएं स्वीकृत हैं, उनमें गायों की संख्या मात्र 31 हजार है। अब 31 हजार गायें बचा रहे हो, साढ़े चार लाख में से 31 हजार, ऊंट के मुंह में जीरा है। आज बैल नोन प्रोडक्टिव हो गया है, तो कोई भी आदमी बैल की सेवा नहीं करता है। यहां तक कि जो गाय दूध नहीं देती है उसको भी छोड़ देता है। मेरे पास भी 20 गायें हैं। मेरे करसे ने थोड़ा सा पूछा, मैं बोला नहीं, वह भी दूसरे दिन जाकर बाजरिया छोड़कर आ गया। तो स्थिति ऐसी है कि 50 प्रतिशत बैल हैं, 50 प्रतिशत गायें हैं। बैलों की स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में चरने के लिये एक तिनका नहीं है। जहां जमाना आया

(श्री रूपाराम)

था, ग्वाल लेकर वहां गये, दूसरे वाले, सब पूरा चारा चर लिया। आज की तारीख में स्थिति बहुत भयानक है और पिछले पांच सालों में स्थिति बहुत गम्भीर रही।

ऐसे ही शिक्षा विभाग में हमारे यहां लगभग 20 आदमी एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। वहां स्कूल पहले ही कम हैं, बच्चों को 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है और इन्होंने 300 स्कूल बंद कर दिये। एक हमीरों की बस्ती गांव है, अलग से है, उसकी करीब 300 की आबादी है, 1971 का गांव है, उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया और 40 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया गया, जहां पहले तो टीचर नहीं लगाये। अब टीचर नहीं लगाये तो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। टीचर को हटाकर, डेपुटेशन पर लेकर संख्या जीरो करके बंद कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बैनिवाल।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये आपने मुझे समय दिया। अभिभाषण शासन के विजन का आइना होता है। यहां सदन के अन्दर पिछली 18 तारीख से लेकर, तीन दिन के अन्दर पक्ष-विपक्ष और हमारे थर्ड फोर्स के कई विधायकों ने अपनी बात रखी।

अध्यक्ष महोदय, आपके आने के बाद राजस्थान के अन्दर एक उम्मीद जगी है कि सदन में जो अध्यक्षीय निर्देश होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थाएं दी जाएंगी, उनकी पालना होगी। यहां पूर्व में तो हालात बहुत खराब थे। यहां सदन के अन्दर जिस बात को हम गम्भीरता से कहते थे उनकी भी पालना नहीं होती थी। आफिसर्स गैलरी के जो आज हालात हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, यहां कई बार एक-एक अधिकारी भी आफिसर गैलरी के अन्दर नहीं होता। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि अभिभाषण, हम किनको सुनाएं, सरकार के कई बार मंत्री नजर नहीं आते। कई बार सदन के अन्दर स्थिति यह हो जाती है कि 20 प्रतिशत से कम संख्या के अन्दर लोग यहां बैठे रहते हैं। आज जो राजस्थान के अन्दर हालात हैं, 70 साल में आयाराम-गयाराम की स्थिति राजस्थान के अन्दर रही, 50 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, लेकिन आज

(श्री हनुमान बैनिवाल)

राजस्थान के अन्तिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। जयपुर, राजधानी के अन्दर पूर्ववर्ती, 2003-08 की सरकार के अन्दर पीने के पानी से मौतें हुई, देश के अन्दर हल्ला हुआ था। जब हम जयपुर के अन्दर पीने का पानी नहीं दे पा रहे तो गांव के, ढाणी के अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पीने का पानी कब देंगे।

अध्यक्ष महोदय, रिसर्जेंट राजस्थान के नारे दिये गये। मैं यही नहीं कहता कि मैं खाली विपक्ष की बुराई कर रहा हूं, लेकिन रिसर्जेंट राजस्थान के नारे दो बार दिये गये। विदेशों में रोड शो किया। यहां उद्योगपतियों को बुलाया, उसमें करोड़ों रुपये खर्च हुए, कई एम.ओ.यू. हुए, लेकिन धरातल पर एक भी एम.ओ.यू. नहीं आया, अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान रिसर्जेंट तब होगा, जब राजस्थान का किसान रिसर्जेंट होगा। किसान मजबूत होगा तब राजस्थान मजबूत होगा। बातों से किसान रिसर्जेंट नहीं होगा, किसान की सम्पूर्ण कर्ज माफी राजस्थान की सरकार को करनी होगी। इसके लिये राजस्थान की सरकार को चाहिए कि दो लाख कर्ज माफी की घोषणा, जो राजस्थान की सरकार ने की है, वह निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है, लेकिन राजस्थान की सरकार के पास इतनी वित्तीय व्यवस्था नहीं होती कि वह सम्पूर्ण कर्जा माफ कर सके।

विपक्ष के अन्दर, जो उप नेता, प्रतिपक्ष बैठे हैं। मुझे तो बड़ा अचम्भा हुआ, अध्यक्ष महोदय, जब कालीचरणजी सराफ, जो उस विश्वविद्यालय से अध्यक्ष बनकर आये थे, जिस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, यहां हम करीब एक दर्जन के करीब विधायक आये हैं, मंत्री हैं। कालीचरणजी आज चर्चा कर रहे थे कि स्वाइन फ्लू पर क्रेडिट था, वह मैंने ले लिया, फ्रंट पर फोटो छप गया। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा नाकारा बात नहीं हो सकती कि हम फ्रंट पर फोटो छपाने के लिये आये हैं। पांच साल मजे लिये, फिर झटका लगा तो इधर बैठ गये, टिकट लेकर वापस आ गये। फिर इधर बैठ गये। फिर इस राजस्थान का क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, चिंता तो इस बात की होती कि मेरा फोटो छपे या नहीं छपे, मेरा नाम आये या नहीं आये, मैंने उस मुद्दे को राजस्थान की विधान सभा में उठाया।

अध्यक्ष महोदय, हनुमान बैनिवाल पिछले पांच साल अकेला इस विधान सभा के अन्दर लड़ता रहा। तब मुझे पता था। तब नियम-कायदे कहां गये? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर जब लाठीचार्ज हुआ था, तब मैं निलम्बित

(श्री हनुमान बैनिवाल)

हुआ था। कांग्रेस पार्टी मुझे बाहर छोड़कर यहां माफी मांगकर सदन के अन्दर आ गई और राठौड़ साहब ने एक बार नहीं, दो बार माफी मंगाई कि एक बार दुबारा मांगो, सुनाई नहीं दिया। वे हनुमान बैनिवाल को छोड़कर आ गये थे। लेकिन फिर भी मेरा काम था कि मैं सत्ता पक्ष से लड़ूंगा। मुख्य मंत्री से कोई लड़ता रहा, सामंती व्यवस्था का अगर राजस्थान के अन्दर कोई विरोध करता रहा तो खींवसर का विधायक अकेला इस लोकतंत्र की लड़ाई के अन्दर संघर्ष करता रहा। कई बार तो +++ कई बार स्थिति यह होती थी कि मैं बोलने के लिये खड़ा हूं, जो निर्दलीयों को टाइम मिलता है, वह टाइम भी कह दिया कि आपको टाइम नहीं देंगे। आप जो चाहे कर लो, तो मैं कांग्रेस की तरफ देखता। कांग्रेस की संख्या ही कम होती थी, 21-22 सदस्य थे। उनमें से यहां कई लोग बैठे होंगे। हमारे शिक्षा मंत्रीजी और रमेशजी बैठे रहते थे। मैं तो इनके साथ रात के दो-दो बजे बैठता था, लेकिन संख्या तीन-चार-पांच भी नहीं होती थी। बहुत कमजोर विपक्ष था और सत्ता पक्ष ने राजस्थान के अन्दर मनमर्जी की। अध्यक्ष महोदय, जो विधायकों के इलाके के अन्दर काम होते थे, हमारे इलाके के अन्दर, जो सड़क मंत्री थे, अबकी बार तो हमने उनकी कहानी सुलटा दी, लेकिन उन्होंने जो रोड, जो सरकार का बजट कांस्टीट्युएंसी के अन्दर लगता था, वह उन्होंने ब्लाक कर रखा था कि खींवसर में काम नहीं होगा, 199 कांस्टीट्युएंसी के अन्दर काम होगा। मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से रोज आदेश करवाता। मेरी कांस्टीट्यूएंसी को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने दिया।

मैं अकेला व्यक्ति था जो राजस्थान के अन्दर लड़ा और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की जनता का कि मैंने नई पार्टी का गठन किया। मैं किसान का पहला बेटा हूं, जो खुद की पार्टी का गठन करके पौने तीन प्रतिशत वोट लेकर आया। मेरे कई अच्छे भाई कांग्रेस-बी.जे.पी. के अन्दर भी थे। हो सकता है कि उनकी मदद भी मेरी वजह से हो गई होगी, लेकिन मेरा मकसद यह नहीं था कि मैं राजस्थान की सत्ता पर काबिज होऊं। हनुमान बैनिवाल का मकसद था कि राजस्थान के अन्दर व्यवस्था परिवर्तन हो। थाने, तहसील, कचहरी के अन्दर जब गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार और तहसीलदार उठकर बोले कि बाबा बताओ, आपका क्या काम है। ऐसी व्यवस्था मैं राजस्थान के अन्दर चाहता था। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अन्दर मैं निकला था। हुंकार भरी कि किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ हो। नागौर की

(श्री हनुमान बैनिवाल)

हुंकार के बाद ही मध्य प्रदेश के अन्दर बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों पर गोलियां चलाईं। किसान शहीद हो गये। कर्ज माफी के आन्दोलन को देश के अन्दर हवा दी तो खींवसर के विधायक हनुमान बैनिवाल की अगुवाई के अन्दर नागौर की धरती पर जब पांच लाख किसान-जवानों ने हुंकार भरी तो देश के अन्दर कर्ज माफी के आन्दोलन को हवा मिली थी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने मुद्दा उठाया कि किसान के बेटों को रोजगार मिले। चार लाख खाली पद भरे जाएं, बेरोजगारी भत्ता मिले और मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स नहीं देंगे। मजबूत लोकपाल होना चाहिए। मैंने तीन साल की लोकायुक्त की जो रिपोर्ट होती है, वह पढ़ी थी। लोकायुक्त तो एक डाकखाना है। वह सी.एम. को सिफारिश करता है कि फलां लोक सेवक के खिलाफ, नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन मुख्य मंत्री की जब इच्छा होती है, तभी मुकदमा दर्ज होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता, वह डम्प हो जाता है। हमने इस बात को भी उठाया कि मजबूत लोकपाल राजस्थान के अन्दर होना चाहिए। प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट राजस्थान के अन्दर लागू हो। अध्यक्ष महोदय, हमने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का ही परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब बड़ा किसान आन्दोलन और हुआ, इन्होंने 50 हजार का कर्जा माफ किया। लेकिन उस 50 हजार के कर्जे के अन्दर इतने राइडर डाल दिये कि कहीं तो किसी का दो हजार माफ हुआ और कई तीन हजार माफ हुआ। वह सिर्फ फसली ऋण, को-आपरेटिव का इन्होंने माफ किया था। चुनाव के अन्दर वाहवाही लूटने के लिये उन्होंने अंतिम साल के अन्दर कर्ज माफी की घोषणा की।

आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात थी, मैंने मेरी हुंकार रैलियों के अन्दर आर्थिक आधार पर आरक्षण को समर्थन किया था कि राजस्थान का कोई भी, किसी भी जाति का व्यक्ति, अगर वह गरीब है तो उसे आरक्षण का हक और अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन खाली क्रेडिट लेने के लिये हम वैल में आकर यह बोल दें कि आरक्षण दो, आरक्षण दो तो आपको मना किसने किया। जब दिल्ली की सरकार ने संविधान संशोधन करके दस प्रतिशत सवर्णों को आरक्षण दिया, तो गुर्जर समाज सहित चार जो जातियां हैं, उनको पांच प्रतिशत आरक्षण दिल्ली के अन्दर सीधे आप दे देते तो राज्य सरकार अपने आप पालना करती।

(श्री हनुमान बैनिवाल)

आप 9वीं अनुसूची में डाल देते, संविधान संशोधन कर देते, आपको कोई मना थोड़े ही कर रहा था लेकिन आपको अब दिख रहा है कि लोक सभा का चुनाव है, हम राजस्थान के अंदर जाकर यह बात भी कहेंगे गुर्जरों के अंदर देखो-देखो, आपके पायलट साहब को सी.एम. नहीं बनने दिया, उधर जाकर कह देंगे जाटों में कि तुम्हें यह नहीं करने दिया और यह जो जातिवाद राजस्थान के अंदर लेकर आए, बुरा मत मानना राठौड़ साहब, जातिवाद 2003 के अंदर राजस्थान के अंदर आया जब वसुन्धराजी हर जाति के बीच जाकर बोलीं कि मैं इसकी बहू हूं, इसकी बेटी हूं, इसकी समधिन हूं और यह सारी बातें पहले राजस्थान के अंदर कोई भी मुख्य मंत्री या विपक्ष का नेता जाता था तो जाति के आधार पर वोट नहीं मांगता था।

हमारे पर तो आरोप लगाते हो कि आप जातिवाद करते हो, जातीय नेता हो, हमने तो राजस्थान में जब जातीय संकट आया, जातीय वैमनस्यता बढ़ी, जब जाट-राजपूत आमने सामने हो गये तब हनुमान बैनिवाल जैसे नौजवान दीवार बनकर उनके बीच खड़े हो गये और उनको लड़ाने का काम नहीं किया। गुर्जर-मीणों को लड़ाने का काम अगर किया तो आपने किया। मुख्य मंत्री के घर से बैठकर कहा कि मीणा समाज के लोगों जाओ, नहीं तो हम गुर्जरों को एस.टी. में शामिल कर देंगे। यह बातें सारी दुनिया जानती है। यह तो कमजोरी इस पक्ष की थी कि सी.बी.आई. जांच नहीं करवा पाए।

माथुर आयोग जो बनाया, अगर जांचें सही हो जातीं और अब भी कहता हूं कि पांच साल का जो बजरी घोटाला, खान घोटाला, एन.आर.एच.एम. का घोटाला और परिवहन मंत्री जो पिछले थे, जिस तरह से लोक परिवहन की बसों को परमिट दिये गये, जिस तरह से शहाजहांपुर टोल नाके पर अपने भांजे को परमानेंट ही पूर्व परिवहन मंत्री ने बैठा दिया और पी.डब्ल्यू.डी. का जो पैसा लूटा, सारे राजस्थान के टोल के ठेके ले लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उनकी जांच करवाई जाएगी तो निश्चित रूप से जिस तरह से दूसरे स्टेट्स के अंदर नेता जेल के अंदर मिलते हैं, राजस्थान के कई नेता इस सेंट्रल जेल जयपुर में नजर आएंगे लेकिन इसके लिए इनका साहस चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो जिस बात को लेकर निकले हैं, न तो हम इस तरफ हैं और न आपकी तरफ हैं। हम तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे और लोक सभा चुनावों के अंदर आप बार-बार सब डींग हांक रहे हो न, यह कह रहे हैं हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे तो पाइंट पांच परसेंट वोट ही आपको

(श्री हनुमान बैनिवाल)

ज्यादा मिले हैं, कोई ज्यादा लंबा-चौड़ा नहीं है। पौने तीन हमारे को मिले, 57 सीट खड़ी की, जोड़ लो 200 पर खड़े करेंगे तो कितने होंगे? उस समय तैयारी कम थी, अब ज्यादा तैयारी है, पूरा टाइम मिल गया। उस समय तो पार्टी बनाकर सत्ता प्राप्ति मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद राजस्थान के जवान किसानों को न्याय, हक-अधिकार दिलाना था।

आपने पांच परसेंट जाते-जाते मुफ्त बिजली की घोषणा की, वह हमने इसके अंदर नहीं पढ़ा। मैं कांग्रेस की सरकार से यह मांग करूंगा कि किसानों की जो मुफ्त बिजली की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने पांच हार्स पावर की की है, यह सम्पर्ण बिजली माफ करने की घोषणा राजस्थान की सरकार करे तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान जो आजादी के 70 साल बाद आज आत्महत्याएं कर रहा है, वह अपने सम्मान को पुन: स्थापित करना चाहता है।

जब देश को आजादी मिली तब देश को आजाद करवाने वाले लोगों की एक सोच थी कि जब देश आजाद होगा तो निश्चित रूप से आम आदमी, गरीब आदमी को न्याय मिलेगा लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह न्याय कागजों में सिमट कर रह गया। जिसके पास पैसा है, पावर है, वह तो कामयाब हो जाता है और गरीब आदमी जो नरेगा में मजदूरी कर रहा है, वह कभी अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाने की सोच भी नहीं सकता। वह सेंट जेवियर, महारानी कालेज और महाराजा कालेज के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने की नहीं सोच पाता क्योंकि उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूल बंद कर दिये। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अगर सरकारी स्कूलों की दशा सुधारनी हो तो सरकारी एक परिपत्र जारी करो कि कलेक्टर, एस.पी., एम.एल.ए., एम.पी. का बेटा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ेगा तो अपने आप टीचर भी लग जाएंगे और सारी व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें हो गयीं, कितने गम्भीर हालात हो गये लेकिन आज भी स्वाइन फ्लू टैस्ट करने की सी.एच.सी., पी.एच.सी. और जिला अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। आरोप-प्रत्यारोप से काम निकालकर लोग चले जाते हैं। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपसे यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जो गरिमा पिछले पांच साल और पिछले पन्द्रह साल के अंदर तार-तार हुई है, यह राजस्थान जो अपराध में 23वें नम्बर पर था, आज अपराध के अंदर दो

(श्री हनुमान बैनिवाल)

नम्बर पर हो गया और हमारे महिला मुख्य मंत्री के रहते हुए भी राजस्थान महिला अपराधों के अंदर एक नम्बर पर हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस राजस्थान को बचाना है। मैं सरकार से एक मांग और करूंगा कि बी.जे.पी. के लोग तय करें, कांग्रेस के लोग तय करें, राजस्थान वह सारे मापदंड पूरा करता है जो विशेष राज्य के दर्जे के लिए होते हैं। यहां पर अरावली की पर्वतमालाएं हैं, चम्बल के बीहड़ हैं, ट्राइबल बैल्ट है, मैदानी इलाके हैं और भारत पाकिस्तान की लम्बी सीमा है। आप भी तय कर लें और आप भी तय कर लें, आप यहां से प्रस्ताव बनाएं और आप दिल्ली के अंदर उसको पास करवाएं अगर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो किसान का कर्जा भी माफ हो सकता है, टोल मुक्त राजस्थान भी हो सकता है, शराबबंदी भी राजस्थान के अंदर की जा सकती है और युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है।

3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की जो बात कांग्रेस पार्टी ने की थी, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से कैबिनेट में आपने दो लाख कर्जे की बात की और वह राइडर भी आप हटाओगे, डिफाल्टर के अलावा सबका कर्जा माफ करोगे तो 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते के अंदर भी कोई राइडर नहीं रखें। समस्त किसान के बेटों को जो पी.जी. और ग्रेजुएट हैं, उन सबको बेरोजगारी भत्ता भी दोगे। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)** माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार को बने एक महीना ही हुआ है इसलिए हम सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन यह सरकार सोच ले कि आप 150 पर जा रहे थे, कह रहे थे कि 170 आएंगे और आप 190 पर जा रहे थे, जब हमारी हुंकार ने यह 27 हम जीत कर आए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और कई जगह पर कांटे की टक्कर रही है अगर हम मजबूती से आए तो वह दिन दूर नहीं कि राजस्थान की सत्ता के शिखर पर असली किसान का बेटा बैठेगा और दोनों पार्टियों को घर बैठाकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मंजीत चौधरी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री मंजीत चौधरी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका और मेरी पार्टी का इस पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

मैं इस मौके पर आपको और सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जन-प्रतिनिधियों को नमन करता हूं और इस मौके पर याद करता हूं मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी धर्मपालजी को और मुण्डावर क्षेत्र की जनता को, छत्तीस बिरादरी को जिन्होंने मुझे जिता कर आज इस विधान सभा के अंदर भेजा है और अपनी आवाज बनाकर यहां पर उन्होंने भेजा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछली सरकार ने, इस सरकार ने पूर्व सरकार के कार्यों की आलोचना के अलावा कुछ नहीं करा। सरकार ने आगे जो रोड मैप था, उसमें कुछ नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वर्तमान सरकार की जो योजनाएं थीं उन्हीं को तोड़-मरोड़ कर इसमें पेश किया। पिछली सरकार की योजनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। फिर भी मैं सरकार का ध्यान कुछ आवश्यक योजनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर डी.एम.आई.सी. दिल्ली-मुम्बई-इंडस्ट्रियल-कोरिडोर जो कि दिल्ली से मुम्बई तक एक रोड बनना है, उसमें मेरे यहां से चालीस गांवों की जमीन अधिग्रहण होनी थी। पिछली योजना के अंदर दस गांवों की अधिग्रहण, पहले फेज के अंदर होनी थी, जिसमें से पिछली सरकार ने पांच गांवों की जमीन उसमें से छोड़ दी थी। पांच गांवों की जमीन अभी भी उसमें जानी है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार किसान हितैषी बनती है, सरकार योजनाएं लेकर आ रही है कि किसान आत्महत्या नहीं करे। अगर किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ाया जाता, आज उस क्षेत्र के अंदर 12 से 15 लाख रुपये प्रति बीघा उनको मुआवजा दिया जा रहा है। अगर किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ाया जाता तो आत्महत्याएं आर्थिक

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

तंगी के कारण ही नहीं उस जमीन अधिग्रहण के कारण भी बहुत अधिक होंगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब सरकार जमीन अधिग्रहण करती है, चाहे वह रीको के माध्यम से करे या चाहे यू.आई.टी. के माध्यम से करे तो किसानों को 25 परसेंट मुआवजे के तौर पर विकसित जमीन दी जाती है। पर इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को वह जमीन नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह क्लाज उसके अंदर जरूर डालें कि अगर किसान 25 फीसदी विकसित जमीन उसमें लेना चाहे तो उसको यह विकल्प दिया जाए कि आप अगर लेना चाहे तो वह ले सकते हैं। अगर वह मुआवजा लेना चाहे तो मुआवजा ले सकता है, जिससे वहां पर जो गरीब किसान है, उसके पास कुछ न कुछ जमीन मिल जाएगी आगे कुछ करने के लिए, उसका वह परिवार उस जमीन के माध्यम से आगे कुछ न कुछ करके जिंदा रह सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर एक साथी हैं, मेरे साथ की विधान सभा क्षेत्र से आते हैं उन्होंने भी कल यहां पर यह मुद्दा उठाया था। नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो कम्पनीज स्थापित हैं, वहां पर लोकल युवाओं को रोजगार के लिए। पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर भी कई बार वहां पर स्ट्राइक हुई, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ हो, युवाओं के ऊपर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गयी हों। फैक्ट्री के द्वारा वहां पर लाठियां बरसाई गयी हों, ऐसा पिछले पांच साल में कभी भी नहीं हुआ। इस बार यह देखने को मिला कि सरकार बनते ही एक महीने के अंदर-अंदर वहां पर युवाओं के ऊपर सरकार ने लाठियां भांजी और उनको वहां पर खदेड़ कर पीटा और मारा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे। जैसे कि अभी मध्यप्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर स्थानीय कम्पनियों के अंदर 70 फीसदी लोकल युवाओं को रोजगार दिया जाता है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी ऐसा करें। जब जमीन यहां की हैं, पानी यहां का है, हवा यहां की है, आप भी यहां पर ऐसा कुछ करें, यहां पर बदलाव करें। सब्सिडी सरकार देती है, टैक्स में छूट सरकार देती है, आप यहां पर उसमें बदलाव करके यहां

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

के लोकल युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करें, अगर आप यह काम करेंगे तो मैं आपका सदैव बहुत-बहुत आभारी रहूंगा और प्रत्येक युवा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगा।

(17:00 बजे)

मैं आपके माध्यम से इस बात के साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा। सरकार बात करती है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की। अगर आज इंडस्ट्री मिनिस्टर वहां पर जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर उस जोन के अंदर जितना पोल्यूशन फैल रहा है। जिस तरीके से गंगानगर के अंदर, गंगानगर कैंसर के नाम से एक ट्रेन जाती है, वह दिन भी दूर नहीं कि अलवर से दिल्ली एक ट्रेन चलेगी, जो अलवर कैंसर के नाम से जानी जाएगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों पर ध्यान देकर जल्द से जल्द लोकल युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करें और वहां पर एक ऐसा माहौल बनाएं कि बाहर के लोग आकर वहां पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसको कम किया जाए और जो फैक्ट्रियों का माहौल है काम करने का, उसकी तरफ भी सरकार ध्यान देकर भयमुक्त माहौल बनाने का काम करे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पृष्ठ-8 पर अनुच्छेद संख्या 20 पर सरकार ने गाय को हमारी संस्कृति का महत्व बताया है। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार का, वैसे तो हालांकि कांग्रेस सरकार गौरक्षा और राम मंदिर के नाम जैसे शब्दों से हमेशा परहेज करती आयी है। मैं इसको एक अच्छा कदम मानते हुए सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि गांवों के अंदर आज की तारीख में सरकारी गौ-शालाएं नहीं हैं सभी संचालित जो गौ-शालाएं हैं, गांव के लोगों द्वारा संचालित की जा रही हैं तो आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उसके अंदर विधायक कोष से पैसा लगाने की अनुमति दी जाये जिससे कि उन गौ-शालाओं में सुधार किया जा सके। उनमें जो सरकार ने वादा किया चिकित्सा का और गौ-शालाओं में चारे का, उसके लिये भी विधायक कोष से अनुमति मिले जिससे कि वहां पर उनकी व्यवस्था प्रोपर की जा सके।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूर्व में प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह योजना के नाम से गरीब लोगों के लिये, जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिये एक योजना चलायी थी, जिसमें तीन

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

लाख तक का इलाज वह फ्री करा पा रहे थे। उसी को देखते हुए अपने देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 'आयुष्मान भारत' के नाम से एक योजना चलायी, जिसमें वार्षिक पांच लाख रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर आप इसको प्रभावी ढंग से लागू करें और जो गरीब लोग हैं, उन तक अतिशीघ्र इस योजना को पहुंचाने का काम करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार ने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर पृष्ठ-18 के अनुच्छेद-41 पर परिवहन की सुविधाओं के ऊपर जोर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मुण्डावर, अलवर की एक पुरानी तहसीलों में से एक है, पर आज की तारीख में भी वहां से सीधी कनेक्टिविटी कहीं की नहीं है। आप जयपुर जाना चाहें तो सीधी बस मुण्डावर से जयपुर के लिये नहीं है, सीधी बस मुण्डावर से दिल्ली के लिये नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द मुण्डावर, एक पुरानी तहसील होने के नाते वहां पर इसकी सुविधा करायी जाए। आपने मुझे यहां पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिये मैं सदैव आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

श्री अध्यक्ष: रामकेश मीणा।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में शासन करने का मौका दिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस राजस्थान में और इस राजस्थान की जनता के साथ में जो अन्याय और अत्याचार किया, उससे तंग आकर कांग्रेस को मैंडेट देकर, यह उम्मीद राजस्थान की जनता बांध रही है कि कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ, गरीब मजदूरों के साथ और समाज के जो वंचित लोग हैं, उनके साथ न्याय करेगी, उनके हितों की रक्षा करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़कर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हर बिन्दु को, समाज के हर तबके को उन्होंने अपने अभिभाषण में छूने की कोशिश की है। जैसे कि पहले ही कैबिनेट के डिसीजन में सरकार के द्वारा किसानों के ऋण माफी की जो

(श्री रामकेश)

घोषणा की है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रत्येक बिन्दु में जो उन्होंने जन कल्याण के कामों को उसमें अंकित किया है, उनकी सबकी मैं, मेरी तरफ से सराहना करता हूं, मैं उनका अनुमोदन करता हूं।

इसी के साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान में, विशेष रूप से हमारे सवाईमाधोपुर जिले में, जो विकास के मामले में बहुत ही पिछड़ गया है, विकास के मामले में बिलकुल अछूता रह रहा है। उसके साथ हमेशा भेदभाव की राजनीति, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, विकास के मामले में सवाईमाधापुर जिले के साथ हमेशा भेदभाव रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बार सवाईमाधोपुर जिले के साथ विकास के मामले में भेदभाव नहीं हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर चम्बल के लगातार बहने के बाद में, यहां पर मोरेल और बनास का बहुत अच्छी तरह से प्रवाह होने के बाद में भी पेयजल से लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। पूरी तरीके से पानी की किल्लत वहां पर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे पीने के पानी की व्यवस्था हो।

दूसरी बहुत ही गम्भीर समस्या हमारे पांचना बांध की, 2006 से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस समय इस बांध को 2006 में बंद किया गया था, उसके बाद लगातार आज तक वह बांध नहीं खुल पा रहा है। इस बार पूरी क्षमता के साथ उसमें पानी का भराव हुआ है। उसमें 1085 एम.सी.एफ.टी. पानी अभी सिंचाई के लिये मौजूद है तो मेरा अनुरोध है सरकार से, कि इतने वर्षों तक जो कमांड एरिया के लोग, कमांड एरिये के किसान पानी के लिये तरस रहे हैं, और जिन लोगों के लिये बांध बना, जो लोग उस पानी के हकदार हैं, उनको सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल रहा है, तो सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि बांध को खोला जाए और जल्दी से जल्दी कमांड एरिये के किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ यह कहना चाहूंगा कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान सवाईमाधोपुर और गंगापुर में बहुत बड़ा आंदोलन एस.सी., एस.टी. के लोगों ने किया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन

(श्री रामकेश)

युवाओं के साथ जबर्दस्त लाठीचार्ज करके उनके असत्य मुकदमें दर्ज किये। मेरी यह मांग है कि जो असत्य मुकदमें भारतीय जनता पार्टी ने उन युवाओं के साथ किये हैं, उन असत्य मुकदमों को जल्दी से जल्दी सरकार वापस लेने की कार्यवाही करे। उनके साथ जो अन्याय, अत्याचार हुआ है, उसको रोका जाये और असत्य मुकदमों को वापस लिया जाये, यह भी मेरी सरकार से प्रार्थना है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक दूसरी, जो बहुत अहम बात है, किसानों के साथ पूरे राजस्थान में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरह का कानून प्रदेश में कैसे हो सकता है? जब हमारी मंडी समितियों में 10-12 मंडियां ऐसी हैं राजस्थान में, जिनमें सीधी खरीद की व्यवस्था कर रखी है, जैसे इटावा, सुमेरगंज, चौमेला, अंता, केशोरायपाटन, छबड़ा, अकलेरा, खानपुर, देई, उनियारा, गंगापुर, भीलवाड़ा और बिजौलिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें किसान अपना माल सीधा व्यापारी को बेच सकता है और दूसरी मंडियों में आज भी आढ़त की व्यवस्था है और वहां पर आढ़तिये किसानों के साथ बहुत ही अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। मेरी आपसे यह मांग है कि एक ही तरह की व्यवस्था हो। जब सीधी खरीद की व्यवस्था इन मंडियों में सफल हो चुकी है, जब किसान का अपना ठीक ढंग से कारोबार चल रहा है तो ऐसे में पूरे राजस्थान में जहां आढ़त की व्यवस्था कर रखी है, उस आढ़त की व्यवस्था को खतम किया जाए, जिससे किसानों पर दोहरा बोझ नहीं पड़े और किसानों को 2.25 परसेंट की जो आढ़त है, उससे छुटकारा मिले। किसान अपनी कृषि जिन्स को सीधे व्यापारियों को बेचे जिससे किसान को नुकसान नहीं हो। किसान मण्डी में जाकर व्यापारियों के चंगुल से निकले। आपने जो राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, 1961 बना रखा है, उसमें सीधा-सीधा प्रावधान है कि बिचौलियों से बचाने का, सरकार का दायित्व है किसानों को। तो उससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा।

मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि दो-तीन तरह की जो मैंने मांग की है, उन पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि हमारे पूर्वी राजस्थान में विशेष रूप से हमारे सवाईमाधोपुर जिले में आप भेदभाव की राजनीति नहीं करते हुए विकास ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप कुमार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। आप आसन पर विराजे हो। इनको प्रताड़ित तो करो। बाकी तो आपकी इच्छा है।

श्री अध्यक्ष: आपकी भावना को पहुंचा दूंगा।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपालजी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, तिजारा क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता का, पुराने राजनेताओं ने तिजारा के चुनाव को साम्प्रदायिक बना दिया था, सभी लोगों ने मिलकर, 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर मुझे वोट किया। मैं तिजारा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपालजी के अभिभाषण के बिन्दु नम्बर 22 पर राज्य सरकार ने किसानों के कृषि कनेक्शन पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार का धन्यवाद है, परन्तु बहुत सारे किसानों को जिन्होंने डिमाण्ड राशि जमा करवा दी है, लगभग 7-8 महीने से जिनकी डिमाण्ड राशि जमा हो चुकी है, उनको अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं मिले हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टपूकड़ा में जो पावर हाउस है, उसमें 824 लोग डिमाण्ड राशि जमा करा चुके हैं, उनमें कुल दो सौ लोगों को ही ट्रांसफार्मर मिले हैं। तो जब हम उनको उधार नहीं दे सकते हैं तो हमें क्या अधिकार है कि हम लोग दस-दस महीने तक उस राशि का उपयोग करें। मेरा निवेदन है कि उन लोगों को ट्रांसफार्मर जल्दी से उपलब्ध कराये जाएं।

इसी तरीके से तिजारा में 144 प्लस 66, फर्स्ट और सैकिण्ड फेज में ट्रांसफार्मर के लिए डिमाण्ड राशि जमा हो चुकी है जबकि अभी तक कुल 70 ट्रांसफार्मर दिये गये हैं। जब उन किसानों को इतने लम्बे समय तक हम ट्रांसफार्मर नहीं देते हैं, दो रुपये, चार रुपये सैकड़ा के ब्याज पर पैसे लेकर उन्होंने डिमाण्ड राशि जमा कराई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उनको ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जाएं।

बिन्दु संख्या 47 पर नये मेडिकल कालेजों को पूर्ण क्षमता के साथ विकसित करने की बात कही गई है। मेरा निवेदन है कि अलवर में मेडिकल कालेज शुरू करने के नाम पर उसकी संभावना के चलते जिला अस्पताल को एक पारी में कर दिया गया है जबकि सभी जिलों में जिला अस्पताल दो पारियों में चल रहे हैं। न तो वहां अभी तक मेडिकल कालेज खुला है और न ही अस्पताल को दो पारियों में किया गया है। इसके चलते मरीजों को परेशानी

(श्री संदीप कुमार)

आ रही है। एक पारी में जो अस्पताल चल रहा है, मरीज जो दिन में जांच कराकर आते हैं उनको दुबारा आना पड़ता है जबकि अन्य जिलों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। मेडिकल कालेज के कारण से इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो अलवर में मेडिकल कालेज खोला जाए और तब तक कालेज नहीं खुलता है, जिला अस्पताल को दो पारियों में किया जाए।

तीसरा पाइन्ट 60 नम्बर पर है, उद्योग धंधे सृजित करने और उनसे रोजगार की बात कही गयी है। बहरोड़ और मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी इस बात को रखा है। मैं भी सदन के पटल पर आपके माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे तिजारा, अलवर, भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नीमराना औद्योगिक क्षेत्र हैं जो राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है लेकिन वहां पर इतनी बड़ी समस्या है कि हमको वहां पर पोल्युशन भुगतना पड़ता है। वहां का वाटर लेवल पूरी तरह से दूषित हो चुका है। हवा खराब हो चुकी है। कई बार अखबारों में आ चुका है कि वायु प्रदूषण राजस्थान में सबसे ज्यादा भिवाड़ी में है और जब रोजगार की बात आती है या हमारे अधिकारियों की बात आती है तो वहां पर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। स्थानीय युवा जब अपना बायोडेटा लेकर पहुंचते हैं तो, कम्पनी के गेट से उनको बाहर भगा दिया जाता है। मैं निवेदन करता हूं कि दो वर्ष तक जब वे ठेकेदारी में लेते हैं तो वह लोग योग्य कैसे हो जाते हैं और दो वर्ष बाद हमारे युवा साथी अयोग्य कैसे हो जाते हैं? जब वे मानेसर, नोएडा और गुड़गांव में जाब करते हैं तो वे कैसे योग्य हो जाते हैं और भिवाड़ी, खुशखेड़ा तथा नीमराना में आकर कैसे अयोग्य हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए और उसके लिए 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार के लिए हमारे यहां से एक कानून बने। मैं यह निवेदन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, औद्योगिक प्रदूषित पानी के निराकरण और प्रबन्धन के लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 62 नम्बर पर दिया है। भिवाड़ी बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जब से भिवाड़ी विकसित हुआ है, जब से भिवाड़ी में उद्योग धंधे लगे हैं, तब से लेकर आज तक वहां पर प्रदूषित पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं निकाला गया है। मैंने पिछले समय में आन्दोलन किया। हम पर मुकदमे लगे और दूषित पानी किसानों के खेतों में भरा रहता है। फैक्ट्रियों को अपने पानी को ट्रीट

(श्री संदीप कुमार)

करके उसको वापिस लेने का काम करना चाहिए। लाखों लीटर पानी का दोहन जमीन से हो रहा है और पानी वहां पर दूषित होकर आ रहा है, उसको पानी को ट्रीट नहीं किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भिवाड़ी में एक बड़ा ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया जाए और कुछ इस तरह की योजना आए कि ट्रीटमेंट प्लान्ट से पानी को ट्रीट करके औद्योगिक इकाइयां वापस उस पानी को काम में लें।

इसी तरीके से भिवाड़ी में यूआईटी और रीको के माध्यम से भी गन्दा पानी गांवों में छोड़ा जा रहा है। गांवों के किसानों के खेत भरे हुए हैं। जिसके पास मात्र दो बीघा जमीन है, उसकी जमीन में लगातार दस-पन्द्रह सालों से पानी भरा हुआ है। उसके पास अपने बच्चों को पालने पोषने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी किसी ने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। औद्योगिक इकाइयों से हम पैसा तो कमा रहे हैं, हम लोग टैक्स ले रहे हैं पर हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि इनसे होने वाली समस्याएं हैं, जिसके कारण से स्थानीय लोगों को किस तरह की समस्याएं भुगतनी पड़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं दुबारा आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे जैतारण क्षेत्र के सर्व समाज को, तमाम नौजवान युवाओं को, माताओं-बहनों को और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेरे जैसे युवा पर भरोसा करके मुझे लोकतंत्र के, राजस्थान के इस पवित्र मन्दिर में, मेरे मन की बात कहने का मौका आप लोगों के बीच में दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस मन्दिर में आना किसी सौभाग्य से कम बात नहीं है। आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पार्टी ने 11 नवम्बर को मेरी पार्टी का मुझे सिम्बल अलाट किया। वह भी रात को 11 बजे। घोषणा हुई 11 दिसम्बर को और मुझे इस विधान सभा में विभाजन संख्या भी 11 मिली। मैं पेशे से वकील हूं। मेरा कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नम्बर भी 111 है। कुल मिलाकर पार्टी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के कुछ ऐसे ज्वलन्त मुद्दों को सरकार के सामने रखना चाहता हूं। अभी हमारे विपक्षी मित्र मोदी

(श्री अविनाश)

फोबिया से ग्रसित होकर बहुत सी बातें कर रहे थे। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर मैं राजस्थान की और मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। अगर मै आंकड़ों में बताऊं, मनमोहनजी की पिछले दस वर्षों की सरकार में, 2004 से 2014 तक रही, 241 आतंकवादी मारे गये, 1788 आम लोग मारे गये और 1177 जवान मारे गये। यह दस वर्ष का आंकड़ा है। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, पिछले साढ़े चार वर्षों के मोदीजी की सरकार का, उनके साढ़े चार साल के कार्यकाल में 1701 आतंकवादी मारे गये, 61 आम लोग मारे गये और 303 जवान शहीद हुए। यह कार्य करने का तरीका है। जो 56 इंच के सीने की बात मेरे कांग्रेसी मित्रों ने कही थी, यह उसका जवाब है कि 56 इंच के सीने की वजह से आज भारतीय सीमा पर बैठा सैनिक सुरक्षित है, आज देहाती गांवों में बैठी महिला का बेटा सुरक्षित है, आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की वजह से भारत-चीन सीमा पर मजबूत एयरबेस बन रहा है। हमारी पिछली सरकार के कारण बहुत से ऐसे विकास के आयाम स्थापित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने इस प्रदेश में पिछले 50 वर्षों की कांग्रेस सरकार ने जो काम नहीं किये वो कार्य हमारी वसुन्धरा जी की सरकार ने किये।

केन्द्र की मोदी सरकार हो चाहे स्टेट की वसुन्धरा जी की सरकार हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, वृद्ध माता-पिता को तीर्थ यात्रा कराने की योजना हो, चीन सीमा पर एयरबेस निर्माण की योजना हो, सीमा पर सैनिकों की सुरक्षा की योजना हो, किसानों को नीम कोटेड यूरिया की स्थापना हो, गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सब्सिडी सीधी उपभोक्ता के खाते में जमा होने लगी, ऐसी स्कीम भी हमारी मोदी सरकार ने की।

मैं बताना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि यह जो विजय माल्या जैसे डिफाल्टर थे वो लोन लेकर भाग गये। मैं इस सदन में आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे डिफाल्टर को लोन किसने दिया? क्या यह हमारी बी.जे.पी. की सरकार ने दिया? यह आपकी केन्द्र सरकार ने दिया है और मैं आपको तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस राज में उस समय लोन लेने के दो तरीके होते थे। पहला तरीका कामन प्रोसीजर का होता था, जिसमें आम आदमी को दस से पन्द्रह लाख के करीब का लोन दिया जाता था, उसमें सारी कागजी कार्यवाही पूरी

(श्री अविनाश)

करनी पड़ती थी। दूसरा तरीका होता था कांग्रेसी प्रोसीजर का जिसमें कांग्रेस कार्यालय से एक फोन जाता और ऐसे डिफाल्टरों को एक फोन पर लाखों-करोड़ों रुपये का लोन दे दिया जाता। जब ऐसे डिफाल्टर लोन को चुका नहीं पाते, सरेण्डर कर देते, उसी लोन को चुकाने के लिए उसको दोबारा लोन दे दिया जाता, फिर उस लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन दे दिया जाता। इस तरीके की व्यवस्था अगर कहीं हुई है तो आपकी केन्द्र की सरकार में हुई है।

मैं जिस जैतारण विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आया हूं वहां सीमेंट के लगभग चार उत्तरी भारत के बड़े-बड़े प्लांट लगे हुए हैं। मेरे क्षेत्र में निरमैक्स सीमेंट का प्लांट है, अंबुजा का प्लांट है, श्री सीमेंट और बांगड़ सीमेंट, यह चार बड़े-बड़े प्लांट हैं। जैसे अभी मुण्डावर से आये मेरे साथी माननीय विधायक महोदय मंजीत धर्मपाल चौधरी जी ने कहा कि मेरे वहां स्थानीय व्यक्तियों को सीमेंट प्लांट के अन्दर रोजगार नहीं मिल रहा है। यह रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आपके माध्यम से सदन को, इस सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करें क्योंकि संसाधन पूरे हमारे हैं और इन संसाधनों पर कब्जा भी हमारा है लेकिन इन फैक्ट्रियों की तानाशाही के कारण हमारे स्थानीय भाइयों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

मैं सीमेंट की फैक्ट्रियों के बारे में बता दूं, इन लोगों द्वारा अवैध तरीके से जल दोहन का कार्य भी किया जा रहा है और उस अवैध जल दोहन के कारण इन्होंने कई सारी पाइप लाइनें उस क्षेत्र में बिछा दीं जिसके कारण हमारे आसपास के क्षेत्र में कुओं का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। उसका खामियाजा हमारे क्षेत्र के गरीब किसान को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर भी ऐसी कोई व्यवस्था करें ताकि स्थानीय व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, जो आपने अपने मेनिफेस्टो में लिया है, उसके ऊपर भी आपका फोकस हो। हमारे वहां जो सीमेंट के प्लांट हैं लगभग 40-40, 50-50, 60-60 टन के बड़े-बड़े ट्रोलर वहां से निकलते हैं और वहां की सारी सड़कें तोड़कर उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। सड़कें आम किसानों के आने जाने के लिए नहीं है, सड़कों की स्थिति बहुत बुरी हो गयी है।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में अभी तक 3200 किसानों के टोकन मूंग खरीद के लिए पड़े हैं, पिछली आठ तारीख को

(श्री अविनाश)

सरकार ने मूंग खरीद पर पाबंदी लगा दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मूंग खरीद को तुरन्त रूप से चालू कराया जाए। जो वास्तविक रूप से किसान वर्ग के हैं, उनके मूंग खरीद के टोकन अभी लिये हुए पड़े हैं, उनके मूंग घर के अन्दर पड़ा हुआ है, अगर सरकार उसको खरीद लेगी तो किसान के घर में पैसा भी आ जायेगा।

मैं आपसे एक और अपील करना चाहता हूं कि आपने अपने मेनिफेस्टों में बहुत सी ऐसी बातें की हैं। मैं चाह रहा था कि मैं एक नम्बर से इस मेनिफेस्टों को शुरू करूं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने राज्यपाल के अभिभाषण की वो प्रति देखी तो उसमें एक नम्बर का तो सिम्बल ही गायब है, उसमें एक नम्बर है ही नहीं, उसमें दो नम्बर से शुरू हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो, कोई बात नहीं, अपन सबसे पीछे से शुरू करते हैं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं इस विधान सभा में पहली बार जीतकर आया हूं और मुझे पहली बार आपके समक्ष बोलने का मौका मिल रहा है तो मुझे दो मिनट का वक्त और दिया जाए ताकि मैं मेरे क्षेत्र की जनता की बात आप लोगों के बीच कर सकूं। किसान कर्ज माफी की घोषणा हमारी सरकार के मुखिया जी ने दस दिन में करने की कही लेकिन आज एक महीना और एक सप्ताह होने को है लेकिन इसके ऊपर अभी तक प्रभावी रूप से कोई तारीख निश्चित नहीं की कि इतनी तारीख को हम लोग यह घोषणा कर देंगे।

अभी मेरे क्षेत्र में, 17 नम्बर पर जो आपने कहा है कि कमजोर मानसून स्थिति का आकलन करके आप लोगों ने जो यह पाइंट आउट किया है, मेरे एक मित्र ने अभी कहा था कि आप लोगों ने अकाल की स्थिति को भांप लिया और उसी के लिए आपने इसको पाइंट आउट किया है क्योंकि कांग्रेस और अकाल का चोली दामन का साथ रहा है। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी ऐसे के ऐसे हालात थे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पेंशन और वृद्धावस्था की जो आपकी सरकार के जाते-जाते चालू की, हमने उसको बंद नहीं किया और यह हमारी सरकार ने किया है।

इसी तरीके से आपने जो पुन: स्कूल खोलने का वादा किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसे स्कूलों को पुन: खोल दिया जायेगा जिनमें मात्र दस से लेकर पन्द्रह स्टूडेंट रहते थे? ऐसी स्कूलों को खोलने से क्या

(श्री अविनाश)

फायदा? अच्छा तो यह होता कि आपने यह कहा होता कि जो स्कूलें अभी चल रही हैं, उनमें जो टीचर्स की कमी है उनको हम लगाएंगे, जहां व्याख्याता की कमी है वहां लगाएंगे, तब आपका यह कहना सार्थक होता।

मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर मेरी ओर से पार्टी ने जो मुझे मौका दिया है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और एक मिनट में मेरी बात को खतम करूंगा।

सड़क तंत्र, ग्रामीण गौरव पथ के बारे में भी माननीय सदस्यों ने कुछ कहा था। यह ग्रामीण गौरव पथ हमारी सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, लगभग 50 लाख, लगभग 60 लाख की लागत से एक गौरव पथ बनता है। यह गौरव पथ बनना राजस्थान के इतिहास में पहला ऐतिहासिक कार्य हुआ है जहां गांव की गरीब जनता, गांव की जो गरीब महिला अपना लहंगा ऊपर करके निकलती थी कीचड़ के अन्दर तब हमारी आंखें शर्म से झुक जाती थी लेकिन आज यह जो सीसी रोड बनीं ग्रामीण गौरव पथ के माध्यम से, आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है क्योंकि वहां पानी भराव का जो क्षेत्र थ, वो कम हो गया।

एक बात और मैं नगरपालिका क्षेत्र की कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अविनाश (जैतारण): अंतिम 30 सैकिण्ड में मैं मेरी बात को खतम करूंगा, अंतिम 30 सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद। प्लीज, प्लीज।

श्री अविनाश (जैतारण): नगरपालिका क्षेत्र में डूब क्षेत्र में भी हमारे नगरपालिका द्वारा पट्टे दे दिये गये हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका क्षेत्र जैतारण में जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है तब से लेकर आज दिन तक आपने जितने भी पट्टे जारी किये हैं, चाहे वो एकल पट्टे हों, चाहे स्टेट ग्रांट के पट्टे हों, चाहे डूब क्षेत्र में जो पट्टे हों, उनकी सम्पूर्ण रूप से जांच करें ताकि आपके सामने पूरी वस्तुस्थिति आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री रामप्रसाद।

श्री अविनाश (जैतारण): बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था लेकिन समय के अभाव को देखते हुए मैं मेरी बात को खतम करता हूं। एक बार पुन: पार्टी का और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): रामप्रसाद जी, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची की समाप्ति तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: आज के अंतिम वक्ता की...

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आज के अंतिम वक्ता के वक्तव्य तक बढ़ाया जाए।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: रामप्रसाद जी, बोलें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य महानुभाव, आज हमें सदन में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए अध्यक्ष महोदय का लाख-लाख जोहार। इस अनुसूचित क्षेत्र से आया हूं जो आदिवासी बहुल इलाका है। 70 साल बाद भी आदिवासियों की हालत गांवों में बहुत नाजुक है और खास तौर से हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में एक शब्द भी नहीं बोला है, गम्भीर बात है।

भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार जिसने आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार और आदिवासियों का दमन किया, वहां पर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर इन्होंने यह जो सफेद फेंटा ऊपर देखते थे उसको भी अन्दर बंद करते थे और हमारे लोगों को जबरदस्ती बंद किया, मीटिंग वगैरह करने से रोका, साथ में इन्होंने आसपुर के अन्दर तलवारें चलायीं और हाथ-पैर काटे। वहां पर इतनी गुंडागर्दी दिखायी जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। साथ ही कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार हो गयी क्योंकि वो विपक्ष में भी और हमारे आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ कुछ बोली नहीं।

इस मौके पर सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्ज माफी का

(श्री रामप्रसाद)

सरकार द्वारा किया गया उसमें जिस तरह से घोटाले उजागर हुए, उसमें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्यवाही होगी, ऐसा मानता हूं लेकिन इसके दौरान हमने देखा है कि वास्तव में जो कर्जे लेते हैं वो तो कोई न कोई सक्षम होते हैं या अपनी पहुंच वाला होता है।

लेकिन गांव के अंदर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बहुसंख्यक हैं, जिनकी कोई पहुंच नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने जेवर और जमीन गिरवी रखकर के, 10-15 परसेंट की दर से कर्जा लिया है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कर्जा माफी की योजना है, उसको बढ़ाकर ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे आदिवासी इलाके में, ग्रामीण इलाकों में, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। इस माही कैनाल को शुरू किए हुए आज 20 साल हो गए हैं लेकिन आज तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। हम जानना चाहते हैं कि यह माही कैनाल का पानी कब तक टेल पर पहुंचेगा? साथ ही अलग-अलग गांवों में लिफ्ट के द्वारा, कडाणा डैम पास में बना हुआ है, सौर ऊर्जा के द्वारा पानी लिफ्ट करके पानी उपलब्ध कराया जाए। पीने के पानी की समस्या जो गांवों में बनी हुई है, वहां पर फिल्टर प्लांट लगाकर हर राजस्व गांव में पानी उपलब्ध कराया जाए, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आज हमारे इलाके में जो प्राथमिक शिक्षा है उसका स्तर बहुत नीचा है। गांवों में जो स्कूल हैं, उनके अंदर जो बच्चे होते हैं, उनके लिए केवल एक या दो अध्यापक होते हैं। उनको 5 क्लासेज संभालनी पड़ती है। यदि वास्तव में सरकार की मंशा है कि गांवों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए तो निश्चित रूप से एक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 5 से 6 अध्यापक होने चाहिए। एक अध्यापक यदि छुट्टी पर हो, आगे-पीछे हो तो उसको रिलीव कर सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि गांवों की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनके अंदर पूरे स्टाफ की व्यवस्था की जाए। प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों पर जो सरकार का अतिरिक्त वज़न है इसको भी डाइवर्ट करके कम किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। समाप्त करें। समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): मेरा तो बोलने का रह गया।

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी का जितना समय है उससे बहुत ज्यादा दे दिया। कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में जो पांचवीं अनुसूची है वह खास तौर से आदिवासियों के कल्याण और उन्नति के लिए उस इलाके में लागू है। लेकिन यह पूरी तरह से लागू नहीं है। उसमें जो जजमेंट जिसमें रामकृपाल बनाम बिहार सरकार, जिसके अंदर यह है कि आदिवासी इलाके में, शिड्यूल्ड एरिये में सीआरपीसी, आईपीसी लागू नहीं होती है। लेकिन यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वह 69 में हुआ था, लेकिन पूरी तरह से आज तक लागू नहीं हुआ। शिड्यूल्ड एरिये में समता बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, जिसमें 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि न तो केन्द्र सरकार, न राज्य सरकार और न ही नोन-ट्राइबल की एक इंच जमीन है, उस इलाके में। यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वह आज तक लागू नहीं हुआ। जोधपुर हाई कोर्ट में 2013 में जो खारिज हुआ, नौकरियों का, वह उसी समता जजमेंट को आधार मानकर खारिज किया गया। मैं खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, पी. रामारेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, जिसके अंदर आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित और रूपांतरित नहीं हो सकती है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हुए हैं इनको आज तक लागू नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही वेदान्ता जजमेंट जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आदिवासियों की रूढ़िगत जो परम्पराएं हैं, उसकी जो व्यवस्था है, उसको विधि का बल प्राप्त है। आज तक इसको ग्रामीण इलाकों में लागू नहीं करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवमानना की है। साथ में ही अनुच्छेद 13 (3)(क) जिसके अंदर आदिवासियों की रूढ़िगत परम्परा है उसको विधि का बल प्राप्त है। यह जो खासतौर से जो हमारे शिड्यूल्ड एरिये की मांग थी, वह हमारी पूरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): जिस तरह से राजनीति में 100 प्रतिशत आरक्षण है, वैसा ही नौकरियों में भी हमें पांचवीं अनुसूची की भावना के अनुरूप दिया जाए। यही बात कहकर के मैं अपनी बात खतम करता हूं। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय जवाहर सलाम, जय भारत। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री छगनसिंह जी।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में पहली बार बोलने का आपने जो मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद। विधान

(श्री छगनसिंह)

सभा में पहली बार बोलने का मौका मिला है। मैं अपने आहोरवासियों को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। 36 कौम की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिक्कत है। बहुत ही अड़चन है। यह अभिभाषण मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। यहां पर दो-दो तरह की बातें होती हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शिक्षा को बढ़ावा देंगे। दूसरी तरफ आज पंचायती राज में शिक्षा खतम कर रहे हैं। यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने अभिभाषण में कहा है कि 'शिक्षा के द्वारा ही पूरे प्रदेश का विकास हो सकता है'। सबका विकास हो सकता है। आपने पंचायती राज में शिक्षा खतम क्यों की?

अगर आपको लोक सभा चुनावों में, सांसद से, शिक्षा में दिक्कत थी, विधायक से दिक्कत थी तो उनके भी शिक्षा लागू कर सकते थे। शिक्षा का यह जो पैरा खतम किया है, यह मुझे और मेरे हिसाब से पूरे राजस्थानवासियों को पसंद नहीं आएगा। जिसको भी चुनाव लड़ना था, जिनको 2013 के चुनाव में कुछ कठिनाई आई थी, लेकिन 2018 तक जो भी जनता चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको जो कक्षा पढ़नी थी वह पढ़ लेते। अगर वह इतना भी नहीं कर पाए, अगर 2013 से 2018 तक तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं है। अगर जनता के बीच में अपनी बातें रखनी हैं तो थोड़ा-बहुत पढ़ना तो आना ही चाहिए। जहां तक मेरी सोच है उनके पास चैक साइन के भी पावर होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए उन्होंने कहा कि बिजली बिल 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया बात की, लेकिन जब मैं क्षेत्र में गया शनिवार और रविवार को, छुट्टी थी यहां पर, तो पूरी जनता वहां पर आई, उन्होंने कहा कि यह क्या हुआ? मैंने कहा कि क्या हुआ, कि पहले तो किसानों को दिन में बिजली देते थे, अब रात में दे रहे हैं। रात में भी काट-काट कर दे रहे हैं। आधा घंटा कम कर रहे हैं और इससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। आप यही चाहते हैं कि किसान परेशान हो, किसान दुःखी हो, यह आपका एजेंडा है। किसानों को परेशान करना ही एजेंडा है। अभिभाषण में तो अलग बात है और धरातल पर दूसरी बात है। धरातल पर लोग परेशान हो रहे हैं। किसान परेशान हो रहे हैं।

(श्री छगनसिंह)

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात, आप कह रहे हैं पैरा नंबर 82 में कि 'भय और आतंक को समाप्त करेंगे'। जैसलमेर जिले की एक घटना है, 7 दिसम्बर को हुई थी। एक व्यक्ति जगताराम सुथार की हत्या हुई। अभी तक खुलेआम वह हत्यारे घूम रहे हैं। नामजद एफआईआर दर्ज है। वह आला मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं। वह खुले में देखे भी जा सकते हैं। अभी तक पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा है? ऐसा क्यों?

अध्यक्ष महोदय, पेयजल की बात कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल की बात तो की है लेकिन क्या आप घर-घर तक पानी पहुंचाएंगे? यह आपके एजेंडे में है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? पूरे जिले में अकाल पडा था और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भाद्राजून, उप तहसील को, पूरे के पूरे क्षेत्र को छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों है? आपसे यह गुजारिश है कि आप सरकार को आदेशित करें कि इसकी जांच हो और उस एरिये को भी अकाल में सम्मिलित करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरगढ़ खेड़ा बांध से वहां पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था होती है। उसको बनाने के लिए मैंने दो बार वहां से बात भी की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उस बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए जिससे वहां के जनवासी पूरी तरह से उस पानी से जीवन यापन कर सके, सिंचाई कर सके, ऐसी मैं गुजारिश करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी पार्टी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2019 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.41 बजे बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

खानपुर में कृषि कनेक्शन के लिए देय राशि

13. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कृषि कनेक्शन में पोल खड़े करने व तार खींचने की राशि विभाग द्वारा दी जाती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र खानपुर में किसानों के कृषि कनेक्शन की राशि कितनी-कितनी किस-किस ठेकेदार को दी गयी? किसानों का नाम व ठेकेदार के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर में किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किये जाने हेतु ठेकेदारों एवं किसानों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। उक्त कार्यों के कार्यादेश दिनांक 31.10.2018 से दिनांक 16.01.2019 के मध्य ही जारी किये गये हैं। कार्यादेश के पश्चात् ही कार्य होने पर भुगतान किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कडाना बैकवाटर पाइप लाइन गैजी घाटा डूंगरपुर लाने की योजना

23. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में कडाना बैक वाटर का पानी पाइप लाइन से गैजी घाटा डूंगरपुर तक लाने की क्या योजना है? उक्त परियोजना सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

डूंगरपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पंचायत समिति, सीमलवाड़ा, चिखली एवं झौंथरी सम्मिलित हैं।

पंचायत समिति, झौंथरी के ग्राम विकास नगर की ढाणी गैजी घाटा सहित सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र हेतु गुजरात राज्य स्थित कडाणा बांध के बैकवाटर से कोई पेयजल योजना बनाया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

नागौर शहर में सीवर लाइन डालने की योजना

24. श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर शहर में सरकार द्वारा किसी शहरी योजना के अंतर्गत पानी की पाइप लाइन डालने व सीवर लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है? यदि हां, तो उक्त कार्यों के कब-कब आदेश हुए व उक्त कार्यों की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य निर्धारित गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना किया जा रहा है साथ ही तय समय सीमा से ज्यादा समय इस कार्य में लगाया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य में गुणवत्ता की कमी में व तय समय सीमा से ज्यादा समय लगाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी/फर्म व

(श्री हनुमान बैनिवाल)

मोनिटरिंग कर रहे जिम्मेदार अधिकारियों की भी है? यदि हां, तो सरकार ने संबंधित कार्यकारी कंपनी के विरुद्ध कब-कब कितना जुर्माना लगाया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्यों के लिए स्वीकृत व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर शहर में भारत सरकार द्वारा पोषित अमृत योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति का कार्य एवं सीवरेज कार्य चल रहे हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति का कार्यादेश दिनांक 30.06.2017 को फर्म मैसर्स लाहोटी बिल्डकान लिमिटेड, जयपुर को राशि रुपये 46.43 करोड़ का मय सात वर्ष रख रखाव एवं मरम्मत का कार्य दिया गया है। कार्य की समयावधि 02 वर्ष दिनांक 09.07.2019 तक निर्धारित है। योजनान्तर्गत 240 कि.मी. पानी की लाईन डालनी थी, अभी तक 116 कि.मी. लाइन डाली जा चुकी है। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

सीवरेज कार्य का कार्यादेश नगर परिषद, नागौर द्वारा फर्म मैसर्स वाईएफसी-जेडटीआई (जोईन्ट वेंचर) प्राईवेट लिमिटेड, गुरूग्राम, हरियाणा को दिनांक 17.04.2017 को राशि 71.94 करोड़ रुपये मय 10 वर्ष मरम्मत एवं रखरखाव का दिया गया है। कार्य की अवधि 02 वर्ष दिनांक 16.04.2019 तक निर्धारित है। योजनान्तर्गत कार्य के अन्तर्गत मुख्यत: तीन घटक हैं :- (1) 2 एमएलडी एसटीपी तथा उससे संबंधित 34 कि.मी. सीवर नैटवर्क जिस पर माननीय न्यायालय आरएए, नागौर का अन्तरिम स्थगन आदेश होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। (2) 1.5 एमएलडी एसटीपी तथा उससे संबंधित 11.50 कि.मी. सीवर नैटवर्क है। जिस पर अभी तक एसटीपी का 40 प्रतिशत सिविल कार्य एवं 03 कि.मी. सीवर लाइन डाली जा चुकी है। (3) आरयूआईडीपी द्वारा पूर्व निर्मित 8 एमएलडी एसटीपी से संबंधित 33 कि.मी. सीवर लाइन नैटवर्क जिस पर अभी तक 30 कि.मी. सीवर लाइन डाली जा चुकी है। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। पेयजल आपूर्ति कार्य निर्धारित समय सीमा दो वर्ष में ही चल रहा है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सीवरेज कार्य में निर्धारित समय से अधिक समय लगने की संभावना है, क्योंकि 2 एएलडी एसटीपी की भूमि कोर्ट स्टे के कारण उपलब्ध नहीं है। जिससे इस एसटीपी एवं 34 कि.मी. सीवर लाइन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। प्रारम्भ में उक्त एसटीपी की भूमि बीएसएफ कैम्पस के पास चिन्हित थी, परन्तु बीएसएफ की आपत्ति के कारण इसको बदलकर डूडीवास गांव में 6.04 बीघा भूमि जिला कलेक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 02.11.2017 के द्वारा नगर परिषद को आबंटित की गई। परन्तु इस पर आरएए कोर्ट नागौर द्वारा दिनांक 29.11.2017 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। इस कारण से सीवरेज कार्य बाधित है। आगामी पेशी दिनांक 10.02.2019 को है। स्थगन आदेश वैकेट होने के पश्चात ही एसटीपी का कार्य चालू किया जावेगा।

(3) पेयजल आपूर्ति कार्य में कम्पनी द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण रुपये 1.47 लाख की शास्ति आरोपित की गई है।

सीवरेज का कार्य निर्धारित गुणवत्ता से ही कराया जा रहा है। वर्तमान में 1.5 एमएलडी एसटीपी का कार्य प्रगति पर है तथा उपलब्ध 44.50 कि.मी. सीवर लाइन में से 33 कि.मी. सीवर लाइन डाली जा चुकी है। बिन्दु संख्या 01 में विदित कारणों से सीवरेज कार्य बाधित रहा है तथापि फर्म पर अन्तरिम शास्ति राशि रुपये 30 लाख लगायी जा चुकी है।

(4) पेयजल आपूर्ति कार्य में स्वीकृत राशि रुपये 46.43 करोड़ है तथा अब तक कुल व्यय राशि 11.95 करोड़ रुपये का किया गया है।

सीवरेज कार्य के अन्तर्गत कार्यादेश राशि रुपये 71.94 करोड़ (निर्माण मय 10 वर्ष रखरखाव) में निर्माण हेतु स्वीकृत राशि 62.18 करोड़ में से राशि रुपये 9.56 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मंगलाना नागौर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

25. **श्री रामनिवास गावड़िया** (परबतसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर के मंगलाना में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त औद्योगिक क्षेत्र हेतु कितनी भूमि निर्धारित है तथा नये औद्योगिक क्षेत्र की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनिवास गावड़िया)

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता व उपेक्षा के कारण मंगलाना में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कार्य योजना अभी मूर्तरूप नहीं ले पायी है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में मंगलाना में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु समुचित राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है एवं न ही निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति का निर्णय लिया गया है यद्यपि किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाई वे पर औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से उपयुक्त निजी भूमि चिन्हित की जा रही है। स्थल चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत सक्षम स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया जाएगा।

बाड़मेर जिले के अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य

26. श्री अमीन खां (शिव): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर की कौन-कौनसी तहसीलों में कई वर्षो से निरन्तर कितने ग्राम अकाल ग्रस्त हैं? ग्रामों की तहसील वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निरन्तर 3 वर्षो से अधिक अकाल ग्रस्त गावों को विशेष रूप से राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं तो क्यों?

(3) उक्त जिले में राहत कार्य कब से प्रारम्भ कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर प्राय: अकाल से प्रभावित रहा है। खरीफ फसल संवत् 2075 में तहसीलवार गम्भीर सूखाग्रस्त ग्रामों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	तहसील	संवत् 2075 में गम्भीर सूखाग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1	बाड़मेर	360
2	रामसर	183

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

क्र. सं.	**तहसील**	**संवत् 2075 में गम्भीर सूखाग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या**
3	बायतू	186
4	गिडा	165
5	शिव	117
6	गडरारोड	165
7	चौहटन	262
8	सेड़वा	211
9	गुढामालानी	211
10	धोरीमन्ना	208
11	सिणधरी	206
12	सिवाना	69
13	समदड़ी	58
14	पचपदरा	293
कुल		**2694**

इसके अतिरिक्त अभाव संवत् 2075 के अन्तर्गत 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक परन्तु 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा से प्रभावित तहसील शिव के 37, तहसील सेड़वा के 05, तहसील सिवाना के 01 एवं तहसील समदड़ी के 04 राजस्व ग्रामों को मध्यम सूखाग्रस्त भी घोषित किया गया है।

खरीफ फसल संवत् 2075 में अभावग्रस्त ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्राकृतिक आपदा से फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर भारत सरकार के एसडीआरएफ नोर्म्स एवं बजट उपलब्धता अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जाता है। विशेष राहत देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) खरीफ फसल 2018 (संवत् 2075) में प्रभावित काश्तकारों की बोयी गयी फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर राज्य के 9 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। प्रभावित पात्र काश्तकारों को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कृषि आदान अनुदान बजट उपलब्धता अनुसार

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

प्राथमिकता निर्धारित कर भुगतान करने के लिए जिला कलक्टरों को अधिकृत किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में यूरिया किल्लत दूर करने की कार्ययोजना

27. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में वर्तमान में यूरिया किल्लत का सरकार द्वारा क्या समाधान किया जा रहा है? विगत 3 माह में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से कितना यूरिया आबंटन की मांग की गई और केन्द्र सरकार द्वारा कितना यूरिया आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के विभिन्न जिलों में यूरिया की मांग पर लगातार गहन निगरानी रखी जा रही है तथा मांग अनुसार निजी एवं सहकारी दोनों ही क्षेत्रों के माध्यम से किसानों में लगातार यूरिया की उपलब्धता कराई जा रही है। साथ ही यूरिया आपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से सतत सम्पर्क स्थापित कर मांग अनुसार यूरिया आपूर्ति करवाई जाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु समय-समय पर मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार तथा अन्य उच्चतर विभागीय अधिकारियों द्वारा भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से प्रभावी सम्पर्क किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों से किये गये पत्र व्यवहार तथा भारत सरकार में व्यक्तिश: सम्पर्क कर सक्षम अधिकारियों से निरन्तर किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्य द्वारा चालू रबी सीजन के माह अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 तक की भारत सरकार को प्रेषित मांग 7 लाख 70 हजार मै.टन यूरिया के विरुद्ध 7 लाख 64 हजार मै.टन यूरिया का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध विभिन्न उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 7 लाख 42 हजार मै.टन यूरिया की आपूर्ति की गई।

माह जनवरी 2019 हेतु 2 लाख 50 हजार मै.टन यूरिया की मांग के विरुद्ध 2 लाख 80 हजार मै.टन यूरिया का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध दिनांक 17.01.2019 तक विभिन्न उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 1 लाख 84 हजार मै.टन यूरिया की आपूर्ति की गई है तथा आपूर्ति निरन्तर जारी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान

28. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितनी पंजीकृत गौशाला हैं तथा वर्तमान में गौशाला में किस-किस पशु पर कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गौशालाओं को वर्तमान में दिये जा रहे अनुदान को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 2673 पंजीकृत गौशालाएं हैं।

राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 के अन्तर्गत 200 या अधिक गौवंश संधारित करने वाली तथा दो वर्ष या अधिक अवधि से पंजीकृत गौशालाओं/कांजी हाउस में आवासित गौवंश के पालन पोषण, चारा-पानी एवं पशुआहार के लिए बड़े गौवंश हेतु 32 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 16 रुपये प्रतिदिन, प्रति गौवंश की दर से 6 माह (180 दिन) तक सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

(2) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सूचना सहायकों की पदोन्नति

11. श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सूचना सहायकों की वर्ष 2018-19 की विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक आयोजित की गयी है? यदि हां, तो कब नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डी.पी.सी. की बैठक में कुल कितने सूचना सहायकों की पदोन्नति की जानी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डी.पी.सी. को अब तक लम्बित रखे जाने के क्या कारण हैं? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सूचना सहायकों की डी.पी.सी. कब तक करके पदोन्नति का लाभ देकर नवीन पदस्थापन कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना सहायकों की वर्ष 2018-19 की विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक दिनांक 21.12.2018 को आयोजित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न - अनुलग्नक-1)

(2) उक्त डी.पी.सी. बैठक में कुल 757 (अनुसूचित क्षेत्र-66 एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र-691) सूचना सहायकों की पदोन्नति की गयी है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान में प्रकरण S.B. Civil Writ No. 10815/2018 मे दिनांक 26.07.2018 से दिनांक 17.12.2018 तक स्थगन प्रभावी होने के कारण डी.पी.सी. आयोजित नहीं की जा सकी। (प्रति संलग्न - अनुलग्नक-2)

(4) विभाग द्वारा दिनांक 21.12.2018 को विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक आयोजित की जा चुकी है। पात्र सूचना सहायकों के पदोन्नति/पदस्थापन आदेश प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I व ग्रेड II एवं कनिष्ठ लेखाकारों की ग्रेड पे में परिवर्तन

12. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त पदों में से कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में सीकर जिले में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं? कितने पदों पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के कार्मिक लगे हुए हैं? कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संवर्ग की वर्तमान ग्रेड पे में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में प्रदेश में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के 2174, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के 3491 एवं कनिष्ठ लेखाकार के 5249 पद स्वीकृत हैं जिसमें से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के 403, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के 1221 एवं कनिष्ठ लेखाकार के 1616 पद रिक्त हैं।

(2) वर्तमान में सीकर जिले में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय का 01 पद खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री माधोपुर एवं 01 पद खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कूदन में (कुल 02 पद) रिक्त हैं।

वर्ष 2018-19 की डीपीसी के पश्चात सक्षम अनुमोदन उपरान्त सीकर जिले में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के 21 पदों को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम में अस्थाई रूप से क्रमोन्नत कर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम को इन पदों पर पदस्थापित रखा गया है। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वित्त विभाग में सक्षम स्तर पर विवेचन उपरान्त ग्रेड पे में परिवर्तन को औचित्यपूर्ण नहीं माना गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चाइल्ड केयर लीव प्राप्त करने के नियम

13. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कार्मिकों/अधिकारियों को दी जाने वाली चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने का अधिकार किसके पास है तथा इसके क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.1 (6) वित्त/नियम/2011 दिनांक 22.05.2018 (अनुलग्नक-अ) के द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 1951 में नियम 103 सी सम्मिलित कर महिला राज्य कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

महिला कर्मचारी को अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किये जाने के प्रावधान हैं। राजस्थान सेवा नियम, 1951 वोल्यूम-II के परिशिष्ट-IX (अनुलग्नक ब) में 4 माह (120 दिवस) तक का अवकाश स्वीकृत करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष सक्षम है। अतः महिला कर्मचारी को 120 दिवस तक का चाइल्ड केयर लीव संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। यदि नियम 103 C (2)(ii) के अन्तर्गत चाइल्ड केयर लीव के साथ महिला कर्मचारी द्वारा अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया जाता है तो अवकाश अवधि 120 दिवस से अधिक होने के कारण ऐसा अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाएगा (अनुलग्नक-स)।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायतों के रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कार्य

14. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्तमान में झालावाड़ जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार गारण्टी योजना के तहत कार्य स्वीकृत हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में क्या-क्या कार्य कराये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। झालावाड़ जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतवार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कराए जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में मनरेगा योजना में श्रमिकों का कार्य

15. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कुल कितने राजस्व गांव हैं? मनरेगा में प्रत्येक गांव में कितने जाब रजिस्टर्ड हैं? इनमें से 1 जनवरी, 2019 तक कितने दिवस का रोजगार श्रमिकों को उपलब्ध करवाया गया? श्रमिकवार, ग्रामवार वर्ष 2018-19 की 1 जनवरी, 2019 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने श्रमिकों ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं? क्या 100 दिन पूरे कर चुके श्रमिकों को फरवरी एवं मार्च 2019 में मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कुल 158 राजस्व गांव हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सिरोही में 01 जनवरी, 2019 तक कुल 58994 जाब कार्ड रजिस्टर्ड हैं। 01 जनवरी, 2019 तक 929295 मानव दिवसों का सृजन कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।

श्रमिकवार (परिशिष्ट-अ), ग्रामवार (परिशिष्ट-ब) वर्ष 2018-19 जनवरी तक का विवरण संलग्न है।

(2) सिरोही विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक 506 परिवारों ने 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किया है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानानुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे एक परिवार को अधिकतम 100 दिवस का रोजगार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ की ग्रामीण गौरव पथ में वंचित ग्राम पंचायतें

16. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्रामीण गौरव पथ बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में किन-किन ग्राम पंचायतों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया है तथा कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें वंचित रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीण गौरव पथ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण गौरव पथ बनाने के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कुल 56 ग्राम पंचायत हैं। जिनमें से 48 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण गौरव पथ से तथा शेष 8 को ग्रामीण गौरव पथ के विरुद्ध मिसिंग लिंक सड़क से लाभान्वित किया जा चुका है। जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। किसी ग्राम पंचायत में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण सम्भव नहीं हो तो उसके स्थान पर मिसिंग लिंक के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों को ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक के कार्यों द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डांग क्षेत्रों में सड़क मरम्मत के कार्य

17. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के डांग क्षेत्रों में सड़क मार्ग काफी जर्जर स्थिति में हैं? यदि हां, क्या तो सरकार उक्त क्षेत्रों में सड़क मार्गों की मरम्मत कार्य करवाये जाने का विचार रखती है? तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के डांग क्षेत्र में सड़कों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के डांग क्षेत्र में कुछ सड़क मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिनके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के अनुसार कार्यों को स्वीकृत करने का यथासम्भव प्रयास किया जाएगा।

शिव तहसील के ग्रामों को लिफ्ट कैनाल पेयजल स्कीम से जोड़े जाने की योजना

18. श्री अमीन खां (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इन्दिरा गांधी नहर की लिफ्ट कैनाल मोहनगढ़ से बाड़मेर जिले की तहसील शिव के कितने गांवों को पेयजल की स्कीम से जोड़े जाने का प्रस्ताव है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में ग्राम भीभड़ा लक्ष्मीपुर व कालीजाल सम्मिलित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर आधारित मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल परियोजना से बाड़मेर जिले के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 286 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु बाड़मेर लिफ्ट वृहत् पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण के भाग-स (के.के.डी.-शिव-भाड़खा-बाड़मेर) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रुपये 700.00 करोड़ की तथा तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी समिति की 591वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 द्वारा राशि रुपये 583.87 करोड़ की जारी की गयी थी।

परियोजना के कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 24.01.2017 को राशि रुपये 595.33 करोड़ का कार्यादेश मैसर्स वीपीआरपीएल-वाबाग जेवी, जोधपुर को जारी किया जाकर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

उक्त स्वीकृत परियोजना में बाड़मेर जिले की तहसील शिव के 132 ग्रामों सहित तहसील बाड़मेर के 121 ग्राम, रामसर के 30 ग्राम एवं बायतू के 03 ग्राम भी सम्मिलित हैं। तहसील शिव के ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। उक्त स्वीकृत परियोजना में तहसील शिव के वर्णित तीन ग्राम क्रमश: भीभड़ा, लक्ष्मीपुरा एवं कालीजाल सम्मिलित हैं। ग्राम भीभड़ा एवं लक्ष्मीपुरा को मण्डालिया क्लस्टर अंतर्गत ग्राम मण्डालिया में निर्मित किये जाने वाले उच्च जलाशय (जल भण्डारण क्षमता-400 किलोलीटर) से तथा ग्राम कालीजाल को नेगरडा क्लस्टर अंतर्गत ग्राम नेगरडा में निर्मित किये जाने वाले उच्च जलाशय (जल भण्डारण क्षमता-400 किलोलीटर) से जोड़ा जाकर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले को डार्कजोन से हटाने की कार्ययोजना

19. श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2008 से 2013 तक नागौर जिले सहित प्रदेश में डार्क-जोन को हटाने व इसकी समीक्षा के लिये री-सर्वे के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त आदेशों के सन्दर्भ में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में डार्क-जोन हटाने को लेकर सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सम्पूर्ण राज्य में वर्ष भर में दो बार मानसून से पूर्व व मानसून के पश्चात भूजल सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें जिलेवार आधारभूत कुएं/पीजोमीटर का जल स्तर मापा जाता है। प्रदेश में किसी भी क्षेत्र के श्रेणी निर्धारण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा गठित भूजल आकलन समिति की मार्ग निर्देशिका 1997 के अनुसार किया जाता है।

वर्तमान में डार्क-जोन शब्दावली में नहीं है। 1997 से पूर्व क्षेत्रों को वाइट, ग्रे एवं डार्क जोन में वर्गीकृत किया जाता था, जिसके तहत 85 से 100 प्रतिशत भू जल विकास दर वाले क्षेत्र को डार्क-जोन (वर्तमान में अतिदोहित श्रेणी) कहा जाता था।

(2) वर्तमान में भू-जल आंकलन समिति 2015 की नवीन गाइड लाइन के अनुसार भू-जल आंकलन रिपोर्ट 2017 तैयार कर लिया गया है। इसमें नवीन आंकड़ों (भू-जल स्तर सहित) एवं पंचायत समितिवार भू-जल

(भू-जल मंत्री)

विकास दर के आधार पर विभिन्न श्रेणियों का पुन: वर्गीकरण किया जा रहा हैं। प्रतिवेदन का राज्यस्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात, प्रतिवेदन जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात प्रतिवेदन जारी किया जा सकेगा।

प्रदेश में ग्राम न्यायालय खोले जाने की योजना

20. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को न्याय सुलभ मिल सके, इसके लिये ग्राम न्यायालय खोले गये हैं? यदि हां, तो प्रदेश में कितने न्यायालय खोले गये हैं? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु प्रदेश में 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग के हस्ताक्षर से अधिसूचना क्रमांक प.2(1)न्याय/2008 दिनांक 18.12.2009 जारी की गई। माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन हेतु अधिसूचना क्रमांक प.2(1)न्याय/2008 दिनांक 16.03.2010, अधिसूचना क्रमांक प.2(1) न्याय/2008 दिनांक 19.05.2010, अधिसूचना क्रमांक प.2(1)न्याय/2008 दिनांक 23.08.2010 एवं अधिसूचना क्रमांक प.2(1)न्याय/2008 दिनांक 11.07.2011 जारी की गई। जारी अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां प्रदर्श-1, प्रदर्श -2, प्रदर्श-3, प्रदर्श-4 एवं प्रदर्श-5 संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के विजयबाड़ी पथ से सड़क पर हो रहे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

21. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर शहर में सीकर रोड स्थित विजयबाड़ी पथ नं. 7

(डा. राजकुमार शर्मा)

(खेतान हास्पिटल चौराहे से भवानी निकेतन विवाह स्थल मोड़ तक) की मुख्य सड़क वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त है? यदि नहीं, तो कहां-कहां पर किस-किसका कितना-कितना अतिक्रमण है और उसके लिए नगर निगम के कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? अतिक्रमियों की नाम सहित सूची एवं उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण तथा अतिक्रमियों के जे.डी.ए. द्वारा दिये गये साइट प्लान व पट्टे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क पर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में विगत तीन वर्षों में किन-किन अतिक्रमियों का कितना-कितना अतिक्रमण कब-कब हटाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गत वर्षों में नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने की सिर्फ खानापूर्ति कागजों में की जाती रही है और अतिक्रमियों को प्रश्रय दिया जा रहा है जिसके कारण प्रतिदिन अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त वर्षों में अतिक्रमण हटाने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? यदि नहीं, तो फिर इतने वर्षों तक अतिक्रमण किस आधार पर विद्यमान है और क्यों होता जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मुख्य सड़क पर अतिक्रमियों द्वारा बालकनी एवं सीढ़ियां/रैम्प बनाये हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन ने कितने-कितने फीट पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सड़क पर बढ़ रहे यातायात को देखते हुए इसको सम्पूर्ण अतिक्रमण मुक्त करने तथा इसकी चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विजयबाड़ी सीकर रोड जयपुर के मुख्य मार्ग पर वर्ष 2014 में पी.टी. सर्वे करवाया जाकर सड़क सीमा में विद्यमान 55 भूखण्डधारियों के अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे, सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त चिन्हित अतिक्रमणों में से 35 भूखण्डधारियों से सम्बन्धित 06 योजनाओं का रिकार्ड मय मुख्य पत्रावलियों सहित नोटिफिकेशन दिनांक 06.04.17 एवं 01.05.17 के सन्दर्भ में जयपुर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नगर निगम को भिजवाया जा चुका है। जिसका विवरण परिशिष्ट "ब", "स" एवं "द" पर संलग्न है। 20 प्रकरणों में से 5 भूखण्डधारियों द्वारा अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाये जाने से शेष 15 प्रकरणों में वर्णित 04 योजनाओं के भूखण्डधारियों द्वारा किये गये अतिक्रमणों में से 10 भूखण्डधारियों के अतिक्रमण दिनांक 24.10.17 को हटाये जा चुके हैं। शेष 5 भूखण्डधारियों द्वारा माननीय न्यायालय जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण में अपील दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किए गए हैं। उपरोक्त प्रकरणों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। आगामी पेशी दिनांक 06.03.2019 निर्धारित है। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश निरस्त होने पर शेष रहे 5 भूखण्डधारियों के सड़क सीमा में विद्यमान अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसका विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाली योजनाओं के भूखण्डधारियों को जारी पट्टा विलेख व साइट प्लान की प्रतियां परिशिष्ट "र" पर संलग्न हैं।

(2) विगत तीन वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हटाये गये अतिक्रमणों का विवरण भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है। उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कोई नवीन अतिक्रमण नहीं है।

(3) नगर निगम, जयपुर द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त सड़क पर किये हुए अतिक्रमण जयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम, जयपुर को उक्त कालोनी स्थानान्तरण से पूर्व के ही हैं।

20 प्रकरणों में से 5 भूखण्डधारियों द्वारा अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाये जाने से शेष 15 प्रकरणों में वर्णित 04 योजनाओं के भूखण्डधारियों द्वारा किये गये अतिक्रमणों में से 10 भूखण्डधारियों के अतिक्रमण दिनांक 24.10.17 को हटाये जा चुके हैं। शेष 5 भूखण्डधारियों द्वारा माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। आगामी पेशी दिनांक 06.03.2019 निर्धारित है। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश निरस्त होने पर शेष रहे 5 भूखण्डधारियों के सड़क सीमा में विद्यमान अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाली योजनाओं में भूखण्डधारियों द्वारा भूखण्ड सीमा में किये गये अतिक्रमण का ब्यौरा परिशिष्ट "य" पर अंकित है।

(5) जी हां। शेष रहे अतिक्रमणों को माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त होने पर हटाने की कार्यवाही की जाकर योजना में स्वीकृत चौड़ाई अनुसार सड़क निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हस्तशिल्प उद्योगों हेतु संचालित योजनाएं

22. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से 2018 तक हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट), हथकरघा, हैण्डलूम उद्योगों को बढ़ावा एवं संवर्धन देने हेतु कौन-कौनसी योजनाओं को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है? उक्त योजनान्तर्गत कितने-कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाड़मेर की अजरक प्रिंट सहित अन्य हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014 से 2018 तक सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने एवं संवर्धन हेतु वर्तमान में निम्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है:-

हस्तशिल्प एवं हथकरघा से संबंधित योजनाएं

1- **चर्म प्रशिक्षण योजना**: परम्परागत चर्म शिल्पियों को आधुनिक तकनीक के अन्तर्गत 2 माह का नागराजूती, लैदर गुड्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 500 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेन्ड तथा प्रशिक्षण उपरान्त स्वरोजगार स्थापना हेतु 1000 रुपये तक के टूलकिट प्रदान किये जाते हैं।

2- **चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकरण योजना**: चर्म दस्तकारों को

(उद्योग मंत्री)

बैंक/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मशीनरी/शूलास्ट (फर्मे)/अन्य उपकरण क्रय करने हेतु प्राप्त कुल ऋण से क्रय की गई मशीनरी की लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 15,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है।

3- **शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना**-2012: हस्तशिल्पियों/बुनकरों को मेले व प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये स्टाल किराया अनुदान, दैनिक भत्ता तथा द्रुतगामी बस या द्वितीय शयिका श्रेणी का रेल किराया यात्रा भत्ता के रूप में प्रदान किये जाते हैं।

4- **क्लस्टर विकास कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्लस्टर विकास परियोजनाओं में सोफ्ट इन्टरवेन्शन्स/गतिविधियों के तहत क्लस्टर्स में दस्तकारों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों तथा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को संगठित कर एसपीवी/फैडरेशन का गठन करने, उनकी क्षमता संवर्धन कौशल विकास, कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास, तकनीकी विकास/उन्नयन एवं बाजार सहायता संबंधी गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं। इन गतिविधियों के तहत क्लस्टर्स में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तथा क्लस्टर्स के उत्पादों के विपणन में सहयोग हेतु क्लस्टर्स के दस्तकारों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों तथा सूक्ष्म व लघु उद्यमों की मेलों एवं प्रदर्शनियों में सहभागिता के साथ-साथ क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन किया जाकर विपणन में सहयोग प्रदान कर लाभान्वित किया जाता है।

5- **बुनकर पुरस्कार योजना**: इस योजनान्तर्गत निम्नांकित दो पुरस्कार योजनाओं द्वारा बुनकरों को लाभान्वित किया जाता है:

1- राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार

2- जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार

6- **उत्पाद विविधीकरण योजना**: बुनकरों को अन्य राज्य के हथकरघा उत्पाद एवं योजनाओं की जानकारी हेतु राज्य सरकार के खर्च पर अध्ययन यात्रा पर भेजना।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा एवं संवर्धन हेतु निम्नांकित योजनाएं भी राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं:-

(उद्योग मंत्री)

1- डिजाइन विकास योजना

2- तकनीकी उन्नयन योजना

3- मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

4- प्रचार-प्रसार

5- वंचित बुनकरों से वस्त्रों की खरीदारी

6- हथकरघा वस्त्रों की बिक्री

उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से लाभान्वितों को सीधे रोजगार देने संबंधी कोई विशिष्ट योजना संचालित नहीं है, परन्तु हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के दस्तकारों/बुनकरों को अपना-अपना स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से प्रोन्नत किया जाता है।

उपरोक्त विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के लाभान्वित दस्तकारों/बुनकरों की विगत चार वर्षों की सूचना निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**चर्म क्षेत्र में लाभान्वित दस्तकार**	**हथकरघा क्षेत्र में लाभान्वित बुनकर**	**हस्तशिल्प क्षेत्र में लाभान्वित दस्तकार**
2014-15	613	773	892
2015-16	742	1276	329
2016-17	329	918	386
2017-18	170	592	448
योग	**1854**	**3559**	**2055**

उपरोक्त तालिकानुसार विगत चार वर्षों में कुल 7468 दस्तकारों/ बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

(2) जी हां। बाड़मेर जिले की अजरक ब्लाक प्रिंट हेतु 223.87 लाख रुपये की एक त्रिवर्षीय एकीकृत क्लस्टर विकास परियोजना चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के मगरा, गेहूं, कुडला, शिवकर, जालीपा गांव एवं बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्र के दस्तकारों को सम्मिलित किया गया है।

(उद्योग मंत्री)

अन्य हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु चर्म जूती क्लस्टर, बालोतरा, बाड़मेर में सोफ्ट इन्टरवेन्शन्स का क्रियान्वयन जनवरी, 2019 से प्रारम्भ कराये जाने हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एप्लीक एवं एम्ब्रोइड्री क्लस्टर परियोजना, बाड़मेर, वर्ष 2017-18 से क्रियान्वित की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अजरक ब्लाक प्रिन्ट क्लस्टर, बाड़मेर तथा चर्म जूती क्लस्टर, बालोतरा, बाड़मेर की परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष में क्रियान्वयन प्रारम्भ करने को जन-घोषणा पत्र में अंकित बिन्दुओं के अन्तर्गत 100 दिवसीय कार्य योजना में भी सम्मिलित किया गया है।

सिरोही जिले को अतिवृष्टि से हुए नुकसान के तहत प्राप्त धनराशि

23. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा वर्ष 2017 में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गयी है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। इस नुकसान के पेटे 1 जनवरी, 2019 तक सिरोही जिले में कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खरीफ की फसल 2017 के नुकसान के पेटे मुआवजे एवं आदान-अनुदान (इनपुट सब्सिडी) के पेटे सिरोही जिले को कितनी धनराशि प्राप्त हुई और 1 जनवरी, 2019 तक इसका क्या उपयोग किया गया? इस संबंध में वर्ष 2018 में आपदा प्रबंधन, सचिव व सिरोही जिला कलेक्टर के मध्य हुए पत्र व्यवहार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वर्ष 2017 में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में हुए क्षति/नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचनाओं का विवरण परिशिष्ट-"अ" एवं दिनांक 01.04.2017 से 17.01.2019 तक राशि 11619.25 लाख एवं 77.45 लाख कुल 11696.70 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) खरीफ की फसल 2017 के नुकसान के पेटे आदान-अनुदान (इनपुट सब्सिडी) के पेटे सिरोही जिले को 10622 लाख रुपये आबंटित किये गये, जिसमें से 2385.03 लाख रुपये कृषि आदान-अनुदान में वितरित कर

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

दिये गये। शेष 8236.97 लाख रुपये राजकोष में समर्पित कर दिये गये हैं। आपदा प्रबंधन विभाग व जिला कलेक्टर के मध्य हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां परिशिष्ट-"स" पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित क्षेत्र में खनन से प्राप्त रायल्टी से करवाये गये कार्य

24. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अनुसूचित क्षेत्र में खनन के पट्टे गैर अनुसूचित जनजाति को आबंटित किये जा सकते हैं? यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र से प्राप्त रायल्टी अब तक कहां-कहां व्यय की गई? कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 एवं इसके तहत बनाये गये रियायत नियमों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को खनन पट्टे आबंटित किये जा सकते हैं।

प्रधान खनिज के खनन पट्टों का आबंटन खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 7 से 9 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

इसी प्रकार अप्रधान खनिज के खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंसों का आबंटन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 16 से 21 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, नियम की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

राज्य में अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज मेसेनरी स्टोन के खनन पट्टों का आबंटन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 16(7)(i) के प्रावधानों के अनुसार कुल डेलिनियेटेड किये गये प्लाटों में से 1/3 प्लाट अनुसूचित जनजाति के स्थानीय व्यक्तियों को देने का प्रावधान है एवं बजरी के खनन पट्टों हेतु नियम 16(7)(ii) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा गठित पंजीकृत सोसायटी को

(खान मंत्री)

प्राथमिकता से देने का प्रावधान है, नियमों का उल्लेख परिशिष्ट-2 में अंकित है।

(2) उक्त क्षेत्र से प्राप्त रायल्टी राज्य सरकार के राजस्व मद में जमा कराई जाती है, जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों में किया जाता है। राजस्व मद में जमा उक्त रायल्टी राशि का कोई भी भाग सीधे ही खनिज क्षेत्रों में उपयोग हेतु अलग से आबंटित नहीं किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति का विवरण

25. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विगत 3 वर्षों की वित्तीय स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्य योजना बनायी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ की कितनी राशि बकाया है, उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार रही है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	लाभ/हानि	संकलित लाभ/हानि
2015-16	-706.61	-3469.51
2016-17	-1169.76	-4639.27
2017-18 (अअंकेक्षित)	-174.61	-4813.88
2018-19 (प्रोविजनल दिसम्बर, 18 तक)	-21.67	-4835.55

(परिवहन मंत्री)

(2) बजट घोषणा 2018-19 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिमाह 45.00 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

वित्त विभाग से चर्चा के उपरांत निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए कार्य योजना बनाए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) माह दिसम्बर, 2018 तक निगम के सेवनिवृत्त कर्मचारियों के 238.00 करोड रु. की राशि का भुगतान बकाया है। निगम की रोकड़ तरलता की उपलब्धता के अनुसार सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु आबंटित बजट

26. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकार से मदवार कितना बजट स्वीकृत हुआ? किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा प्रतिवर्ष कितना बजट लैप्स हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग को प्राप्त बजट लैप्स होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पिछले पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से निम्नानुसार बजट स्वीकृत एवं व्यय हुआ है:-

(राशि लाखों में)

केन्द्र/राज्य सरकार	वर्ष 2013-14 से 2017-18 में स्वीकृत बजट	व्यय
केन्द्र सरकार	118407.28	112423.38
राज्य सरकार	149537.59	144229.49

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

स्वीकृत बजट एवं व्यय की वर्षवार मदवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2013-14 से 2017-18 के मध्य आबंटित बजट की 95.79 प्रतिशत राशि व्यय की गई। बहुत ही न्यूनतम बजट लैप्स होने का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

अति न्यून बजट लैप्स होने के कारण किसी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)